खण्ड-259, अंक-1
सोमवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(23 अगस्त, 1965 ई0)

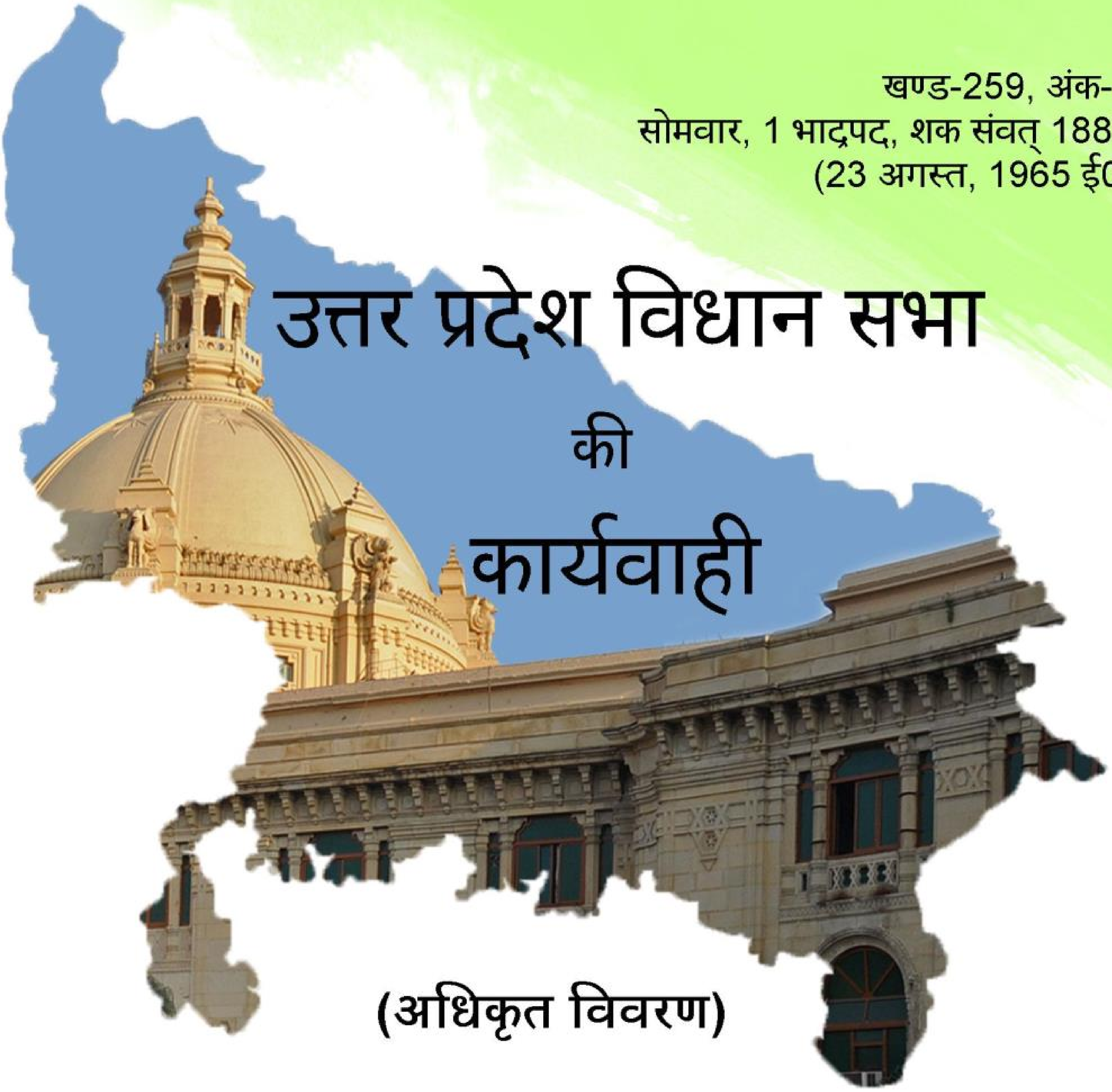

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 259 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
सदन स्थगित करने की प्रार्थना	५
प्रश्नोत्तर	६–३०
प्रदेश की खाद्य समस्या पर केन्द्रीय सरकार से हुई बातचीत के विषय पर वक्तव्य की मांग	३०–३१
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) विधेयक, १९६५ (सूचना)	३१
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ (सूचना)	३१–३२
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के संबंध में जानकारी (जारी) ..	३२
अवर्षण के कारण प्रदेश में अकाल एवं सूखे की स्थिति के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	३२–३७
देवरिया जिले में सहकारिता विभाग द्वारा रासायनिक खाद के न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (स्वीकृत) ..	३७
टूंडला कालेज के छात्रों एवं यात्रियों द्वारा विषैले पदार्थ से मिलावटी भोजन खाने के फलस्वरूप बीमार पड़ जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (स्वीकृत)	३७
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के संबंध में जानकारी ..	३८
अवर्षण के कारण प्रदेश में अकाल एवं सूखे की स्थिति के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी गयी)	३८–४०
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (जारी)	४०–६३
समितियों के नाम निर्देशन पत्रों को वापस लेने की तिथि में परिवर्तन (सूचना) ..	६३
अवर्षण के कारण प्रदेश में अकाल एवं सूखे की स्थिति के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा	६४–९३
नस्थियां	९४–१०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २३ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशरफअली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजा जी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द्र शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री

रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्या , श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासतहुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री

शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे ।

सदन स्थगित करने की प्रार्थना

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही शुरू करने से पूर्व में निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश में वर्षा न होने से इतनी भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि हम सबके लिये अपने-अपने क्षेत्रों में जाना और वहां की जनता की कठिनाइयों को देखना बहुत ही आवश्यक हो गया है । इस कारण मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन की बैठक सात दिन के लिये स्थगित कर दें ताकि हम जनता की कठिनाइयों को देखकर उनको आपके सामने रख सकें ।

श्री अध्यक्ष—

आपने अपनी बात कह ली । मैंने उसे सुन लिया । अब यहां इस पर विचार हो जायगा और इस समस्या का जो हल निकलेगा, जो कुछ आदरणीय सदन सोचेगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २३ अगस्त, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गोंडा जिले में चेचक व अतिसार

****१—श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में तुलसीपुर एवं गैंसड़ी क्षेत्रों में महामारी के प्रकोप के कारण सैकड़ों की मृत्यु हो चुकी और स्थिति खराब होती जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इसके रोक-थाम के लिये क्या कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

प्राप्त सूचना के अनुसार महामारी, चेचक, गैस्ट्रोएन्ट्राइटिस, गोन्डा जिले के तुलसीपुर व गैंसड़ी में इस वर्ष १४ अगस्त, १९६५ तक क्रमशः १७ व २३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई । हैजे से कोई भी व्यक्ति नहीं मरा । परिस्थिति काबू में है । जहां कहीं से भी चेचक अथवा अतिसार की बीमारी की सूचना प्राप्त हुई वहां चेचक निरोधक या अतिसार निरोधक कार्य उचित रूप में किये गये तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

झांसी नगरपालिकाध्यक्ष पर मुकदमा

***१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—**

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष इत्यादि के विरुद्ध धारा ३८४, ३८६ आई० पी० सी० में मुकदमा नं० १९६४ श्री जे० पी० चतुर्वेदी, सिविल व सेशन जज, इलाहाबाद के न्यायालय में लगा है ? यदि हां, तो अध्यक्ष के विरुद्ध अनैतिकता से सम्बन्धित उक्त मुकदमे को, जो कि सेशन में जा चुका है, नगरपालिका की धारा ४८ (३) के अन्तर्गत उनको मुअत्तल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी हां । इस प्रश्न के पूछे जाने के पूर्व सरकार को इस मुकदमे के सम्बन्ध में कोई सूचना न होने के कारण अध्यक्ष नगरपालिका झांसी को मुअत्तल करने अथवा न करने के प्रश्न पर विचार ही नहीं किया गया ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब वहां के अध्यक्ष के विरुद्ध धारा ३८४ और ३८६ का ट्रायल हुआ है और वे सेशन कमिट हो चुके हैं तो फिर उनको सस्पेंड न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रश्न के उत्तर से विदित होगा कि इसके पहले कोई सूचना नहीं थी जिसकी बिना पर उनपर कोई कार्यवाही की जाती । चूंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है और उस से सरकार को जानकारी हो गयी है इसलिये पूर्णरूप से सूचना मंगा कर जो उचित कार्यवाही होगी, की जायगी ।

श्री लखपतराम शर्मा—

अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत हुआ था और उसका उत्तर सरकार को जिलाधीश झांसी और इलाहाबाद द्वारा प्राप्त हुआ है, सरकार उनसे अतिरिक्त सूचना भी मंगा सकती थी । और सरकार ने यह सूचना मंगाने के बाद ही उत्तर दिया है । तो क्या सरकार उनके विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करेगी क्योंकि आरोप गंभीर हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

असल में यह मामला जो मौजूदा चेयरमैन हैं इनके चेयरमैन होने के पहले का, सन् १९६३ का है । यह चेयरमैन १९६४ में चुने गये । इसकी कोई सूचना यहां नहीं थी । झांसी में यह केस चला, फिर इसे वह ट्रान्सफर करा कर इलाहाबाद ले गये । दोनों जिलाधीशों से सूचना मंगायी गयी और केवल यह सूचना मिली है कि ३८४ और ३८६ के मुकदमे उनके खिलाफ हैं । क्या एलीगेशन्स हैं यह पता नहीं । इसमें दफा ३८४ ऐसी है कि जिसमें नैतिकता का सवाल आता है और जिसमें उनको सस्पेंड किया जा सकता है, दफा ३८६ ऐसी नहीं है । तो जब तक पूरी रिपोर्ट न आ जाय, कोई ऐक्शन लेना उचित न होगा ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार बतलायेगी कि ऐसा नियम तो नहीं है कि किसी अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध मुकदमा चलने से ही उसे मुअत्तल किया जा सकता हो, सजा होने के पहले ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह दफा में है कि अगर अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध कुछ दफायें हैं उनमें केस चलता हो तो यह नयी तरमीम हुई है और जिसमें नैतिकता का सवाल हो तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

३८४ अनैतिकता से संबंध रखती है इसे मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया और उनके कहने के मुताबिक वे सेशन वमिट हो चुके हैं, तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि जब मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से सेशन्स में वमिट हो गया तो मंत्री जी जल्द से जल्द कागजात मंगाकर उस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना मंगायी गयी है । जब आ जायगी तो उचित कार्यवाही की जायगी ।

[२३ अगस्त, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला फतेहपुर में सस्ते गल्ले व चीनी की दूकानें

*१—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में सन् १९६४ के प्रारम्भ में कितने सस्ते गल्ले व चीनी की दूकानें खोली गई और उनमें से कितनी-कितनी दूकानें किन आरोपों में कब-कब रद्द की गई हैं ?

*२—क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के जिन व्यक्तियों की सस्ते गल्ले अथवा चीनी की दूकानें जिन आरोपों से रद्द की गई हैं उनके संबंध में क्या अदालती कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किन में क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रघुवीरसहाय कंथवार—

क्या मंत्री जी यह सूचना भी एकत्र करेंगे कि चीनी और सस्ते गल्ले के लाइसेंसदारों के भाड़े और चुंगी देने की व्यवस्था भी थी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

भाड़े और चुंगी की व्यवस्था तो रखी ही जाती है।

रायबरेली जिले में चीनी व गल्ले की निलम्बित दूकानें

*३—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि जिला रायबरेली में दिनांक १ अप्रैल, सन् १९६४ के बाद कितनी सस्ते गल्ले की दूकानों की जांच अधिकारियों ने की और किस-किस की दूकान कैंसिल की गई और किन-किन के खिलाफ मुकदमे दायर किये गये ?

*४—श्री रतीपाल—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि जिला रायबरेली में दिनांक १ अप्रैल, सन् १९६४ से आज तक (१-६-६५) कुल कितना गल्ला और चीनी शहरी हल्कों की दूकानों को दिया गया और कितना देहाती हल्कों में दिया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९४ पर)

*५—श्री रतीपाल—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली जिले में इस समय कौन-कौन सस्ते गल्ले और चीनी की दूकानें सस्पेंड हैं और उनके फैसले में देरी होने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

रायबरेली जिले में इस समय श्री दोस्त मोहम्मद द्वारा संचालित केवल चीनी की एक दूकान निलम्बित है और मामला पुलिस के विचाराधीन है ।

श्री रतीपाल—

१९ दूकानें जो सस्पेंड हुई हैं तो दरखास्तों में कौन-कौन से चार्ज लगाये गये और चार्ज लगाने के बाद आपने सिर्फ सस्पेंड कर दिया, मुकदमा क्यों नहीं चलाया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मुकदमा तो वही चलाया जाता है जो कामयाब हो जाय, क्योंकि कानूनी टेक्निकलिटीज बारीक होती हैं । इसी वजह से मुकदमा नहीं चलाया । शिकायत-कर्ताओं ने अलग-अलग शिकायतें की थीं । अगर किसी खास व्यक्ति के खिलाफ पूछें तो उसका ब्योरा बतला दूं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मंत्री जी कहते हैं, कि दूकानें निलंबित की गयीं, तो वह किस कारण से निलंबित की गयीं, क्या जुर्म किया था दूकानदार ने ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

२० दुकानें हैं, उनकी अलग-अलग शिकायतें हैं । मुख्यतः ठीक से वितरण न करने तथा पार्टीबन्दी के आरोप आदि की हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जो आरोप हैं इन दूकानों के खिलाफ, और जो दूकानें कैंसिल हुई हैं, उनमें क्या कोई ऐसी दूकान भी कैंसिल की गयी है जिसके खिलाफ गल्ला ब्लैक से बेचने के आरोप सिद्ध हुये हैं ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और क्या उसे पुलिस के सुपुर्द किया गया नियम १२५ के अनुसार ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह गल्ले की दूकानों का सवाल नहीं है, यह तो चीनी की दूकानों का सवाल है, इनमें एक दूकान ऐसी भी है जिसके खिलाफ ब्लैक मार्केट से बेचने का आरोप है, उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है ।

श्री रतीपाल—

जब कि भुखमरी की स्थिति हमारे सारे जिले में चल रही है, तो क्या सरकार तत्काल कोई ऐसा हुक्म देगी कि वहां तत्काल सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं, क्योंकि गल्ला हमारे वहां हैं, उसको केवल बंटवाना है ?

खाद्य-मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

हम तो चाहते हैं कि हर जगह हम खोल दें । मगर जितना गल्ला हमारे पास है उसी को दृष्टि में रखते हुये इसका प्रबन्ध करना पड़ता है । हम चाहते हैं कि जो बहुत डिस्ट्रेस के मामले हैं वहां पहले खोली जायं । उसके लिये जिलाधीशों को हमने आदेश दे रखे हैं और कुछ गल्ला उनके अधिकार में कर रखा है ।

श्री रतीपाल—

हमारे जिले की करीब १३ लाख की आबादी है । इसमें डेढ लाख की पापुलेशन ऐसी है जिसके पास एक नाखून के बराबर भी जमीन नहीं है । शहरों में भी काफी तादाद में रिक्शे-वाले तथा मजदूर आदि हैं । तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि १०० रुपये तक आमदनी वालों को सरकारी दूकान से गल्ला दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये विश्वास के साथ तो कहना कठिन है, हम बराबर कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राहत जितनी हम दे सकें दें ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह कहना है कि पूरे जिले में या प्रान्त में खाद्य संकट की स्थिति है और हमको ऊपर से साधन मिलें तो हम पहुंचा सकें । ठीक है । हमारा यह कहना है कि क्या सरकार कभी इस बात पर भी विचार कर रही है या विचार करने के मूड में है कि गांव की समस्या गांव में ही हल हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, हम सब चीजों पर विचार करते हैं और सहानुभूति से विचार करते हैं । गांवों की समस्या का जहां तक सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि अगर गैर सरकारी लोग इस में मदद करें जिन काश्तकारों के पास जमीन है, उनसे छोटों को दिलवायें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन दूकानदारों की दूकानें सस्पेंड की गई हैं उन दूकानदारों के प्रश्न को लेकर जिला परामर्शदात्री समिति, रायबरेली के सामने वे चीजें पेश की गईं और उस परामर्शदात्री समिति की क्या राय है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कुछ शिकायतें ऐसी थीं जिनमें सलाहकार समिति की राय की बात नहीं थी और कुछ को उन्हीं की राय से किया गया है ।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने फिलहाल आदेश के जरिये ऐसी योजना बनाई थी कि जहां तीस हजार से अधिक जनता थी वहां राशनिंग चालू रखा जाय । यह देखते हुए कि नगरों में लोग समृद्धिशाली हैं और ग्रामीण जनता निर्धन है फिर भी ग्रामों में राशन की व्यवस्था नहीं की गई । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी योजना चलाने का आधार क्या था ? जहां लोग समृद्धिशाली हों वहां राशन की व्यवस्था हो और जहां निर्धनता हो वहां राशन की व्यवस्था न हो ।

श्री अध्यक्ष—

रायबरेली में ऐसी स्थिति कहां है ?

श्री रामकिशोर वर्मा—

देहातों में राशन की सुविधा नहीं है, उससे यह स्पष्ट है कि यही हो रहा है जैसा मैंने बताया । देहातों में व्यवस्था न करने का कारण क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सरकार विभिन्न पहलुओं पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी ने रायबरेली की स्थिति पर गम्भीरता से विचार किया है और क्या वहां के जिलाधीश ने रिपोर्ट दी है और मंत्री जी ने गम्भीरता से विचार करने के बाद क्या निर्णय लिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिन जिलों की रिपोर्ट हमारे पास आई उनके लिये रायबरेली, प्रतापगढ़.....

श्री अध्यक्ष—

रायबरेली का ही केवल जिक्र है यहां पर, उसी के बारे में बताइये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इन सब जिलों की एक सूची तैयार हो रही है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को देखकर ही कार्य किया जाता है ।

केन्द्र से गृह निर्माणार्थ प्राप्त धन

*६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार को सेन्ट्रल सरकार से कितने करोड़ रुपया सन् १९६३-६४ में गृह निर्माण के लिये प्राप्त हुआ और उस रुपये का उपयोग कहां पर किया गया (किन-किन जिलों में) ? क्या मकान बनाने के लिये कर्ज देने वाली संस्था

(उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक) को एक साल से इस रकम में सरकार ने कोई रुपया नहीं दिया है ? क्या उन एजेन्सी की मांग पर भी रुपया अब तक नहीं दिया गया है ? वह कितने रुपये की मांग थी और क्या इस रुपये को सरकार लैप्स करना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सन् १९६३-६४ में केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत कुल ९१.२२ लाख रुपया प्राप्त हुआ जिसका उपयोग उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, बस्ती, फैजाबाद, प्रतापगढ़ व उन्नाव जिलों के अतिरिक्त अन्य सभी जिलों में किया गया ।

इस धनराशि में से २७.५० लाख रुपये का ऋण अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अधीन उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक को उसी वर्ष दिया गया । सन् १९६४-६५ में बैंक को इस योजना के अधीन २० लाख रुपये का ऋण और दिया गया ।

सन् १९६३–६४ व १९६४–६५ में बैंक से अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना तथा मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत कुल १४२ लाख रुपये की मांग आयी जिसमें से बैंक को कुल ८७.५० लाख रुपया दिया गया ।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्षों में बैंक को रुपया न देने अथवा रुपया लैप्स होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जैसा पैरा १ में बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार से ९१.२२ लाख रुपया प्राप्त हुआ और पैरा २ में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक को २७.५० लाख रुपया और दोबारा फिर २० लाख रुपया, इस प्रकार कुल ४७.५० लाख रुपया कर्ज दिया गया और इस प्रकार ५३ लाख रुपये के करीब ऐसा है जो कि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त रुपयों में से शेष रहा है तो शेष रुपये के उपयोग की क्या व्यवस्था की गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

केवल बैंक के द्वारा ही यह ऋण वितरण नहीं होता बल्कि महापालिका और अन्य स्थानीय निकायों को भी दिया जाता है और उनके द्वारा भी गृह निर्माण योजना में ऋण वितरण किया जाता है ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर उन्नाव नगरपालिका निम्न आय वर्ग के लिये मकान बनाने के लिये रुपया नहीं लेती है तो वह उसे जिला परिषद् को देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

१६ जुलाई, १९६५ को समस्त जिलाधीशों को यह परिपत्र स्वायत्त शासन से भेजा गया है कि समस्त स्थानीय निकायों से वह आग्रह करें कि वह यह ऋण लें । जिला परिषद् का जहां तक सम्बन्ध है वह पंचायतराज ऐक्ट के मुताबिक सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत है । इसमें तो स्थानीय निकायों को रुपया देने को कहा गया है । माननीय सदस्य उन्नाव नगरपालिका में कोशिश करेंगे कि वह इस रुपये को ले लें । उसमें यह प्रतिबन्ध भी है कि जिन स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि लेकर के ऋण वापस कर सकें, उन्हीं स्थानीय निकायों को यह दिया जायगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ६३-६४ में जो केन्द्रीय सरकार से धनराशि प्रदेशीय सरकार को मिली और उसमें से वह पूरा खर्च न कर सके, तो खर्च न करने के कारण क्या हैं और कितना रुपया ऐसा है जो लैप्स हो गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

रुपया सब खर्च हो गया। लैप्स होने का प्रश्न ही नहीं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुछ जिलों को छोड़कर बाकी सबमें रुपया दिया गया तो बरेली में ६३–६४ में और ६४–६५ में बिलकुल नये लोगों को रुपया क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अब बरेली के लिये तो मेरे पास सूचना नहीं है। हो सकता है ....

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है के आधार पर जवाब नहीं देना चाहिये। बिलकुल पक्की बात हो तो जवाब दीजिये, नहीं तो फिर उस पर प्रश्न होंगे।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

बताया गया कि ६३–६४ में ९१.२२ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को मिला। मैं यह जानना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना के प्रथम और द्वितीय चरण को छोड़कर तृतीय चरण में जो रुपया एलाट हुआ केन्द्रीय सरकार से गृह निर्माण योजना के लिए उत्तर प्रदेश के लिये उसमें कितना रुपया हिस्से में आता था और कितना व्यय हुआ।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ९१.२२ लाख रुपया मिला इसे प्रदेशीय सरकार ने चार योजनाओं में वितरण किया और सारा वितरण हो गया।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसी वर्ष के शुरू में केन्द्रीय सरकार से कोई ऐसा पत्र उनके पास आया है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में गृह निर्माण के लिये रुपया उत्तर प्रदेश को दिया गया है उसमें से केवल ११ परसेंट खर्च किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और माननीय मंत्री जी वह चिट्ठी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चमोली गढ़वाल में गृह निर्माण के लिये जो अनुदान दिये जा रहे हैं उनमें से कितने मंजूर हुये और कितना पैसा दिया जा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

चमोली को जो रुपया दिया गया वह तो प्रश्न के उत्तर में बताया गया लेकिन कितना दिया गया इसकी सूचना नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस ९१ लाख में से जो ४३ लाख रुपया कोआपरेटिव को दिया गया उसके व्यय का ब्योरा क्या है, कितना उन्होंने खर्च किया और कितना वापस किया या कितना पड़ा हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कोआपरेटिव का हिसाब तो कोआपरेटिव वालों के पास रहता है। जिस तारीख से उन्होंने देना बन्द किया उसके बाद से नहीं दिया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जहां तक गृह निर्माण के लिये कोआपरेटिव को दिया गया वह खर्च नहीं हुआ लेकिन जो केंद्रीय सरकार ने गृह निर्माण विभाग को दिया उसके खर्च न होने की जिम्मेदारी इस विभाग पर है, आपने दूसरों पर जिम्मेदारी डाल कर रुपया सब लैप्स होने दिया क्या यह बात सही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जैसा कि अर्ज किया गया वह व्यय के आंकड़े हैं। चाहे वह व्यय बैंक द्वारा हुआ हो या नगरपालिका या नगरमहापालिका द्वारा हुआ हो।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रुपया बांटा जाता है सहकारी बैंक के द्वारा या दूसरे सोर्सेज के द्वारा इस रुपये का ठीक इस्तेमाल हुआ या नहीं इसकी कौन जांच करता है और यदि नहीं करता तो सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आम तौर पर गृह निर्माण योजना में लघु आय के तथा मध्यम आय के लोग जो मकान बनाते हैं उनको कुछ शर्तों पर यह पैसा दिया जाता है। जब वह जमीन खरीद लेते हैं तो कई किस्तों में यह रुपया दिया जाता है, पहली किस्त नींव भरने पर और बाकी किस्तें मकान की प्रगति देखने के बाद दी जाती है।

गोंडा जिले में श्री मथुरा प्रसाद द्वारा गेहूं की चोर बाजारी

*७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री को यह मालूम है कि दिनांक २०/२१ जुलाई, १९६४ को श्री मथुरा प्रसाद, ग्राम नगवां, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा थाना वजीरगंज को पब्लिक ने गेहूं ब्लैक में बेंचता हुआ पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया ? यदि हां, तो इस मामले में क्या हो रहा है और क्या यह सही है कि उनकी दूकान सस्पेंड नहीं की गई ? क्या यह भी सही है कि यह दूकानदार गल्ला लेते भी नहीं और दूकान किसी दूसरे को भी नहीं दी जाती, तो ऐसा क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि यह जिस दूकानदार के बारे में सवाल है उसे ब्लैक करते हुए पब्लिक ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया लेकिन न तो आज तक दूकान सस्पेंड की गई और न वह दूकानदार गल्ला ही उठाता है लेकिन प्रश्न का उत्तर आज मिलता है कि सूचना एकत्रित की जारी ही है जबकि एक मास बीत चुका है।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसका उत्तर तो हमारे पास मौजूद है लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं इसलिये उस पर हमने और सफाई मांगी है, इसलिये सूचना की आवश्यकता है।

बुलन्दशहर के एक्जीक्यूटिव आफिसर की गबन में मुअत्तली

*८—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६२ में एक्जीक्यूटिव आफीसर, बुलन्दशहर को ७०,००० रुपये के गबन में जो सस्पेंड किया गया था उसमें क्या हुआ ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*९--श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी को यह मालुम है कि इतने भारी गबन के केस को अदालत में न भेज कर गोलमाल किया गया है, दुबारा उसी आफिसर को नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो उसको कितनी तनख्वाह वगैरह दी गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन् कि आपने इस बात का नोटिस लिया होगा कि मंत्री जी हमेशा यह कहते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है लेकिन जब आपने प्रश्न स्वीकार कर लिये और वह मंत्री जी उत्तर के लिये पहुंच गये तो हमारा अधिकार है कि समय के भीतर हमें उत्तर मिलने चाहिये । लेकिन आप जांच करें और व्यवस्था दें कि उत्तर दे दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है । आप कृपा करके व्यवस्था दें कि इस तरह का उत्तर देना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष--

पहले जो उत्तर दिये जा रहे थे वे तो ट्रांसपोर्ट विभाग के थे लेकिन अब वह खाद्य विभाग के दे रहे हैं और इसमें यह पहला ही उत्तर है ।

श्री नेकराम शर्मा--

एक ही आदमी कई विभागों के उत्तर देता है और यही कहता है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

सन् ६२ में गबन हुआ और अभी तक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

हम, अध्यक्ष महोदय, आपसे यह प्रोटैक्शन चाहेंगे कि क्या यह टालू जवाब तो नहीं है या सचमुच इतना समय लगना आवश्यक है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदन उपनेता, हमारा आपसे निवेदन है कि जब मंत्रि-परिषद् के आदरणीय सदस्य यह उत्तर दें कि सूचना एकत्रित की जा रही है, तो उस समय यह भी बताने की कृपा करें कि इतना समय क्यों लग रहा है और अभी तक सूचना एकत्रित क्यों नहीं हो पाई । वरना तो जिलाधिकारी टालते जावेंगे और यहां भी परेशानी होगी । भविष्य में वजह बतला दी जायगी ।

सहारनपुर नगरपालिका कन्या डिग्री कालेज को मान्यता

*१०--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि नगरपालिका सहारनपुर ने जो कन्याओं के लिये डिग्री कालेज खोलने का प्रबन्ध किया है उसको सरकार ने अनुमति दे दी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जी हां।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

नगरपालिका का सर्किल केवल प्राइमरी शिक्षा है । तो क्या विशेष कारणों से सरकार ने सहारनपुर नगरपालिका को डिग्री कालेज खोलने की अनुमति दी जबकि वहां कन्याओं के ३ डिग्री कालेज पहले से मौजूद हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

नगरपालिका ने उसकी आवश्यकता बताई और खर्च की जिम्मेदारी ली । चूंकि आबादी बढ़ गई है और लड़कियों की शिक्षाप्रसार की आवश्यकता है, इसलिये सरकार ने आज्ञा दे दी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

चन्द आदमियों ने गुटबन्दी करके नगरपालिका को आधार बनाकर एक मकान हथिया लिया । उनके पास कोई साधन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि वहां की आवश्यकता को देखते हुए और मायर जी जैसे वहां के सदस्य होते हुए आवश्यक समझा ।

*११--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

[हटा दिया गया]

चन्द्रनगर कालोनी सहारनपुर का ठेका

*१२--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सहारनपुर नगरपालिका द्वारा जो नई कालोनी चन्द्रनगर में बन रही है उस पर कौन ठेकेदार है और उस पर खर्च क्या होगा?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सहारनपुर नगरपालिका द्वारा जो नई कालोनी चन्द्रनगर में बन रही है उसका ठेका श्री वेदप्रकाश ठेकेदार को दिया गया है । इस कार्य का अनुमानित व्यय ६,६८,००० रुपया है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या यह सही है कि यह ठेकेदार, श्री वेदप्रकाश, नगरपालिका के अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं और भंगी कालोनी में भी, जिसका उप मंत्री जी ने गुप्त निरीक्षण किया और सरकार को अपनी रिपोर्ट दी, यही ठेकेदार थे ? यदि हां, तो सरकार आदेश देगी कि यहां पर भी भ्रष्टाचार न हो ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

रिश्तेदार होने की सूचना नहीं है । इनका टैंडर सबसे नीचा था, इसलिये मंजूर किया गया ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या यह सही है कि वेदप्रकाश का टेंडर खाली मंगवा लिया जाता है और दूसरों के टेंडर देखकर इनका रेट भरा जाता है, इसकी जांच आप करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जब जांच करने जाऊंगी और माननीय सदस्य कहेंगे तब देखा जायगा । इस समय जांच का कोई सवाल नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या यह वही वेदप्रकाश हैं जिनके खिलाफ भंगी कालोनी के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप थे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस तरह के आरोप की कोई सूचना मेरे पास नहीं आई और न मैंने इस प्रकार की जांच की और न इस प्रकार का कोई आरोप-पत्र मुझे दिया गया ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

टेंडर किस रेट के थे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नगरपालिका सहारनपुर का टेन्डर मांगने का एस्टीमेट ६,६८,००० रुपये का था । मनोहरलाल ठेकेदार के टेंडर से इनका टेंडर १.५० कम था, अर्थात् ६,६४,६६० रुपये का था इनका टेंडर । इसलिये सबसे कम इनका टेंडर होने के कारण मंजूर किया गया ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या यह सच है कि ६,६८,००० का जो खर्चा होने जा रहा है उसमें से ४,३६,००० रुपया सरकार ने कर्ज के तौर पर नगरपालिका को दिया है ? यदि हां, तो उसकी पूरी देख-रेख सरकार करेगी और उसकी रिपोर्ट मंगवावेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मध्यम-आय-वर्ग योजना के अन्तर्गत सहारनपुर नगरपालिका को ५ लाख रुपया दिया गया । उसके द्वारा ये २६ क्वार्टर बनाने की योजना उन्होंने बनाई और उसके लिये टेंडर मांगे ।

पूर्वी जिलों को अन्न का कोटा

*१३—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि १ जून, १९६४ से २१ जून, १९६५ तक देवरिया, गोरखपुर आजमगढ़ और बस्ती को कितना-कितना सस्ते गल्ले का अन्न मासिक अलग-अलग दिया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी सूची में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९५ पर)

*१४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या उक्त बटवारा आबादी के अनुसार हुआ है ? यदि हां, तो प्रत्येक जिले की आबादी क्या है और आवश्यकता के अनुसार न देने का कारण क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

बंटवारा आबादी, जिले की आवश्यकता तथा अन्न की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है । जिलों की आबादी इस प्रकार है:

गोरखपुर	..	२५६५१८२
देवरिया	..	२३७५०७५
बस्ती	..	२६२७०६१
आजमगढ़	..	२४०८०५२

जिले की आवश्यकतानुसार अन्न इस कारण नहीं दिया जा सका क्योंकि राज्य सरकार के पास खाद्यान्न का स्टाक सीमित है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि सरकार को मालूम है कि जब यह नयी सरकार नहीं बनी थी उसके पहले से गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच नैपाल, बिहार और बर्मा का चावल खाते थे और देवरिया में पहले ३ करोड़ मन गन्ना पैदा होता था, बाद में बढ़ा कर ६ करोड़ मन कर दिया गया, उत्पादन बढ़ा कर नहीं बल्कि आंकड़ा बढ़ा कर ? तो फिर क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी सूरत में वहां की गल्ले की आवश्यकता की पूर्ति न करके सरकार ने कौन सा न्याय किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, यह पहले ही बता दिया गया है कि कितना गल्ला होता है उसकी मात्रा को देखते हुए ही आवश्यकतानुसार दिया जाता है । जितनी आबादी सारे प्रदेश की है उसके हिसाब से भी नहीं दिया जा सकता है । जहां तक गोरखपुर में देवरिया से अधिक गल्ला दिए जाने का प्रश्न है वह इसलिये भी दिया गया है क्योंकि गोरखपुर में शहर बड़े-बड़े हैं । जहां तक देहातों का प्रश्न है गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल ८ ही दूकानें हैं जबकि देवरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में १४५ हैं । सभी चीजों को देखते हुए हम उन बातों पर विचार कर रहे हैं और जितने हमारे स्टाक्स हैं, उतना हम दे रहे हैं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जब देवरिया से आप चीनी दूसरे प्रदेश के हिस्सों और दूसरे सूबों को दे रहे हैं तो क्या जितनी चीनी आप लेते हैं, उतनी कीमत के गल्ले को देवरिया जिले को देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो बड़ी कठिन बात है । कहीं पर जंगल की लकड़ी होती है और कहीं पर कोयला होता है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं और जितनी सरकारी दूकानें हैं, उनको देखते हुए और आज की स्थिति को देखते हुये क्या वे कोई ऐसा उपाय करेंगे कि सस्ते राशन के गल्ले की और दुकानें चल सकें ताकि वहां की अनाज की पूर्ति हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमारे साधन सीमित हैं । मगर फिर भी जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे । गोरखपुर में हमने और गल्ला एडहाक रूप से दे दिया है जिससे देहाती क्षेत्र में भी भेजा जा सके।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

१-६-६५ और ३१-६-६५ के बीच जो आपने गल्ला दिया है उसमें कितना देहाती क्षेत्र के लिये और कितना शहरी क्षेत्र के लिए दिया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिन जिलों की बाबत यह प्रश्न किया गया है, उसके संबंध में शहर और देहाती इलाकों की अलग-अलग कोई सूचना नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आबादी की और शहरी एरिया की दृष्टि से और इनके अलावा जो बाजार भाव है गोरखपुर जिले में और खास तौर से बांसगांव तहसील में जहां बाजार भाव काफी ऊंचे हैं क्या माननीय मंत्री जी इस बात का खयाल करेंगे कि गोरखपुर में अधिक कोटा देने का प्रबंध किया जाय ताकि वहां पर जनता को कुछ सहूलियत हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमारे ध्यान में समस्त प्रदेश के सभी जिले रहते हैं और जिन जिलों में हम कमी देखेंगे उनमें देने की चेष्टा करेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था कि उनके पास शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके की अलग-अलग कोई सूची नहीं है। पिछले ३ वर्षों से जब कि इस वर्ष भाव बहुत बढ़ गए हैं तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा प्रबंध करने की कृपा करेंगे कि हर अदालत पंचायत में एक सस्ते गल्ले की दूकान खुल जाय ? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी केंद्रीय सरकार से विशेष सिफारिश करेंगे कि काफी मात्रा में गल्ला हर गांव पंचायत को मिल जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

केंद्रीय सरकार से तो हम बराबर कोशिश करते ही रहते हैं । अभी हमारी माननीया मुख्य मंत्री जी ने भी इस प्रकार की कोशिश की थी । लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वहां से हमको कुछ मिल सकेगा या नहीं । जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है उसमें से ३६० टन आजमगढ़ को भी विशेष रूप से देहातों के लिए दिया है और अगर ज्यादा हमारे पास नहीं है वितरित करने के लिए तो आप और हम दोनों लाचार हैं ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि आजमगढ़ की खाद्य परामर्शदात्री समिति ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया है कि सस्ते गल्ले की दूकानें अधिक से अधिक संख्या में देहाती क्षेत्र में खोली जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रस्ताव ठीक है लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि खुल भी सकती है या नहीं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि आवश्यकतानुसार गल्ले के अभाव में दूकानों को उतना स्टाक नहीं दिया जा सकता है तो जब आवश्यकता के अनुसार आप गल्ला सूबे में वितरित नहीं कर रहे हैं तो फिर केन्द्रीय सरकार गल्ला क्यों देगी और इसके पीछे आपके यह कहने का तात्पर्य क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

क्योंकि फ्री मार्केट है और कोई प्रतिबंध नहीं है और प्राइस को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय सरकार हमको जितना गल्ला देती है वही हम दे देते हैं।

वाराणसी में गंगा जल शुद्ध रखने की योजना

*१५—डा० रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में गंगा में गिरने वाले गन्दे पानी के सब नालों के रुख बदलने के लिए जो ५४ लाख रुपये की योजना स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाई गई है, उसमें नालों के गन्दे पानी को वहां इकट्ठा करने और उसका किस रूप में उपयोग करने का विचार है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

वाराणसी में गंगा में गिरने वाले नालों के गन्दे पानी को कोनिया स्थित सीवेज फार्म पर इकट्ठा करके कृषि कार्य में सिंचाई हेतु उपयोग किए जाने का विचार है।

*१६—डा० रघुनाथसिंह—

इस योजना के लिए भारत सरकार से सहायता प्राप्त होने की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है, और कब तक इसके चालू हो जाने की संभावना है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रस्तावित योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की टेक्निकल स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता के लिए भेजी जा चुकी है। अभी तक भारत सरकार ने इस योजना के कार्यान्वित हेतु अंतिम निर्णय नहीं लिया है। भारत सरकार द्वारा टेक्निकल स्वीकृति तथा सहायता प्राप्त होने पर ही इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकेगा।

डाक्टर रघुनाथसिंह—

जब यह योजना कार्यान्वित हो जायगी और गंगा जी का गन्दा पानी इकट्ठा होने लगेगा तो क्या गांव की आबादी को हटाना पड़ेगा ? यदि हां, तो किन-किन गांव की ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

पूरे गांव की आबादी हटाने का प्रश्न नहीं है। लेकिन इस योजना के अन्तर्गत जो चैनल बनेगी, सीवेज फार्म बनेगा उसके लिए भूमि लेने की आवश्यकता होगी।

डा० रघुनाथसिंह—

भारत सरकार से धन की सहायता की जो याचना की गयी है उसमें योजना संबंधी पूरे व्यय को भारत सरकार से मांगा गया है या उसका कुछ भाग ? यदि कुछ भाग मांगा गया है तो कितना परसेंट ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अभी तो योजना की मंजूरी ही मांगी गयी है जो ५ मार्च, १९६५ को भेजी गयी है।

श्री ऊदल—

आज से ५ साल पहले से इस योजना का प्रचार हो रहा है और उसके तैयार होने की बात चल रही थी तो क्या उसका सर्वेक्षण हो कर पूरे का पूरा प्रारूप तैयार हो गया है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस संबंध में योजना तैयार हो गई है और केंद्रीय सरकार के पास भेज दी गई है। उनका एक आदमी आकर सर्वेक्षण करेगा और जब वह स्वीकृति देगा तभी रुपया मिल सकता है और तभी योजना आगे चल सकती है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इसमें एक यह भी प्रश्न विचाराधीन था कि जो गन्दा पानी है उसे एक तालाब में इकट्ठा करके उस पानी को ऊपर से निकाला जायगा और उससे खाद भी बनाई जायगी, तो क्या माननीय मंत्री जी को इसकी भी जानकारी है कि इसके ऊपर कोई विचार हुआ या नहीं और यदि हुआ, तो क्या कोई प्रारूप, तैयार किया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

श्रीमन्, यह योजना इस समय चैनेल और सीवेज फार्म बनाने की है। उसकी सूचना मेरे पास है लेकिन इसकी सूचना नहीं है।

डा० रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बनारस शहर के गन्दे पानी के नालों के पानी को इकट्ठा करने की योजना है। जैसा कि माननीय ऊदल जी पूछ रहे हैं इसमें कई गांव प्रभावित होंगे और मंत्री जी को सही सूचना नहीं है। इसलिए मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। जो योजना भारत सरकार के पास भेजी गई है ५४ लाख रुपये की तो सारा धन भारत सरकार से वे चाहते हैं या इसका कुछ अंश ? यदि कुछ अंश चाहते हैं, तो कितना ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

श्रीमन्, अभी इस संबंध में कुछ नहीं बताया जा सकता। जब योजना मंजूर हो जायगी तब बताया जा सकता है।

जिला सीतापुर में शकर के कोटेदार

*१७—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर में शक्कर के कितने ऐसे कोटेदार हैं जो कि नियमित रूप से अपना कोटा नहीं उठाते हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कुल ६५ फुटकर कोटेदार।

*१८—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अविलम्ब उन कोटेदारों, जिनका कि शक्कर का वितरण ठीक नहीं है, के कोटे रद्द करने की कृपा करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां। जिनके विरुद्ध नियमित रूप से कोटा न उठाने या वितरण ठीक से न करने के आरोप हैं, आरोप सिद्ध हो जाने पर उनके कोटे रद्द कर दिए जायेंगे।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि आरोप सिद्ध हो जाने पर उनका कोटा रद्द कर दिया जायगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने आरोप कब से उन पर लगे हुए हैं और उनके सिद्ध होने में कितना समय लगेगा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, वितरण ठीक से न करने की तो डिटेल में जांच करनी पड़ती है। लेकिन जहां तक नियमित रूप से कोटा उठाने का प्रश्न है, उनको एक मौका देना होगा कि क्या उनके कंट्रोल के बाहर की बात थी जो वे कोटा न उठा पाए ?

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी से जो पूछा गया था उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। प्रश्न यह है कि कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो वितरण ठीक से नहीं करते और कोटा भी समय से नहीं उठाते। उन्होंने कब से कोटा नहीं उठाया, क्या कठिनाई थी और कब से आरोप लगाए गए हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, सब चीजों पर जांच हो रही है। सवाल नेचुरल जस्टिस का है। उन्हें एक अपोरच्यूनिटी देनी पड़ती है वरना कोर्ट से मामला उल्टा हो जाता है। इसलिए अपोरच्यूनिटी दी जाती है, यह नियम की बात है।

श्री देवदत्त मिश्र—

क्या मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि जो कोटा नहीं उठाया जाता है वह दुबारा लैप्स हो जाता है जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है, इसलिए क्या वे पुराना कोटा देने की कृपा करेंगे और उसके वितरण की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, यह परिपाटी बड़ी गलत है। सैंट्रल गवर्नमेंट भी हमारा कोटा लैप्स कर देती है। इसका हिसाब रखने में बड़ी कठिनाई होती है, भ्रष्टाचार भी बड़ा रहता है। फिर भी आपकी बात को सोचेंगे।

श्री राजनारायण मिश्र—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि नेचुरल जस्टिस के हिसाब से उनको मौका देना चाहिए, वह तो सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से कोटा नहीं उठाते हैं। एक बार कोटा न उठाने पर ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया ? कई बार ऐसा हो गया है तो यह प्रिंसिपिल कितनी बार एप्लाई करेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, आर्डर तो यह है कि अगर कोई कोटा नहीं उठाता है तो तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री नाथूराम शिक्षक—

अध्यक्ष महोदय, यह आम शिकायत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोटेदारों को जो मुनाफा सरकार की ओर से दिया जाता है उससे कितना अधिक दफ्तरों में परिमिट लेने में, कोटा उठाने में कितना अधिक खर्च करना पड़ता है ? इसीलिए उन्हें ब्लैक मारकेट करने की आवश्यकता हो जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इन सब चीजों पर विचार किया जाता है कि कितना प्राफिट है। अगर ज्यादा प्राफिट शेअर देंगे तो उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमतें देनी पड़ेंगी।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—

क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि कुछ कोटेदार नियमित रूप से कोटा नहीं उठाते हैं ? जिला परामर्शदात्री समिति में यह बात लायी गयी और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वहां के अधिकारियों ने साल भर के बाद भी कुछ नहीं किया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसकी सूचना तो नहीं है कि कब से कोटा नहीं उठाया है। लेकिन अगर वह कोटा नहीं उठाते हैं तो उनकी यह सब दूकानें रद्द हो जायेंगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो लोग शुगर का कोटा नहीं उठाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। क्या इस प्रकार की कार्यवाहियां किसी जिले के अन्दर की गयी है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कई जिलों के अन्दर कार्यवाही हो चुकी हैं। कई के लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं, कई के बदले जा चुके हैं।

बिल्हौर बीज गोदाम से रासायनिक खाद के वितरण में अनियमिततायें

*१९—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार को इसका पता है कि इलाहाबाद मन्डल के कानपुर क्षेत्र के कृषि नियोजन में विलायती खाद के वितरण के संबंधित लगभग ४ लाख का गबन सरकार द्वारा पकड़ा गया ? यदि हां, तो जांच के परिणामस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये और गबन के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कानपुर जिले में गबन का ऐसा कोई मामला नही पकड़ा गया, किन्तु १९५६–५७ से १९५९–६० की अवधि में कानपुर जिले के बिल्हौर बीज गोदाम से लगभग ८,२०,३०७.२५ रुपये की रासायनिक खाद के वितरण में कुछ अनियमिततायें हुई थीं जिसके बारे में १९६१–६२ में उक्त बीज गोदाम की लेखा परीक्षा करते समय पता चला। इसमें वैभागिक जांच की गई तथा खाद के वितरण का सत्यापन भी किया गया। कुल वितरण में से केवल ३,३०,१४५.६० रुपये की धनराशि की खाद के वितरण पर काश्तकारों द्वारा आपत्तियां की गयी है। ३,७०,३१७.२५ रुपये की वसूली दिसम्बर, १९६४ तक हो चुकी थी।

२—इस मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा भी कराई गयी। इसके फलस्वरूप बीज गोदाम लिपिक, बीज गोदाम इंचार्ज तथा सहायक कृषि निरीक्षक के विरुद्ध न्यायालय में मुकद्दमा चलाया जा रहा है। इस मामले से संबंधित दो जिला कृषि अधिकारी तथा एक कृषि निरीक्षक रिटायर हो चुके हैं। इनकी पेंशन रोक दी गयी है और इनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रासायनिक खाद के वितरण में जो ८ लाख २० हजार रुपये की अनियमिताएं, हुई हैं, क्या इस लागत की खाद कर्मचारियों द्वारा ब्लैक से बची गयी, काश्तकारों को न देकर ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसकी कोई सूचना नहीं है कि काश्तकारों के अतिरिक्त बाहर यह खाद दी गयी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह अनियमितताएं क्या थीं और अनियमितताओं के मालूम होने के बाद भी ३ लाख ७० हजार की क्यों वसूली की गयी जब तक मुकदमा समाप्त न हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अनियमितताएं इस प्रकार की थीं—किसानों ने यह शिकायत की कि उनके जो बांड भरे गये हैं उनमें मिकदार जो लिखी गयी है वह सही नहीं है। और कहीं-कहीं पर काट पीट करके लिखा गया है। किसी ने यह शिकायत की कि यह खाद हमको नहीं मिली है तथा यह गलत फार्म भरे गये हैं। एक शिकायत यह भी थी कि जो बान्ड फार्म हैं, वे उन फार्मों को इस्तेमाल न करके दूसरे फार्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार की अनियमितताएं बरती गयी थीं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, वह तो प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं हुआ पूरा रुपया क्यों वसूल किया गया जब कि मुकदमा चल रहा था ?

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

लगभग ८ लाख रुपये की खाद का वितरण किया गया था। सब रकमों के संबंध में तो शिकायत थी नहीं। जिस रकम के बारे में शिकायत थी उनके लिये वसूली नहीं हुयी। बाकी जिसके लिये आपत्ति नहीं थी, जिसे सही में लोगों ने लिया ही था और जिसे उन्होंने कबूल भी किया वह वसूल होनी थी और वसूल की गयी।

औरैया नगरपालिका कर्मचारियों की बर्खास्तगी

*२०—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि औरैया (इटावा) नगरपालिका के अध्यक्ष ने नये चुनाव के पश्चात् कितने कर्मचारियों को किन-किन कारणों से अनधिकृत रूप से सेवाओं से मुक्त कर दिया है और उनमें किस-किस ग्रेड के मुलाजिम हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२१—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इनमें से कितने कर्मचारियों की बर्खास्तगी एवं नियुक्ति का अधिकार संविधान के अन्तर्गत ई० ओ० को है क्या इन कर्मचारियों को पृथक-पृथक करके अध्यक्ष ने ई० ओ० के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

[हटा दिया गया।]

नोटः— तारांकित प्रश्न सं० १९ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

इलाहाबाद में सस्ते अनाज की दूकानें

*२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में सरकारी गल्ले की दूकानों की संख्या १९६३, १९६४ में कितनी थी तथा इस समय कितनी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इलाहाबाद में १९६३ में ७६ तथा १९६४ में ५९१ सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें थीं, किन्तु इस समय २७१ दूकानें ह ।

*२४-२५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

अनियमित ढंग से गल्ला ले जाने की जिलाधीश, फतेहपुर को शिकायत

*२६—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थाना हथगांव, जिला फतेहपुर स्थित नौवस्ता घाट होकर कालाकांकर (प्रतापगढ़) को अनियमित ढंग से गल्ला ले जाने के संबंध में कोई सूचना फरवरी व मार्च, १९६५ में नौवस्ता या आसपास के लोगों द्वारा जिलाधीश व पुलिस कप्तान फतेहपुर को रजिस्ट्री दी गई ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, फरवरी और मार्च १९६५ में दो दरख्वास्तें नौवस्ता थाना हथगांव, जिला फतेहपुर से रजिस्ट्री द्वारा जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान के पास आई थी । इन पर जांच कराई गई परन्तु आरोप गलत पाये गये ।

*२७—श्री सुखलाल—

क्या उसमें यह भी आरोप था कि अनियमित ढंग से गल्ला जाने में स्थानीय अधिकारियों का भी हाथ था ? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, यह आरोप प्रधान व पंचायत मंत्री ग्राम नौवस्ता तथा हथगांव थाने के कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये थे किन्तु जांच के उपरान्त सब निराधार पाये गये । इस कारण कोई कार्यवाही उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[२रे गुरुवार के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

नगरपालिका, कन्नौज के सफाई कर्मचारियों की बर्खास्तगी

*२९—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका कन्नौज जिला फर्रुखाबाद के अध्यक्ष द्वारा अवैधानिक रूप से निकाले गये करीब ८० सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधि मन्डल वर्ष १९६४-६५ में मुख्य मंत्री जी से मिल चुका है ? यदि हां, तो उस संबंध में प्रतिनिधि मन्डल द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र तथा बातचीत के संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, ७४ सफाई कर्मचारियों की बरखास्तगी का जो अवैधानिक आदेश नगरपालिका कन्नौज के स्थानापन्न अधिशासी अधिकारी द्वारा दिया गया था, वह यू० पी०, म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३४ (१–बी) के अन्तर्गत निषिद्ध कर दिया गया है ।

*३०—श्री मुकुटबिहारी लाल (जिला बाराबंकी)—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

आगरा में "नन्द सिनेमा" के लिए सीमेंट

*३१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा में "नन्द सिनेमा" के मालिक को जुलाई, १९६४ से जुलाई १९६५ तक मरम्मत के नाम पर कितनी बोरी सीमेन्ट की परमिट दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आगरा में "नन्द सिनेमा" के मालिक को जुलाई, १९६४ से जुलाई, १९६५ तक नवीकरण के लिये ४९५ बोरी सीमेन्ट की परमिट दी गयी ।

मिट्टी के तेल की कमी

*३२—श्री नरसिंहनारायण पान्डेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिट्टी के तेल की कमी के क्या कारण ह तथा प्रदेश सरकार को कमी का कब अनुभव हुआ और अब इसके निराकरण हेतु क्या-क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१—मिट्टी के तेल की कमी के कारण निम्नलिखित हैं :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मिट्टी के तेल की विदेशी कम्पनियों के मिट्टी के तेल के आयात विदेशी विनिमय पर प्रतिबन्ध ।

(ख) मिट्टी के तेल का देश में आवश्यकतानुसार उत्पादन न हो सकना ।

२—इस कमी का अनुभव मई, १९६५ में हुआ ।

३—इस कमी का निराकरण करने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(क) जिलों में मिट्टी के तेल की सुगम उपलब्धता के लिये जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं कि जिले में मिट्टी के तेल की कमी अनुभव होने पर वे शीघ्र ही भारतीय तेल निगम से सम्पर्क स्थापित करें ।

(ख) उचित मूल्य पर मिट्टी के तेल के समुचित वितरण के लिये जिलाधीशों को आदेश दिये गये है कि उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल आदेश १९६२ के अन्तर्गत चोर-बाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे । इसके अतिरिक्त भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित करके उनसे अधिक मात्रा में तेल की व्यवस्था करने का निवेदन किया गया । एक उच्च अधिकारी को आरम्भ में ही संबंधित मंत्रालय के बात करने के लिये दिल्ली भेजा गया और पत्रों द्वारा आवश्यक अनुस्मारक भेजे गये समस्त कम्पनियों के प्रतिनिधियों की समय-समय मीटिंग करके उनसे कमी पूरी । करने का अनुरोध किया गया । जिस-जिस जिले से कमी की सूचना मिली कम्पनियों द्वारा वहां विशेष व्यवस्था की गई । कमी का पूर्ण रूप से निराकरण अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध होने से ही होगा । भारत सरकार इसके लिये बाहर से तेल मांग कर शीघ्र प्रबन्ध कर रही ह ।

बहराइच में जखीरेबाजों पर मुकदमा

*३३—श्री रामअधार कनौजिया—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर बहराइच में गल्ले का अधिक स्टाक रखने के संबंध में किन-किन आढ़तियों के खिलाफ डी० आई० आर० में मुकदमा चलाया गया और कितना-कितना गल्ला मकई जब्त किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बहराइच शहर में गल्ले का अधिक स्टाक रखने के संबंध में निम्नलिखित ५ आढ़तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया :

(१) श्री रामलखन लाल,

(२) सर्वश्री अब्दुल हसन नूरुल हसन,

(३) सर्वश्री मुन्नन लाल, परमेश कुमार,

(४) श्री चन्द्रभान,

(५) श्री बनारसी लाल ।

इनमें से फर्म अब्दुल हसन-नूरूल हसन का २१.६५ क्वीन्टल तथा सर्वश्री मुन्नन लाल-परमेश कुमार का ३२९.१६ क्वीन्टल मक्का पकड़ा गया ।

*३४—श्री रामअधार कनौजिया—

क्या यह सही है कि मुन्नन लाल—रमेशकुमार की दूकान से जो ३०० क्विन्टल मक्का जब्त किया गया था वह नीलाम कर दिया गया ? यदि हां, तो कितने रुपयों का नीलाम किया गया तथा किसको नीलाम में मिला ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, मुन्नन लाल-परमेश कुमार का ३२९.१६ क्वीन्टल मक्का ए० डी० एम० जे० की आज्ञा से नीलाम कर दिया गया । उपरोक्त मक्का को फर्म राधेश्याम-बनवारी लाल, सेथान, बिहार ने ३,००० रुपया में खरीदा था ।

चन्दयाना के कृषकों को हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट से पौधों की गलत सप्लाई

*३५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डाइरेक्टर आफ हार्टीकल्चरल इंस्टीट्यूट, सहारनपुर ने अपने पत्र संख्या ८२९२ ए क्यू, दिनांक १३ अक्तूबर, १९६४ द्वारा डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर यू० पी० हार्टीकल्चर सेक्शन, लखनऊ को विधान सभा क्षेत्र स्याना (बुलन्दशहर) के ग्राम चन्दयाना के कृषकों को हार्टीकल्चर डिपार्टमेन्ट की ओर से आम तथा अमरूद के पौधों को खराब और गलत किस्मों के देने के संबंध में जो रिपोर्ट भेजी है, वह क्या है ?

श्री गेंदासिंह—

इस संबंध में निदेशक औद्यानिक अनुसन्धान संस्थान, सहारनपुर के पत्र दिनांक १३ अक्तूबर, १९६४ की जिसका सही नम्बर ८९२९ है, हिन्दी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९६–९७ पर)

राज्य में खाद्यान्न का आयात

*३६—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६० से जुलाई, सन् १९६५ तक प्रति वर्ष कितने-कितने रुपये का और कितना-कितना खाद्यान्न बाहर से राज्य में मंगाया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना की एक तालिका 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९८ पर)

*३७—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६५ से जुलाई सन् १९६५ तक प्रति माह के हिसाब से राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गल्ले के कितने कोटे की मांग की थी और कितना-कितना उसमें से केन्द्रीय सरकार ने दिया, यदि पूरी मांग का कोटा नहीं मिला तो उसके लिए क्या कारण राज्य को बताया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगस्त, १९६४ से केन्द्रीय सरकार ने राज्य की आवश्यकताओं के लिए जिसमें आटा मिलें सम्मिलित हैं, इस प्रदेश का विदेशी गेहूं का कोटा १,०५,००० टन प्रति माह नियत कर दिया था। जनवरी, १९६५ से जुलाई, १९६५ में कम कोटा दिया गया। जो कोटा दिया गया और जो प्राप्त हुआ उसका विवरण तालिका 'ख' में सदन की मेज पर रख दिया गया है। पूरा कोटा न मिलने का कारण विदेशी गेहूं की अल्प उपलब्धता है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९८ पर) ।

*३८—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६५ में राज्य सरकार ने कितना गल्ला अपनी एजेन्सी द्वारा खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें से कितना गल्ला सरकार ने खरीदा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

रबी खाद्यान्नों की खुले बाजार में खरीदारी करने पर कोई लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न नहीं था क्योंकि जितना भी मिल सकेगा उचित मूल्य पर खरीद लिया जावेगा। १७ अगस्त, १९६५ तक ४५,३१८ मे० टन अनाज की खरीदारी की जा चुकी है। चूंकि खरीदारी खुले बाजार में प्रचलित बाजार भाव पर एक उचित निश्चित अधिकतम मूल्य के अन्दर, करने का निश्चय किया गया था। अतः कोई विशेष कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठा ।

मिट्टी के तेल की कमी

*३९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मिट्टी के तेल की कमी को देखते हुए सब को मिट्टी का तेल नियमित पूर्ति हेतु मिल जाय उसके लिए सरकार ने कौन-सा कदम उठाया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार ने जिलाधीशों को आदेश दिए हैं कि उपलब्धता के आधार पर मिट्टी के तेल का वितरण इस प्रकार करें कि लगभग सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को यथासम्भव मात्रा में मिल जाय। वितरण की रूप रेखा जिलाधीश उपलब्धता के आधार पर स्वयं निश्चित करते हैं।

आजमगढ़ जिले में भट्ठों के लाइसेंस

*४०—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि आजमगढ़ जिले में कुल कितने ईंट पकाने के भट्ठे कार्य कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

२९१।

*४१—श्री उमाशंकर—

क्या मन्त्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में पिछले वर्ष १९६४ में ईट का भट्ठा चलाने के लिए कितने प्रार्थना-पत्र आए थे और किसको-किसको लाइसेन्स दिया गया किसको-किसको किन कारणों से नहीं दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कुल ८५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। जिन प्रार्थियों को (१) लाइसेन्स दिया गया (२) जिनको नहीं दिया गया कारण सहित तथा (३) जिनके प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं, उनकी सूची परिशिष्ट 'क' 'ख' 'ग' पर संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९९–१०१ पर।)

*४२—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर) तथा श्री गया प्रसाद (जिला वाराणसी)—

[१८ अगस्त, १९६५ को उत्तर दिया गया।]

*४३–४५—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

[वापस लिए गए।]

आजमगढ़ जेल में बाम पंथी कम्युनिस्ट

*४६—श्री छांगुरराम (जिला आजमगढ़)—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार ९ बाम पंथी कम्युनिस्ट नेता, जिनमें प्रश्नकर्ता भी सम्मिलित हैं, दिनांक ९ जून, १९६५ प्रातः-काल से जिला जेल आजमगढ़ में अनशन कर हैं ? क्या मन्त्री जी को यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त व्यक्तियों को उच्च श्रेणी दी गई है, परन्तु वे सब सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जो भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें मिलनी चाहिए ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

दिनांक ९ जून, १९६५ से ९ सुरक्षा बन्दीगण ने अनशन आरम्भ किया था और १२ जून, १९६५ की अपरान्ह में समाप्त कर दिया था।

इन्हें वे सब सुविधाएं दी गई हैं (और इनमें से जो अभी जेल में हैं, उन्हें दी जा रही हैं) जो सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किए गए सुरक्षा बन्दियों को नियमानुसार मिलनी चाहिए।

*४७–४९—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

[स्थगित किए गए।]

*५०–५१—हरीशकुमार गंगवार—

[४थे सोमवार के लिए स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में ए० डी० ओ० ऐग्रीकल्चर

*५२—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में इन दिनों कितने ए० डी० ओ० (ऐग्रीकल्चर) हैं, कितने वर्षों से प्लानिंग में हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री गेंदासिंह—

बस्ती जिले में इस समय ३४ ए० डी० ओ० (एग्रीकल्चर) हैं। जून, १९६१ में कृषि विभाग में विलीनीकरण होने के पूर्व कौन कितने समय तक प्लानिंग में था इसकी सूचना जितनी उपलब्ध हो सकी है, संलग्न सूची में दी हुई है। इनमें २ हरिजन हैं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०२–१०३ पर)।

*५३—श्री श्यामलाल—

उन हरिजन ए० डी० ओ० (एग्रीकल्चर) में से कितनों की पदोन्नति हुई है ?

श्री गेंदासिंह—

उक्त २ हरिजन ए० डी० ओ० (एग्रीकल्चर) में से एक ग्राम सेवक के पद से तरक्की करके ए० डी० ओ० (कृषि) हुए हैं।

अतारांकित प्रश्न

रेंट कंट्रोल संबंधित अपीलें

१—श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेंट कन्ट्रोल से सम्बन्धित कितनी अपीलें सरकार के पास १५ जून, १९६५ को विचाराधीन थीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चूंकि तिथिवार ब्योरा विभाग में नहीं रखा जाता है अतः १५ जून, १९६५ को विचाराधीन अपीलों की संख्या बताना सम्भव नहीं है। इस समय रेंट कन्ट्रोल से सम्बन्धित ८८६ अपीलें राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं।

२—श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न (१) से सम्बन्धित जो अपीलें १५ जून, १९६५ को विचाराधीन थीं उसमें से ऐसी कितनी हैं जो १ वर्ष, २ वर्ष तथा ३ वर्ष की अवधि से अधिक काल से विचाराधीन हैं और उनको किन-किन कैटेगरी में रखा गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

४७८ मामले एक वर्ष या उससे कम, ३०८ मामले एक वर्ष से अधिक तथा दो वर्ष से कम, ५२ मामले दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम तथा शेष ४८ मामले तीन वर्ष से अधिक काल से विचाराधीन हैं। इनमें से ६६० मामले रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट की धारा ३ से सम्बन्धित हैं तथा शेष अपीलें मकानों के एलाटमेंट से।

३—श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इतनी भारी संख्या में अपीलों के विचाराधीन होने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अपीलों के निर्णय में विलम्ब होने के विभिन्न कारण हैं—उदाहरणार्थ, अभिलेख एवं विपक्षी का कथन देरी से आना, जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करना, न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त करना तथा, मामलों का अदालतों से सक्षम न्यायाधीन होना आदि।

४—श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[४थे गुरुवार के लिए स्थानान्तरित किया गया।]

प्रदेश की खाद्य समस्या पर केंद्रीय सरकार से हुई बातचीत के विषय पर वक्तव्य की मांग

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, नियम ५० के अन्तर्गत महत्वपूर्ण विषय पर आपको सूचना दी थी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खाद्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, यह बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है, जो अनावर्षण से उत्पन्न हुई है। दोनों सदनों में इस पर काफी चर्चा है और आपको भी खाद्य स्थिति की गम्भीरता ज्ञात है। इसलिए मैं चाहूंगा आपके द्वारा जाना कि हमारे खाद्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी दिल्ली हो आए हैं, और वहां केन्द्र के खाद्य मन्त्री से उनकी बातचीत भी हुई, तो क्या बातचीत हुई? और इस भयंकर स्थिति से उत्पन्न कष्ट के निवारण के लिए वहां से क्या सोचा गया? जो आपने उन्होंने और सोचा है, क्या उस पर प्रकाश डालेंगे कि आप कैसे इस संकट का निवारण करेंगे। उन्होंने क्या सहायता का बचन आपको दिया है? यह बड़े महत्व का प्रश्न है, इस पर कुछ मालूम हो जाए तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—

खाद्य मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हों, तो कह दें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

बनारस के बारे में आपने कितना गल्ला दिया था, उसके बारे में भी बता दें।

*खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

हमने केन्द्रीय सरकार से कितनी बार इसका निवेदन किया और बराबर निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारा, हमारे प्रदेश का पूरा कोटा है, उसको वे दे दें, उसमें किसी प्रकार की कटौती न की जाए। किन्तु वे उस कोटे को देने में असमर्थ हैं। कल अखबार में भी निकला था कि ७.७ लाख टन यू० पी० के लिए उन्होंने निर्धारित किया है। उसके बाद दोबारा मुख्य मन्त्री दिल्ली गयीं हैं और वहां पर खाद्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री से बातचीत कर रही है। उनके वापस आने पर इस विषय में वह सदन को ताजी और लेटेस्ट सूचना दे देंगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में अन्न की स्थिति इतनी भयंकर बनी रहने पर भी पिछले साल से निर्धारित कोटे से बहुत कटौती करके इसको बहुत कम कोटा प्राप्त हो रहा है, जिससे प्रदेश की जनता को भारी भुखमरी का सामना करना पड़ा है और करना पड़ेगा। जबकि दूसरे राज्य की सरकारें लड़ झगड़कर उससे ज्यादा ही पाती हैं। हमारे यहां १.५ लाख टन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का मासिक कोटा निर्धारित है, किन्तु उससे बहुत कम ही प्राप्त होता है, हर मास उसमें भारी-भारी कटौती इस प्रदेश क वास्ते की गयी है। इस प्रदेश को निर्धारित कोटे का ३३ फीसदी और उससे कम ही प्राप्त हुआ है, जिससे खाद्य स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है और मैं समझता हूं सरकार इसे मीट नहीं कर पाएगी। मैं चाहूंगा, इस सम्बन्ध में खाद्य मन्त्री जी मुख्य मन्त्री जी को लेकर फिर से स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखकर वहां जाकर बातचीत कर। इसलिए इस सदन की तरफ से फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय में फिर से बातचीत कर और जो निर्धारित कोटा है उसे पूरा का पूरा प्राप्त करने की कोशिश करें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला आजमगढ़)--

माननीय मन्त्री जी दिल्ली गए थे और उन्होंने इस विषय में वहां क्या बातचीत की और उन्हें वहां से क्या आश्वासन मिला है, इसके बाद में बता दें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१ लाख ५ हजार टन का तो गत वर्ष का इस प्रदेश का निर्धारित कोटा था, यह उनका कहना है और नए साल में इम्पोटेड जितना बाहर से गेहूं आएगा उसके अनुसार ही स्टेट का कोटा निर्धारित किया जायगा। ६० हजार टन जो हम आपको देते हैं वैसे ही देंगे और इसके आगे देने की हमारी क्षमता नहीं है, यह उनका कहना है। वैसे जबानी तौर पर उन्होंने कहा है कि वे ६०,००० टन जो उन्होंने दिसम्बर और जनवरी से दिया है, इससे ज्यादा देने की क्षमता नहीं रखते हैं क्योंकि फारेन कंट्रीज से उनके जो कमिटमेंट्स हैं और जो फारेन एक्सचेंज की जो दिक्कत है, उनकी वजह से उससे ज्यादा वे नहीं कर सकते हैं और उनका कहना है कि हम जनरल प्रोक्योरमेंट से पूरा करें। बिहार और अन्य प्रदेश भी सभी, अपनी-अपनी मांग पर जोर लगा रहे हैं। मैंने जो पत्र लिखा उसका एक बड़ा लम्बा उत्तर सुब्रह्मणयम जी का मेरे पास आया है जिसमें उन्होंने यू० पी० के पिछले साल के रबी प्रोडक्शन की बात कही है कि वह बहुत ज्यादा हुई है और जनरल प्रोक्योरमेंट करके काम चलाया जा सकता है। उसको छोड़ दीजिए, लेटेस्ट बात यह है कि माननीया मुख्य मन्त्री जी की बात कल हुई है और वे अपने आप जब आयेंगी तब आपको स्थिति से अवगत करा देंगी।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि—

"उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) विधेयक, १९६५ जो विधान सभा द्वारा ५ अगस्त, १९६५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १८ अगस्त, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है।"

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि—

"उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ जो विधान सभा द्वारा ५ अगस्त, १९६५ को पारित किया गया था,

[सचिव, विधान सभा]

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १८ अगस्त, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है।"

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के संबंध में जानकारी

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

मैंने आपको, श्रीमन्, एक विशेषाधिकार की सूचना दी थी, आपने कहा था कि अध्ययन कर लूंगा। छुट्टी के बाद ४ दिन बीत गए है और वह बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी बदनामी हो रही है.....

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी सूचना पर आदेश दे दिए हैं, आप उसे कृपया देख लें।

अवर्षण के कारण प्रदेश में अकाल एवं सूखे की स्थिति के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आए हैं। एक तो माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी, माननीय जगन्नाथ राव, माननीय हिम्मतसिंह, माननीय हरीशकुमार गंगवार, माननीय उल्फतसिंह तथा माननीय विश्वनाथप्रसाद के नाम से है और दूसरा है माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय चन्द्रबलीसिंह तथा माननीय शिवनाथसिंह के नाम से....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

विषय एक ही है, श्रीमन्?

श्री अध्यक्ष--

जी हां। तो मैं चाहता था....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं श्रीमन्, आपकी बात छीनकर एक मिनट कुछ कहना चाहता हूं। आप शायद इसको नियम ५२ के अन्तर्गत लेने जा रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष--

नहीं, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। और चाहता हूं कि बजाय इस समय के राजस्व मन्त्री जी, आप अपना बयान सायंकाल पढ़ें, वह वक्तव्य अभी वितरित हो जाय और अपरान्ह के समय आध घंटे में पढ़ दिया जाय, फिर सायंकाल साढ़े ३ से साढ़े ५ बजे तक बहस हो लें। उस समय आपका बयान हो जायगा और माननीय सदस्य उस पर बोल भी लेंगे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन ३ से ५ बजे तक हो जाय तो क्या हर्ज है? ५ बजे के बाद बैठना जरा मुश्किल है।

R.A. 5011

श्री अध्यक्ष—

अब, यह स्वीकार कर लिया जाय?

अनेक सदस्य—

ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, ठीक है, ३ से ५ बजे तक हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

नहीं, श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह हमारा जो कामरोको प्रस्ताव है, उसके सिलसिले में और बात है। जो बयान राजस्व मन्त्री जी देने वाले हैं नियम ५२ के ऊपर वह तो वही बयान दे देंगे कि विभिन्न जिलों में अवर्षण के कारण यह नलकूप की सिंचाई आदि की अव्यवस्था के कारण वे क्या करने जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

उसमें सब आएगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जी नहीं, उसमें अकाल पीड़ित घोषित करने वाली बात अलग है। यह कारण बताये जा सकते हैं। अपने प्रदेश में अवर्षण हुआ और नलकूपों से सिंचाई नहीं हुई है यही कारण इस प्रदेश में अकाल का नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी समस्यायें हैं, जिनके कारण सारा प्रदेश आज अकाल के गाल में चला जा रहा है। उस पर विवाद होना अत्यन्त आवश्यक है। यह तो बहुत छोटा विषय है। अगर इस विवाद को केवल इसी विषय पर सीमित कर देते हैं तो हम सारी समस्या को हल नहीं कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

एक कामरोको प्रस्ताव में एक ही विषय आ सकता है और वह विषय सीमित है। आज उस विषय पर बहस होगी जिस पर राजस्व मन्त्री जी वक्तव्य देने वाले थे। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसको अलग से लाइए।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अकाल की दशा प्रदेश में हो रही है इस विषय पर विवाद करने की बात है। आप भी जानते हैं और सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि प्रदेश के अन्दर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप यह सरकार लोगों को हिन्सा करने का प्रोत्साहन देने जा रही है। यहां पर अकाल के सम्बन्ध में विचार होना चाहिए किन्तु वह विषय से सम्बन्धित जितनी समस्यायें हैं, उन सब पर बहस होना जरूरी है। जब आप इस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करने जा रहे हैं तो उन सारी बातों पर विचार होना चाहिए जिनके कारण जनता कठिनाई में है और जिन कारणों से आज प्रदेश में अकाल की दशा उत्पन्न हो गई है। पुराने कानून जो अंग्रेजी सरकार के जमाने के बने हुए हैं उन पर विचार होना चाहिए। आपने जो यह व्यवस्था दी है, यह तो छोटी-सी समस्या से सम्बन्ध रखती है। उस पर कहने के लिए कम समय हमको मिलेगा। उन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक कार्य-स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है, एक प्रस्ताव एक दिन में लिया जा सकता है। एक विषय उसमें हो सकता है। उस विषय को माननीय माधव प्रसाद जी का प्रस्ताव पूरा

[श्री अध्यक्ष]

कवर करता है। माननीय राजस्व मन्त्री जी वक्तव्य दे रहे थे। तो हम यह कह रहे हैं कि उस विषय को आज हम कामरोको प्रस्ताव में स्वीकार कर रहे हैं ताकि उस पर बहस हो जाय। अगर उसके अतिरिक्त आप कोई बात उठाना चाहते हैं तो आप दूसरे कामरोको प्रस्ताव में उस विषय को उठाइए पर वह आज नहीं लिया जा सकता है। आज उस विषय को लिया जायगा जो माधव प्रसाद जी ने रखा है। मैं समझता हूं कुछ अंश आपका भी उससे कवर्ड है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

जरा उसको पढ़ दिया जाय कि उसमें क्या है।

श्री अध्यक्ष—

उसको पढ़ दिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि इस सदन में यह तय हुआ था कि राजस्व मन्त्री जी अपना बयान देंगे। बहुत से माननीय सदस्यों ने नियम ५२ के अन्तर्गत और कामरोको प्रस्ताव के अन्तर्गत बहुत से प्रश्न उठाए थे। आपने यह कह दिया कि मैं सभी की भावना को समझते हुए यह चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री जी वक्तव्य दे दें और हम सभी ने उसको स्वीकार किया। आज आप एक नया कामरोको प्रस्ताव ले रहे हैं तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है, जब आज राजस्व मन्त्री वक्तव्य देने को तय कर चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री नेकराम शर्मा—

इसीलिए मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि जब माननीय माधव प्रसाद जी ने कामरोको प्रस्ताव दिया तो उसको तो आप स्वीकार करने जा रहे हैं लेकिन जब माननीय ब्रह्मदत्त जी ने और मैंने दिया तो उस समय यह कह दिया कि मन्त्री जी वक्तव्य दे दें और उसके लिए दिन भी निश्चित हो गया। आज आप इसको नहीं ले रहे हैं। यदि कामरोको प्रस्ताव को लेना है तो हमारा मौजूद है। तो हमारे उसी कामरोको प्रस्ताव के ऊपर बहस कराइये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

नियम ५२ के अन्तर्गत जब आज आपके सामने उस विषय को रखा गया तो उसी विषय को उसके अन्दर मानकर आपने उस पर २ घंटे के विवाद की स्वीकृति दे दी कि इस पर बहस हो जाय। अगर इसमें वही विषय है तो जिसे कामरोको में यह विषय उठाया गया था और पहले से वह मौजूद है तो उसी क्रम में आप स्वीकार करें कि जिस क्रम में वह आपके पास मौजूद है। अगर आप उसी विषय पर बहस कराना चाहते हैं तो उसको पहले लें। वह सदन के सामने पेश हो जाय ताकि हम उस कामरोको प्रस्ताव पर खड़े हों।

श्री अध्यक्ष—

आपकी तरफ से कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपत्ति है, इधर से कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जहां तक नियम का सम्बन्ध है, आप नियम के प्रतिकूल काम कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष--

क्या आप कामरोको प्रस्ताव के ऊपर आपत्ति कर रहे हैं ?

श्री नेकराम शर्मा--

मैं कामरोको प्रस्ताव के ऊपर बिलकुल आपत्ति नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं स्वयं चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में जो अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है, कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार करके उस पर तत्काल बहस करानी चाहिए। मेरा कहना तो केवल यह है कि इसी विषय पर सदन के सामने कामरोको प्रस्ताव पहले से मौजूद है, तो जिस क्रम में वे कामरोको प्रस्ताव मौजूद है, उसी क्रम में आप बहस करायें तो अच्छा होगा। लेकिन यह तरीका गलत है कि जिस विषय पर पहले से कामरोको प्रस्ताव मौजूद है, उसके बाद उसी विषय पर दूसरे कामरोको प्रस्ताव को आप स्वीकार कर के पुराने को उसमें सम्बद्ध करके उस पर बहस करावें। यह परम्परा गलत है। आप एक दल को खुश करने के लिए नियमों का भी उल्लंघन करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप चाहते क्या हैं?

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा कहना यह है कि श्री नेकराम शर्मा और श्री ब्रह्मदत्त मायर के नाम इसी विषय पर जो कामरोको प्रस्ताव है उसको आप स्वीकार करें और उससे इसको सम्बद्ध करें।

श्री अध्यक्ष--

कामरोको प्रस्ताव का जहां तक प्रश्न है, उस पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? अगर नहीं है तो आपके कामरोको प्रस्ताव को इसके साथ सम्बद्ध किया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा --

आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आज का जो कामरोको प्रस्ताव है, उसको हमारे मूल प्रस्ताव के साथ सम्बद्ध किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अगर यह प्रश्न है तो मैं आपको यह बतला दूं कि उस रोज मैंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी और उसको अस्वीकार कर दिया, आज इसको स्वीकार कर रहा हूं। अब रहा यह कि उसी सिलसिले में नियम ५२ के अन्तर्गत बयान हो रहा है और उसी सिलसिले में आज बहस होगी।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, उस दिन हम लोगों ने कामरोको प्रस्ताव दिया था उसे न लेकर आप दूसरा कामरोको प्रस्ताव उसी विषय पर ले रहे हैं, यह व्यवस्था आपकी गलत प्रतीत होती है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपसे कहा कि सिर्फ यह हो सकता है कि मैं आपके कामरोको प्रस्ताव को इससे सम्बद्ध कर दूं। इसके लिए मैं तैयार हूं लेकिन अगर कोई और प्रस्ताव आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं।

(व्यवधान)

इस कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार करके आपके उस दिन के कामरोको प्रस्ताव को मैं इससे सम्बद्ध किए दे रहा हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

यह बिलकुल गलत है। हमारे नियमों में जो व्यवस्था है, उसकी तरफ में आपका ध्यान दिलाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

जिस प्रस्ताव को मैंने उस दिन स्वीकार किया था वह नियम ५२ में ले लिया गया। इस तरह से वह समाप्त हो गया।

श्री नेकराम शर्मा—

आपने कहा था कि सारे प्रश्नों को एक साथ ले करके आज बयान दिलवायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना क्या है?

श्री नेकराम शर्मा—

जब हम लोगों ने कामरोको प्रस्ताव दिया और प्रदेश की स्थिति के बारे में सूचना मांगी तो आपने माननीय सदन से कहा कि इस पर माननीय राजस्व मन्त्री का वक्तव्य दिलवा देंगे और कामरोको प्रस्ताव को नियम ५२ में ले लेंगे। उसके लिए सोमवार का दिन निश्चित हो गया। लेकिन उसी विषय पर जब आज कामरोको प्रस्ताव आया तो आपने इसके साथ पुराने प्रस्ताव को सम्बद्ध कर दिया। पुराने प्रस्ताव को नए प्रस्ताव से सम्बद्ध करना नियमों के अन्तर्गत नहीं है बल्कि नियम विरुद्ध है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र जी को बोल लेने दें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे लोक सभा में और हाउस आफ कामन्स में भी यह परम्परा है कि यदि एक ही विषय पर विभिन्न दलों के प्रस्ताव हों और उसी के साथ नेता विरोधी दल का भी प्रस्ताव उसी विषय पर हो तो और सब के प्रस्ताव स्थगित हो जायेंगे और माननीय नेता विरोधी दल का प्रस्ताव ही लिया जायगा और पढ़ा जायगा। इसलिए माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी का प्रस्ताव नियमानुकूल है और संसदीय परम्पराओं के अनुकूल है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक, अब यह विषय समाप्त हो गया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

जो यह प्रश्न उठाया गया है इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर हूं कि हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम ५७ में दिया हुआ है—"जिस दिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के कम से कम एक घंटा पूर्व उसकी द्विवप्रतिक सूचना, सचिव को दी जावेगी।" जबकि माननीय सदस्य कई दिन पूर्व की बात आज उठा रहे हैं। तो जो तरीका आपने अपनाया है वही सही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(श्री नेकराम शर्मा से) अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपके प्रस्ताव को मैं इससे सम्बद्ध नहीं करता।

श्री नेकराम शर्मा—

यह नियमों के विरुद्ध है, हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(श्री नेकराम शर्मा ने कुछ अन्य सदस्यों सहित सदन का परित्याग किया।)

देवरिया जिले में सहकारिता विभाग द्वारा रासायनिक खाद न दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री बांकेलाल जी की सूचना को नियम ५२ के अन्दर स्वीकार किया है। उसको मैं पढ़े देता हूं—

"देवरिया जिले में सहकारिता विभाग द्वारा ऋण देते समय प्रत्येक व्यक्ति को जिन्हें ऋण देना था, उसमें उतने पर हस्ताक्षर करा कर दस प्रतिशत रुपये रासायानिक खाद के लिए रोक लिया गया। इस प्रकार से समूचे जनपद में सहकारी समिति के सदस्यों से १५ लाख रुपए के आस पास कटौती हुई है, किन्तु खरीफ में खाद डालने का सीजन बीता जा रहा है अभी तक किसानों को खाद नहीं दी गयी।"

मन्त्री जी, इस पर आप कब वक्तव्य देंगे?

सहकारिता मन्त्री (श्री बनासीदास)—

२५ तारीख को। परसों।

टूंडला कालेज के छात्रों एवं यात्रियों द्वारा विषैले पदार्थ से मिलावटी भोजन खाने के फलस्वरूप बीमार पड़ जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय हरीशकुमार गंगवार और हिम्मतसिंह जी की नियम ५२ की सूचना को वक्तव्य के लिए मैंने स्वीकार किया है, सूचना इस प्रकार है:

"इस सप्ताह आगरा जिले के टूंडला कालेज, टूंडला के लगभग ५०० छात्र दोपहर के भोजन के पश्चात् अकस्मात् बीमार पड़ गए, उल्टियां होने लगीं। बहुत से छात्र एकाएक अचेत हो गए। ज्ञात हुआ है कि खाद्य पदार्थ में कुछ विशेष पदार्थ मिला हुआ था, इसी प्रकार एक दूसरी घटना घटी जिले में, गुजरात के एक यात्री दल के ६० व्यक्ति रात्रि में विषैला भोजन खाने के कारण बीमार हो गए। इन में से भी कई की हालत चिन्ताजनक है। खाद्य में मिवालट के परिणाम से जनता में आतंक व्याप्त है...."

इस पर कब बयान होगा?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

तीन-चार दिन तो लग ही जायंगे।

श्री अध्यक्ष—

तो इस पर आप २६ तारीख को बयान दीजिएगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के संबंध में जानकारी (क्रमागत)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

१७ तारीख को दो विशेषाधिकार के प्रश्न मैंने दिए थे।

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने खाद्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था। उसके सम्बन्ध में उन्होंने बता दिया है कि उन का वह मंशा नहीं था। यह विषय विचाराधीन है। आप इसे आकर देख लीजिएगा।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

मैंने भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था....

श्री अध्यक्ष—

जी हां, आपने भी दिया है। लेकिन ऐसी चीजें इस में हैं कि उनके ऊपर ध्यान देना हमारे और आप के लिए शोभा नहीं देता। उस में कुछ कटाक्ष मेरे ऊपर हैं, वह आक्षेपनीय कहे जा सकते हैं किन्तु मुझे कोई शिकायत नहीं है और इसलिए उस पर ध्यान देना उचित नहीं है।

अवर्षण के कारण प्रदेश में अकाल एवं सूखे की स्थिति के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेकराम शर्मा जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य आपके लिए उस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है? इस पर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

सच बात तो यह है कि मैंने सुना नहीं कि वे क्या कह रहे थे। किन्तु यदि उन्होंने ऐसी कोई बात कही है कि जो अनुचित अथवा अभद्र हो तो वह निकाल दी जायगी। यह काफी है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, हमारी जो नियमावली है, उसमें कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के क्या नियम हैं और वह किस प्रकार होगा, इन दोनों बातों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

आपकी आपत्ति क्या है? आप चाहते क्या हैं?

श्री चन्द्रजीत यादव—

आपत्ति यह है कि कामरोको प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत किसी विषय की अर्जेन्सी को यदि आप स्वीकार कर लें, तो उसके लिए हमारे नियमों में व्यवस्था की गयी है, ६१ में है, कि अगर किसी विषय को आप समझते हों कि यह महत्व का विषय है और उसमें कामरोको प्रस्ताव होना चाहिए तो उस को स्वीकार करने के बाद जिन सदस्य का वह कामरोको प्रस्ताव होगा उनसे, आप कहेंगे कि वह उसके लिए सदन से अनुज्ञा मांगे।

और वह खड़ होकर अपन काम-रोको प्रस्ताव को पढ़ने के बाद सदन स अनुज्ञा मांगेंगे। उसके बाद अगर कोई आपत्ति करता है तो आप जो कमरोको प्रस्ताव के पक्ष में होंगे उनसे खड़े होने के लिये कहेंगे। लेकिन न तो आपने अनुज्ञा मांगने के लिए कहा और न सदन के सामने विधिवत् वह प्रस्ताव आया। आपने अचानक घोषणा कर दी कि जिस विषय के ऊपर हमारा कार्यसूची में निर्धारित था आज उसी विषय पर काम-रोको प्रस्ताव पहले से दिया गया था तो उसको काम-रोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार न करके कह दिया कि माल मंत्री उसी विषय पर अपना बयान देंगे जो कि बिलकुल नियम के प्रतिकूल आप व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आक्षेप तो छोड़ दीजिए। व्यवस्था हुई या नहीं यह मैं बतला दूं ?

श्री चन्द्रजीत यादव—

हमको तो ऐसा मालूम होता है कि आप किसी दल विशेष को राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह बात गलत है। (व्यवधान और शोर) कम्युनिस्ट दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

ये शब्द बहुत ही आपत्तिजनक हैं। या तो सिद्ध करें या इनके विरुद्ध विशेषाधिकार का मैं नोटिस देता हूं। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जो वक्तव्य माननीय राजस्व मंत्री देंगे उसी विषय पर कामरोको प्रस्ताव आया है। उसी के संबंध में बहस होगी। मैंने पूछा कि किसी को आपत्ति है ? किसी ने नहीं कहा कि आपत्ति है। जब कोई आपत्ति न हो तो कामरोको प्रस्ताव पर कौन खड़ा होता है, कितने सदस्य खड़े होते हैं इसका सवाल नहीं पैदा होता। और जबकि विशेषकर जनसंघ और संसोपा दोनों ने जो प्रस्ताव दिया वही मंजूर हुआ, जिनकी संख्या ८०–९० से कहीं ज्यादा है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैंने निवेदन किया था कि हमारा जो कामरोको प्रस्ताव है वह केवल अवर्षण से संबंधित नहीं है। यह जो दफा ५२ की सूचना मंत्री जी देने वाले हैं वह अवर्षण और सिंचाई से संबंधित है और हमारा प्रस्ताव सिंचाई और इससे नहीं, बल्कि सारे प्रदेश में विभिन्न कार्यों के कारण जो अकाल की स्थिति पैदा की गयी है उससे संबंधित है। उस पर वक्तव्य दें तो हमारा काम-रोको प्रस्ताव उनसे जुड़ता है, लेकिन वे तो नियम ५२ के संबंध में अवर्षण और सिंचाई के संबंध में देने वाले हैं। नियमावली यह कहती है कि जब सदन में कोई बात चर्चाधीन हो तो उस पर हो तो उस पर दूसरा कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता है। तो हमारा तो अकाल संबंधी है जैसाकि मैंने उस समय भी कहा था, और वह विभिन्न विषयों को लेकर है, लेकिन आपने हमारे तथ्यों को स्वीकार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

अवर्षण के कारण जो अकाल की स्थिति पैदा हुई है उसके ऊपर आप का भी है और इनका भी है और अवर्षण से उद्भूत अकाल की स्थिति पर यहां पर विचार होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं कहता हूं कि नियम में यह है कि जब कोई चर्चाधीन विषय हो, उस पर दूसरा प्रस्ताव नहीं आ सकता है। तो अवर्षण तो चर्चाधीन विषय है, केवल उस पर हमारा नहीं है . .

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई विषय चर्चाधीन ऐसा हो जिसमें पर्याप्त चर्चा हो सके और बहस हो सके तो दूसरा विषय नहीं लिया जायगा। अगर पर्याप्त चर्चा नहीं हो सकती तो लिया जा सकता है। अब तो वह समाप्त हो गया।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले दिन आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार कर एक स्टेटमेंट देने के लिए कहा था इस पर प्रश्नों की व्यवस्था होनी चाहिए। २ घंटे के विवाद से कुछ नहीं होगा। सभी लोगों को भी बोलने का मौका मिल सके। इसके लिए आप कम से कम २ दिन बहस कराइए . .

श्री अध्यक्ष—

अब यह विषय समाप्त हो गया।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

जो और नियम ५२ के प्रस्ताव थे, उनको आपने क्या आवश्यक कार्यवाही के लिए मंत्री जी को भेज दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

वह भेज दिये हैं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४†

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक को इस सदन ने २५ अगस्त, १९६४ को एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया था। उसकी १६ बैठकें हुई, और जुलाई के तृतीय सप्ताह में उस समिति ने अपना कार्य पूरा किया। इन १६ बैठकों में माननीय सदस्यों ने बड़ी गंभीरता के साथ और बहुत ही विस्तार के साथ विचार किया है और उसके बाद यह विधेयक अब इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है। सन् १९६१ में भी इस विधेयक के संबंध में प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश की गयी थी, लेकिन सन् ६२ का चुनाव आ गया, और यह विधेयक अपने आप लैप्स हो गया। इसलिए फिर दोबारा सन् १९६४ में इस विधेयक को लाना पड़ा। इस विधेयक की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। अभी तक हमारे प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन सन् १९१२ के ऐक्ट के अनुसार चल रहा है। तब से अब तक सहकारिता जगत में लगातार काफी परिवर्तन हुए हैं। सहकारिता आन्दोलन ने बड़ी प्रगति की है। साथ ही साथ जीवन के हर क्षेत्र में सहकारिता का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए इस प्रदेश के लिए इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि जल्दी से जल्दी यह विधेयक पारित किया जाय। हमारी केंद्रीय सरकार ने भी सहकारिता के संबंध में एक कमेटी बनायी थी। उसने, आजकल की गतिविधियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२ अगस्त, १९६५ को प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा गया।

की एक रूपरेखा देने और इसको संचालित करने के लिए, एक माडेल विधेयक भी प्रसारित किया था, जिसके आधार पर हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों ने सहकारिता के संबंध में कानून भी पास किए हैं। काफी सोच विचार के बाद प्रवर समिति ने इसको पास किया है और इसको काफी उपयोगी बनाने की कोशिश की है। अब तक प्रयत्न यह था कि सहकारिता आन्दोलन को गैर-सरकारी हाथों में दिया जाय तथा रजिस्ट्रार तथा दूसरे लोगों का नियंत्रण जहां तक सहकारिता के हित में हो कम किया जाय और साथ ही साथ इस बात की भी शिकायतें पाई जाती थी कि चुनाव उस समय तक नहीं होता है। इसलिए इस बात की व्यवस्था की गई है कि निश्चित अवधि के बाद पुनः चुनाव न हो तो स्वयं उसकी अवधि खत्म हो जायगी और गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार होगा कि निश्चित अवधि के अन्दर चुनाव की व्यवस्था कर दें। साथ ही इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि रजिस्ट्रार जब तक जनरल बाडी के सामने न रक्खे तब तक वह किसी भी सोसाइटी को रद्द नहीं कर सकता है। साथ ही इस बात की व्यवस्था की गई है कि क्योंकि सहकारिता का कार्य काफी बढ़ता चला जा रहा है इसलिए कहीं धन का दुरुपयोग हो उसमें तुरन्त कार्यवाही करने की व्यवस्था हो और इस विधेयक के अन्दर सहकारी कृषि-समितियों के लिए अलग फंड रखा गया है जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि सहकारी समितियों के साथ कृषि समितियां निर्मित हों। उनका कार्य बढ़े। जब से दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई और रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट हमारे सामने उपस्थित की गई तो इस बात पर बल दिया गया कि कृषि उत्पादन भी आवश्यक है। देहातों के अन्दर क्रेडिट की व्यवस्था की जाय। इसलिए इसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कृषि समितियों के अन्दर अपना हिस्सा खरीदें। उनका संचालन करें ताकि कृषि समितियां कायम हो सकें। इस बात की भी आवश्यकता पैदा हुई कि शुरू में कैपिटल जमा करने के लिए बड़ी बड़ी सोसाइटियों के लोग आपत्तियां करते हैं जैसे गन्ने की फैक्ट्री तथा औद्योगिक समितियां हैं जिनमें एक करोड़, दो करोड़ तथा और ज्यादा की आवश्यकता होती है, इसलिए इस बात की व्यवस्था की गई है कि सरकार इस तरह की सोसाइटियों का संगठन करे और उनको संचालित करे और पांच साल तक वह इस बात की व्यवस्था करे। क्योंकि सरकारी फंड उसमें लगाया गया है, इसलिए उसका संचालन कराये। पांच साल में ऐसी स्थिति पैदा करे जिसमें उनके हिस्सेदारों का शेयर काफी मात्रा में हो, पचास की सदी से ज्यादा हो और उसका पूरी तरह से नियंत्रण और संचालन एक चुने हुए डायरेक्टर के सुपुर्द कर दिया जाय। इसलिए यह विधेयक हमारे सहकारिता आन्दोलन की जो मौजूदा जरूरतें हैं उनको बहुत हद तक पूरा करता है और बहुत सी तादाद में हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में जो विधेयक चालू हैं उनमें से और दूसरे देशों के कानूनों का फायदा उठा करके भी हमने इसमें समावेश करने की कोशिश की है। क्योंकि अगस्त, सन् ६४ में हमने काफी विस्तार के साथ इसमें व्यवस्था की थी। इसलिए उन बातों को फिर से दोहराना और उसके लक्ष्य और उद्देश्यों को दोहराकर सदन का समय लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए यह प्रवर समिति और सदन के सामने प्रस्तुत है। इस पर मैं समझता हूं कि सदन विचार करेगा और इसको शीघ्रातिशीघ्र कानून की शक्ल देने की कोशिश करेगा ताकि सहकारिता का आन्दोलन नए कानून के मुताबिक संगठित और संचालित किया जा सके।

श्री विजयसिंह (जिलाजालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने १८ अगस्त को आज के इस विचारार्थ प्रस्तुत विधेयक पर संशोधन पेश किया था। वह आज की कार्यसूची में नहीं है जबकि औरों के संशोधन इसमें मौजूद हैं। मेरा संशोधन इसमें क्यों नहीं आया?

श्री अध्यक्ष—

इस समय तो माननीय भीखालाल, चन्द्रजीत यादव तथा माननीय ऊदल आदि के संशोधन हैं।

श्री विजयसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उस संशोधन की कापी है जो मैंने दिया है। आज के एजेंडा में वह छपना चाहिए था जो नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख लूंगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक, राय जानने के लिए तीन महीने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली की धारा १३४ की ओर दिलाना चाहता हूं कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी से अगर कोई बिल आवे तो वह फिर उसी को रेफर किया जा सकता है। उसमें दिया है—

"that the Bill as reported by the Select Committee of the House or the Joint Select Committee of the Houses, as the case may be, be recomitted to the same Select Committee or to a new Select Committee or to a new Joint Select Committee."

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, संसोपा के लोग हिन्दी नहीं पढ़ेंगे....

श्री कमलासिंह यादव—

इसके अनुसार यह साफ है कि अगर कोई विधेयक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया हो तो वह जनमत संग्रह के लिए नहीं भेजा जा सकता बल्कि पुनः उसी कमेटी को या किसी नयी कमेटी को वह वापस किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

१३४ में तो यह है—यथास्थिति किसी विधेयक पर सदन की प्रवर समिति अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के अंतिम प्रतिवेदन के उपस्थापन के उपरांत भारसाधक सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि.... कौन सा आप पढ़ रहे थे? १३४ का (ख)?

श्री कमलासिंह यादव—

१३४ का (२) आप देखें।

श्री अध्यक्ष—

यदि विधेयक भार साधक सदस्य यह प्रस्ताव करें कि यथास्थिति सदन की प्रवर समिति द्वारा अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक समिति को पुनः सौंपा जाय या उस पर राय या अतिरिक्त राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुनः परिचालित किया जाय।

यह तो है उसमें।

श्री कल्पनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, इस पर क्या व्यवस्था हुई यह मैं जानता चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने समझ लिया कि उनका आक्षेप गलत है ।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, मैंने जब यह संशोधन इसमें पेश किया है तो बहुत समझबूझ कर और सोच विचार कर पेश किया है । सौभाग्य से जिस संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत है उस समिति का मैं भी सदस्य था और यह सही है कि समिति में इस विधेयक पर बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से वादविवाद हुआ और विचार विमर्श हुआ । लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम लोग उसमें संशोधित करना चाहते थे ताकि विधेयक अच्छा रूप ले सके और हमारे उद्देश्यों और हमारी नीतियों के अनुरूप बनाया जा सके लेकिन वह नहीं हो सका और इस वजह से मान्यवर, मैंने इस संशोधन को आज सदन के सामने प्रस्तुत किया है । हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार का सहकारिता एक घोषित लक्ष्य है । सहकारिता का संबंध आज के नियोजित विकास में जनता के जीवन के भिन्न भिन्न अंगों से है, तो जनता का कोई भी अंग इससे अछूता नहीं रहना चाहिए । सहकारिता का आन्दोलन जनता का आन्दोलन है और यह आन्दोलन जनता के लिए आन्दोलन है । इसलिए आवश्यक है कि आन्दोलन जनता द्वारा चलाया जाना चाहिए । यह विधेयक जिस रूप में समिति के द्वारा संशोधित होकर लौटा है वह इस शर्त को पूरा नहीं करता है। इसलिए विवश होकर यह संशोधन आज हमें लाना पड़ा । इसके द्वारा जनता का सीधा संबंध सहकारिता आन्दोलन से होने जा रहा है और उसके जीवन पर इसका गहरा असर होगा, इसलिए उसकी राय इस पर जानना आवश्यक है । यह मैं क्यों कहता हूं कि यह आज की जनता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता ? क्योंकि इस सहकारिता आन्दोलन का जो सिद्धांत है जिससे कि वह एक अच्छा जन आन्दोलन बने कि उसमें कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो, यह उसको पूरा नहीं करता । इस विधेयक के द्वारा सरकार का हस्तक्षेप और विभागीय हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ाया गया है और इसलिए सहकारिता आन्दोलन ही इसके द्वारा खत्म हो जायगा और वह जनता का आन्दोलन न बनकर एक सरकारी नीति का और सरकारी आन्दोलन बन जायगा । इस आन्दोलन को आगे ले जाने में, इसको भली प्रकार ऊपर उठाने में, सहकारिता का जनता में विकास होने में सहकारिता विभाग के अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है । रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग का आदर्श क्या होना चाहिए इसकी उन्नति के लिए यह प्रश्न है । वह आदर्श यह होना चाहिए कि सहकारी समितियों के लिए, सहकारिता के आन्दोलन के लिए वह एक मित्र, एक दर्शनिक और एक प्रथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य करे । समिति में सदस्य रहने के आधार पर मैं इस संबंध में अपना कुछ निजी अनुभव भी बताऊंगा लेकिन उस आदर्श को कोई भी अधिकारी चाहे वह विभागीय अध्यक्ष हो या उसके अधीन कार्य करने वाला कोई अधिकारी हो तभी पूरा कर सकता है जबकि उसको सहकारिता आन्दोलन का कुछ अनुभव हो और उसका उसमें विश्वास हो ।

मैं मानता हूं कि मंत्री जी ने पूर्ण रूप से न सही लेकिन वह किसी हद तक एक कामयाब सहकारिता मंत्री हैं क्योंकि उनको स्वयं सहकारिता आंदोलन का और उसको चलाने का निजी अनुभव है। वह खुद भी एक अच्छे कोआपरेटर हैं और अपने जिले में भी वह एक समिति सफलता से चला रहे हैं, लेकिन इस विधेयक के द्वारा जिस रजिस्ट्रार या विभागीय अधिकारी को जो अधिकार दिए जा रहे हैं यदि उसको सहकारिता विभाग का अनुभव नहीं है या उनका सहकारिता में विश्वास नहीं है तो मेरे विचार से वह उस भूमिका को अदा नहीं कर सकता जो उसको अदा करना चाहिए । मैंने प्रवर समिति में सदस्य होने के नाते वहां कुछ अनुभव किए । उस समिति में कुछ ऐसे विद्वान माननीय सदस्य थे जिनको सहकारिता आन्दोलन का अपना निजी अनुभव था और जो

[श्री भीखालाल]

अच्छे कोआपरेटर थे। वहां हम जैसे कम अनुभव वाले भी थे। मैं आशा करता था कि इस समिति में हमारे अनुभवी अधिकारी या रजिस्ट्रार वही भूमिका अदा करेंगे एक मित्र, एक दार्शनिक तथा एक पथ-प्रदर्शक की और कदम-कदम पर कमेटी को सहकारिता के सिद्धांतों के विषय में सलाह देंगे लेकिन मैं बहुत दुख के साथ अपने भूतपूर्व रजिस्ट्रार की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। समिति की जैसाकि मंत्री जी ने बताया १६ बैठकें हुईं, उनमें से १२ बैठकों में वह रजिस्ट्रार साहब उपस्थित रहे, इधर की ४ बैठकों में यह नए रजिस्ट्रार आते थे। इन १६ बैठकों में उनके अधीनस्थ जो एसिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार आते थे उन्होंने अपनी पूरी भूमिका अदा की और समिति को पूरा सहयोग दिया और विशेषरूप से जब समिति ने उनके अधिकारों को कम करने की बात कही तो वह तिलमिला उठते थे और वह अपने विचार औरों तक रखते थे और समिति उन पर विचार करती थी। हमें सचिवालय के सेक्रेटरी तथा डिप्टी सेक्रेटरी ने भी पूरा सहयोग दिया और अपनी राय भी दी लेकिन मुझे दुख है कि १२ बैठकों में से एक बैठक में भी पहले रजिस्ट्रार महोदय एक शब्द भी नहीं बोले और वह केवल एक मूक दर्शक की तरह से वहां बैठे रहे, बल्कि वह अफिसरों की पंक्ति में न बैठकर पीछे बैठे रहते थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रवर समिति में कही हुई बात सदन में नहीं कहनी चाहिए।

श्री भीखालाल—

श्रीमन्, मेरा एक आधार है कि हमारा रजिस्ट्रार कैसा होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरी चीज है।

श्री भीखालाल—

तो श्रीमन्, जैसी आपकी आज्ञा हो, मैं कमेटी की बात नहीं कहूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारा रजिस्ट्रार हमारा पथप्रदर्शन न कर सका, हमको सही परामर्श न दे सका तो मैं समझता हूं कि वह सही तौर पर इस आन्दोलन को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। मैं नहीं कहता हूं कि हमारे भूतपूर्व रजिस्ट्रार साहब को इस विभाग की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि एक बड़ा भारी अमृतधारा का लेबिल "आई० ए० एस०" उनके साथ लगा हुआ था जिसके कारण उनको हर विभाग की जानकारी होना स्वाभाविक है लेकिन इतना अवश्य मैं कह सकता हूं कि या तो उन्हें सहकारिता के आन्दोलन में विश्वास नहीं था या उन्हें इसको आगे चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर हमारा विभागाध्यक्ष इस प्रकार का हो जिसको सहकारी आन्दोलन में कोई विश्वास न हो, कोई दिलचस्पी न हो, तो हमारा यह आन्दोलन आगे नहीं बढ़ सकेगा, बल्कि इसमें नुकसान होगा, रोड़े लगेंगे और नाना प्रकार की रुकावटें पड़ेंगी, जैसा कि हमने आजकल देखा है।

मान्यवर, मैंने यह जनमत के लिए क्यों प्रस्ताव रखा। इसका कारण यह है कि मेरा यह अनुभव है और मैं अनुभव करता हूं कि हमारे प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन, एक आन्दोलन के रूप में अभी नहीं चलाया गया बल्कि एक नीति के रूप में ही चलाया गया है। जब यह आन्दोलन एक नीति के आधार पर चलाया जायगा तो यह सरकार की चीज होगी और जब यह आन्दोलन के रूप में चलेगा तो वह जनता की चीज होगी। हमारे प्रदेश में यह कमी रही है कि इस सहकारिता के आन्दोलन को जनता का आन्दोलन नहीं बनाया जा सका। सरकारी नीति के आधार पर इसको चलाया गया और उसी का कारण है कि हमारे प्रदेश में, बावजूद इसके कि कोआपरेटिव सोसाटीज भी बढ़ गयी हैं, मेम्बर्स की संख्या भी बढ़ गयी है, लेकिन बहुमत सोसाइटीज आज डिफेक्ट पड़ी हुयी हैं, काम नहीं करती हैं। कारण इसका एक

ही है कि सहकारिता का आन्दोलन अभी तक भी जनता का आन्दोलन नहीं बन सका है इसमें सरकारी हस्तक्षेप अधिक हो जाता है जिसकी वजह से ये ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रही हैं। मान्यवर, यह मेरी ही बात नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश में भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने २८ जुलाई, १९६४ को लखनऊ में ही ये शब्द कहे थे कि "मुझे यह अनुभव है कि उत्तर प्रदेश की सहकारिता आन्दोलन में सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक है।" फरवरी, १९६३ में सहकारी मंत्रियों की एक बैठक हुई थी दिल्ली में। उसमें हमारे केन्द्रीय मंत्री जी ने भी ये शब्द कहे थे कि उत्तर प्रदेश के इस आन्दोलन में सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक है। देश के पैमाने पर इसको कम किया जाना चाहिये और सहकारी समितियों को अधिकाधिक जनता के हाथ में सौंपना चाहिये। तो यह हमारा अनुभव है कि सरकारी हस्तक्षेप की वजह से सहकारी आन्दोलन नहीं बढ़ रहा है। इसलिये मान्यवर मैंने यह जनमत का प्रस्ताव सदन में रखा है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की हालत यह है कि हमारे प्रदेश का सहकारिता विभाग, सहकारी समितियों को अपने मातहत समझता है, इन्हें गवर्नमेन्ट की इन्स्टीट्यूशन समझता है और उसी तरह से उन पर अपना हस्तक्षेप करता है, कदम-कदम पर रोडे अटकाता है और अगर किसी सोसाइटी में गबन हो जाता है तो अधिकारी लोग यह कह देते हैं कि यह तो एक आटोनोमस बाडी है लेकिन और सब कार्य-प्रणाली पर कदम कदम पर हस्तक्षेप क्यों होता है। इसका एक ही मूल कारण है और वह यह है कि उन पर सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है। कोई भी गबन सहकारिता विभाग में नहीं हो सकता जब तक सरकारी अधिकारियों की उसमें सांठगांठ न हो, उनका दखल न हो। उनका दखल अगर कम किया जाय तो इतने गबन न हों और अगर होंगे तो जिम्मेदारी एक आदमी पर सौंपी जा सकती है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि सहकारिता विभाग एक प्रकार से उसी तरह फंक्शन कर रहा है जिस प्रकार से पुराने जमाने में कोर्ट आफ वार्ड्स का डिपार्टमेन्ट किया करता था। किसी स्टेट या ताल्लुके में मिसमैनेजमेन्ट हुआ और गवर्नमेन्ट ने उसे अटैच कर लिया और इस प्रकार वह लूट का अड्डा बन जाता था। उसी प्रकार आज सहकारिता विभाग गवर्नमेन्ट एम्प्लाइज के लूट का एक अड्डा बना हुआ है। न जाने कितना पैसा व्यक्तियों को खुश करने के लिये खर्च किया जाता है। यह सब सरकारी अधिकारियों की वजह से होता है क्योंकि पूर्ण रूप से उनका हस्पक्षेप है, जिससे पैसे का दुरुपयोग होता है। यह आन्दोलन हमारा आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटता जा रहा है।

बड़ा दावा किया गया है इस विधेयक में कि यह मौजूदा नीतियों के अनुसार है। आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार है। प्रजातंत्र प्रणाली के अनुसार है। जब इस दृष्टि से हम देखते हैं कि कहां तक यह विधेयक उसकी पूर्ति करता है तो मैं पाता हूं कि इस विधेयक के जरिये रजिस्ट्रार को और राज्य सरकार को असीम अधिकार दिये गये हैं जिससे सहकारिता आन्दोलन में जगह-जगह पर रोड़े लगेंगे। समिति के पैदा होने से लेकर मरने तक रजिस्ट्रार को अधिकार है। रजिस्ट्रार को अधिकार है कि वह किसी भी समिति को रजिस्टर करने से इंकार कर दे, समिति अगर अपने बाईलाज में कोई संशोधन करना चाहे तो रजिस्ट्रार इंकार कर सकता है। रजिस्ट्रार को यह भी अधिकार है कि वह स्वयं समिति की बिना राय के जब चाहे उसके बाईलाज में संशोधन कर दे और उसको कोई अपील नहीं। इसी तरह से रजिस्ट्रार प्रबन्धक कमेटी को नामजद करता है, रजिस्ट्रार समिति को निलंबित कर सकता है, अवक्रान्त कर सकता है। समिति की राय लेने की उसे आवश्यकता नहीं है, अपनी मर्जी से वह उसे सस्पेन्ड कर सकता है, उसे सुपरसीड कर सकता है, वाइंड अप कर सकता है। रजिस्ट्रार जब चाहे एक समिति को दो, या चार टुकड़ों में बांट दे या एक, दो अथवा चार समितियों को एक में मिला दे। इस तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब अधिकार समितियों के संबंध में रजिस्ट्रार महोदय को हैं। कोई विवाद उठता है उसके लिये कई प्रथायें रखी हैं। रजिस्ट्रार के पास वह जायगा। रजिस्ट्रार

[श्री भीखालाल]

वा तो स्वयं उसका निपटारा कर देंगे या आर्बिट्रेटर के पास भेज देंगे और आर्बिट्रेटर के पास से बिना किसी कारण के वापस भी वह ले सकेंगे। इस तरह से राज्य सरकार ने सोसाइटियों के मैनेजमेन्ट में बड़ा भारी हस्तक्षेप किया है। हमने सिद्धान्त माना है जो दफा ४ में है और दूसरी धाराओं में है। एक सदस्य एक वोट का अधिकारी है और समानता का अधिकारी है। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में सरकार का कुछ अंश है तो वह दो सदस्यों को प्रबन्ध समिति में नामीनेट कर सकती है और ६० प्रतिशत से ज्यादा सरकार का अंश है तो दो तिहाई सदस्य सरकार नामीनेट कर सकती है और सभापति भी सरकारी आदमी ही हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी समिति सरकारी समिति होगी या सहकारी समिति होगी ? वह सरकारी समिति होगी। इस तरह से असीम अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिये हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक समिति के मैनेजमेन्ट का सवाल है उसमें भी सरकारी हस्तक्षेप है। जहां तक समिति के संगठन का सवाल है रजिस्ट्रार को अधिकार होना चाहिये। लेकिन जहां तक सुपरवीजन का सवाल है वह एक स्वतंत्र संस्था के हाथ में होना चाहिये। मैनेजमेन्ट में रजिस्ट्रार को और सरकार को दखल नहीं देना चाहिये। लेकिन इसमें संगठन, सुपरवीजन और मैनेजमेन्ट सभी में सरकार का हस्तक्षेप है। कोई अंग छूटा नहीं है जो हम यह कह सकें कि यह जनता का आन्दोलन है। जहां तक सुपरवीजन का सवाल है हमारे पुराने विधेयक में प्रादेशिक कोआपरेटिव यूनियन का प्राविधान है। वह सुपरवाइजरों को नियुक्त करती जो समितियों की देखरेख करते हैं। लेकिन इंसपेक्टर सरकारी मुलाजिम होता था और सुपरवाइजर उसके मातहत काम करता था। इसमें भी उसको स्वतंत्रता नहीं थी। यही कारण है कि आज सहकारी आन्दोलन प्रगति नहीं कर रहा है।

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता श्री रामायणराय पीठासीन हुए)

श्रीमन्, हम लोग देहात में काम करते हैं, इसलिये हम जानते हैं कि किसान किस तरह से परेशान है। उनको कर्जे की दरख्वास्त पर कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। जहां तक सोसाइटी के गठन का सवाल है हर सरकारी कर्मचारी का कर्त्तव्य है कि वह उसमें अपना पूरा-पूरा सहयोग दे। लेकिन वह किसानों को जाकर समझाता नहीं है। लेकिन जब सोसाइटी का काम आगे चलने लगता है तो उसमें रोड़े अटकाये जाते हैं। देहात में प्राइमरी सोसाइटीज हैं जो किसानों को कर्जा देती हैं। लेकिन कर्जों की मंजूरी में बड़े बड़े रोड़े अटकाये जाते हैं और महीनों किसानों को दौड़ना पड़ता है। सरकारी हस्तक्षेप की वजह से जितने पुछल्ले लगते हैं उससे किसान की श्रद्धा सहकारी आन्दोलन के ऊपर से उठती जा रही है। किसान जब फंस जाता है तो कहता है कि किसी तरह से इससे पिन्ड छूटे।

आज माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने देवरिया का एक प्रश्न उपस्थित किया था। वह केवल देवरिया में ही नहीं है बल्कि सारे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। सदस्य सोसाइटियों से कर्जा लेंगे तो १० प्रतिशत उनको रासायनिक खाद लेनी पड़ेगी। पिछली साल सरकार ने ३३ फीसदी का निर्णय किया था, लेकिन विरोध करने पर दस फीसदी कर दिया गया। एक तरफ तो सहकारी आन्दोलन बढ़ाने के लिये कहा जाता और दूसरी तरफ यह हालत है। इसके लिये जरूरत है कि किसानों को प्रोत्साहन दिया जाय, उनको कुछ इनसेंटिव दिया जाय। लेकिन हमारी सहकारी समितियों को सरकारी हस्तक्षेप प्रोत्साहन देने के बजाय हतोत्साहित करता है। जिस समय रासायनिक खाद का प्रश्न उठा, मैंने माननीय मंत्री को पत्र भी लिखा कि सहकारी विभाग से किसानों को जो खाद दी जाती है उसमें किसानों का नुकसान है। जो रासायनिक खाद ब्लाक से मिलती है उसका साढे पांच फीसदी सूद देना पड़ती हैं और सहकारी समितियों में कर्जे में जो रुपया काट दिया जायगा उसमें पौने नौ फीसदी सूद देना पड़ेगा। तो कौन काश्तकार साढे पांच फीसदी के बजाय पौने नौ फीसदी सूद देना पसन्द करेगा ? लेकिन जब यह प्रश्न उठा तो सरकार ने सूद का

रेट घटाने के बजाय साढे पांच फीसदी के तकावी की दर बढ़ा कर पौने नौ फीसदी कर दी। यह प्रोत्साहन है। सरकार चाहती है कि सहकारिता आन्दोलन आगे बढ़े। कैसे बढ़ सकता है? सभी को मालूम है कि पानी नहीं बरसा है। जिन्होंने खाद ली है वह रक्खी है। लेकिन किसानों को खाद लेने के लिये मजबूर किया जाता है। सुपरवाइजर हैं और उसके कुछ दलाल हैं जो काश्तकारों को लूटते हैं और उनके ऊपर जबरदस्ती खाद मढ़ दी जाती है। काश्तकार कहता है कि हमको खाद नहीं, रुपया चाहिये। तो सुपरवाइजर कहता है कि तुमको २० रु० की खाद लेनी है इसलिये २० रुपये के बजाय १६ रुपये ले लो। काश्तकार बेचारा ४ रुपये घाटा उठाकर १६ रुपये ले लेता है। इस तरह से किसानों को लूटा जाता है।

मान्यवर, इसी तरह से सोसाइटियों में कर्जे की अदायगी में बंग्लिंग होती है, बुक ट्रांस्फर के नाम पर। कर्जा दिया गया, न वापस किया गया, लेकिन सब लिख दिया गया। इधर से आया उधर कर दिया, बीच में लोगों ने मुनाफा कमा लिया। इस चीज को रोकने की आवश्यकता है।

इस विधेयक में दो संस्थायें बना दी गयी हैं। एक अथारिटी बना दी गयी है जो कर्मचारियों को तैनात करेगी। दूसरी फेडरल अथारिटी बना दी गयी है जो सुपरविजन करेगी। सुपरविजन का काम बिलकुल रजिस्ट्रार के अंकुश के नीचे होगा। इसके माने यह है कि सुपरविजन का काम जो जनता का हस्तक्षेप था वह बन्द कर दिया गया। जो कर्मचारियों को नियुक्त करने का काम है वह भी सरकार के हाथ में है और सुपरविजन भी पूरे तौर से सरकार के हाथ में है। इस प्रकार यह विधेयक पुराने विधेयक से भी कुछ हद तक पीछे गया है। इसलिये आवश्यकता है कि इन प्राविधानों को बदला जाय। सरकार का हस्तक्षेप कैसे बन्द किया जाय इसमें जनता की राय जानने की आवश्यकता है। चूंकि सरकार एडामेन्ट है, तुली हुई है कि हम अपना हस्तक्षेप बनायें रखेंगे। सरकारी आदमियों का हस्तक्षेप बरकरार रखेंगे, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज कहना पड़ता है कि ये सहकारी संस्थायें आज राजनैतिक अड्डे बनी हुई हैं, राजनीति का मंच बनी हैं, इनके जरिये राजनीति फैलाई जाती है और जो सरकारी पक्ष के लोग इन पर हावी हैं वे चाहते हैं कि इन पर सरकारी हस्तक्षेप अधिक से अधिक बना रहे, जिससे उनके स्वार्थ की सिद्धि होती रहे। वे अपने अधिकारों और हस्तक्षेप में तनिक भी ढील पसन्द नहीं कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि यदि यह संस्थायें जनता के हाथ में चली जाएंगी तो यह अड्डे समाप्त हो जायेंगे और वह राजनैतिक लाभ नहीं उठा पायेंगे। इसी दृष्टिकोण से मैंने यह संशोधन रखा है कि इसे जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये, जिससे जनता की राय मालूम हो सके कि वह कैसा कानून चाहती है? क्या और कितने अधिकार सरकारी अधिकारियों को देना चाहती है और किस तरह के नियमों को बनाकर वह इस जन आन्दोलन को अधिक से अधिक सफल बनाना चाहती है। यह एक जनता का आन्दोलन है, इसलिये यह जनता के द्वारा ही उनकी पूर्ण सहमति से चलना चाहिये।

न्याय और अपीलों के संबंध में जो सरकार को अधिकार हैं वह भी बहुत व्यापक हैं। इसके बारे में यह है कि अगर सहकारी समितियों के मामलात में विवाद उठे तो उनका कैसे फैसला हो? तो इसके लिये दो तरीके रखे गये हैं। एक तो है सरकारी और दूसरा है गैर-सरकारी। गैर-सरकारी तरीका यह है कि मध्यस्थ होंगे और न्यायाधिकरण होंगे। जो विवादों का निपटारा करेंगे। सरकारी तरीका यह है कि रजिस्ट्रार और राज्य सरकार इस कार्य को करेगी। मध्यस्थ जो निर्णय करेंगे उसकी अपील हो सकती है, सरकार के पास भी हो सकती है। लेकिन अधिकतर मामलात में आखिरी फैसले का अधिकार या तो रजिस्ट्रार के हाथ में है या सरकार को है। न्यायाधिकरण या ट्रिब्युनल के हाथ में अन्तिम अधिकार देने में सरकार तैयार नहीं है। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि जहां विवाद उठे, मध्यस्थ को सौंपा जाये, जितने भी विवादग्रस्त मामले रजिस्ट्रार के पास आयें, उन्हें वह सीधे मध्यस्थ के पास

[श्री भीखालाल]

भेज दें और मध्यस्थ फैसला करें। क्या जरूरत है इस प्राविधान को रखने की कि मध्यस्थ को भेजने के बाद भी रजिस्ट्रार यदि उसे चाहे तो वापस ले सकता है और अपना निर्णय दे सकता है। क्या जरूरत है कि अपील हो राज्य सरकार के पास, ट्रिब्युनल के पास क्यों न हो? रजिस्ट्रार के किसी निर्णय के खिलाफ अपील राज्य सरकार के पास हो सकती है, तो मैं रजिस्ट्रार और राज्य सरकार जिसका अर्थ केवल विभागीय सेक्रेटरी हो उसमें कोई अन्तर नहीं समझता हूं क्योंकि दोनों ही अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच से संबंधित हैं। इसको आप जरा गंभीरता से सोचें। अगर माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा समय हो और वह रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध अपीलों को सुने तो मुझे अवश्य थोड़ा सा सन्तोष हो सकता है। लेकिन यदि यह अधिकार सेक्रेटरी के हाथ में रहेगा तो उससे कोई अन्तर नहीं आने वाला है और मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में माननीय मंत्री जी को इतना समय ही कहां है। आज की परिस्थिति में तो उन्हें दिल्ली जाने आने से ही फुर्सत नहीं है। प्रायः रोज तो उन्हें दिल्ली जाना होता है, तो वह वहां कैसे समय दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह कार्य सेक्रेटरी के हाथ में रहेगा और रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी के फैसले में कोई अन्तर नहीं होगा और इससे तनिक भी न्याय जनता को मिलने वाला नहीं है। मान्यवर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिसकी वजह से....

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पान्डेय)—

यह काम मंत्री जी के पास आने के लिये कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री भीखालाल—

ठीक ही, बिलकुल ठीक आप कह रहे हैं। मंत्री जी के पास कहां समय है कि वह अपीलें सुनें, जिससे जनता को न्याय सुलभ हो। क्योंकि मंत्री जी तो आज जनता के मंत्री और उनके प्रतिनिधि नहीं रह गये हैं। इसलिये उनके पास आने की जरूरत नहीं है। जो कुछ है वह सरकारी कर्मचारियों और नौकरशाही के हाथों में आने की जरूरत है। इसलिये मान्यवर, यदि हमको अपने देश में जनतान्त्रिक नीतियों के अनुसार ऐसी नीतियों को बनाना है, अपनी राजनैतिक नीतियों के अनुसार उसे बनाना है, हमने जो लक्ष्य घोषित किया है कि हम समाजवाद की तरफ जायेंगे, उस घोषित लक्ष्य के अनुसार हमको इस नीति को चलाना है और अगर इस आन्दोलन से उन लक्ष्यों की पूर्ति कराना है तो हमको इस आन्दोलन में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप को कम करना पड़ेगा, जनता के हाथों में इस आन्दोलन को देना पड़ेगा ताकि यह आन्दोलन सही रूप से जनता का आन्दोलन बन सके। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि किस तरह से जनता का सहयोग इसमें हो और यह उसका ही आन्दोलन बने, इसके लिये जनता की राय ली जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने रखी हैं और उनके अतिरिक्त और भी तर्क रखे जा सकते हैं, उन सब चीजों को देखते हुए इस संशोधन को स्वीकार किया जायगा।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को पुनः प्रेषित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन १ मास के भीतर दे।

श्रीमन्, मूल रूप में जब यह विधेयक आया था और जिस रूप में आज है उनको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। हमारे प्रदेश और देश के अन्दर कैपिटलिज्म का जोर चल रहा है और गरीबी अमीरी का गैप बहुत बढ़ा है। हमें यह उम्मीद थी यह विधेयक प्रवर समिति से लौटने के बाद सोशलिज्म, जो हमारा लक्ष्य है, का आयना होगा लेकिन शुरू से आखिर तक इसमें कहीं सोशलिज्म का नामोनिशां तक नहीं है। इसको अगर सहकारी के स्थान पर सरकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधेयक कहा जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें दो राय नहीं होगी। अभी माननीय भीखालाल जी ने बताया कि किस तरीके पर यह उम्मीद टूट गयी है। हमें उम्मीद थी कि सहकारिता के आधार पर लोगों में जागृति आयेगी और कोआपरेटिव आधार पर वह व्यवस्था होगी जिससे गरीबी मिटेगी और हर आदमी की जरूरतों की पूर्ति होगी लेकिन इस व्यवस्था को देखने से मालूम होता है कि सेलेक्ट कमेटी में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कर्मचारियों को जो फायदा अपने डिस्प्यूट्स के बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस ऐक्ट से मिलता था, उससे भी उनको महरूम कर दिया गया है।

वैसे इसमें है कि जनरल बाड़ी का निर्णय अन्तिम होगा लेकिन उद्देश्य और कारणों के अनुसार ८ किस्म के परिवर्तन किये गये हैं। पहला यह कि सहकारी समिति के प्रबन्ध में गैर-सरकारी व्यक्तियों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। दूसरा, सभापति का निर्वाचन सदस्यों में से होगा। लेकिन इसमें ही ऐसा प्राविधान आपको मिलेगा जिसके द्वारा जनता से गारन्टी दिये हिस्से, कर्जे और अदायगी के बारे में समिति के २/३ हिस्से तक जो सदस्य होंगे उनको नामिनेट करने का अधिकार सरकार को है और यह भी पावर है कि जो अध्यक्ष होगा उसको सरकार नामिनेट करेगी लेकिन इसके साथ-साथ यह भी मैं देखता हूं कि सरकार इस हद तक पहुंच गई है कि प्रेसीडेन्ट या जो सभापति होगा या चेयरमैन होगा उसको भी नामिनेट करेगी ही। पर उस चेयरमैन के स्थान पर किसी सरकारी अधिकारी को भी सरकार बिठा सकती है। तो मैं यह समझता हूं कि एक तरफ सरकार यह कहती है कि हम नान-आफिशियल बाड़ी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और ऐसे लोगों को भी चेयरमैन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि यह सरकार सरकारी अधिकारियों को भी चेयरमैन का पद देने जा रही है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस धारा ३४ के अन्दर यह दिया है कि सरकार प्रबन्ध समिति में सरकारी सेवक को भी सभापति के पद पर बिठा सकती है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि उनको हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं और हर मामले में नान-आफिशियल अपने मन के मुताबिक जिस तरह से उनका भला हो, कोआपरेटिव सोसाइटी का भला हो, या सदस्यों का भला हो उसके आधार पर कार्य कर सकें और उसको ले जायं और किसी तरह से उसमें सरकारी हस्तक्षेप न हो तो उस वक्त अगर सरकार अधिकारी को चेयरमैन बनाती है या प्रेसीडेन्ट बनाती है तो मैं समझता हूं कि यह किसी तरीके से उचित नहीं होगा। श्रीमन्, सहकारिता का यह सिद्धान्त है कि वह वालन्टरी एसोसियेशन होना चाहिये तो जहां तक वालन्टरी एसोसियेशन का संबंध है इसमें हर आदमी को यह अधिकार होना चाहिये कि वह ऐसी किसी भी कोआपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर हो सके, लेकिन हम यह देखते हैं कि कोई भी आदमी या मेम्बर या सदस्य होना चाहता है तो सदस्य बनने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि रजिस्ट्रार साहब की मर्जी उसके साथ हो। अगर रजिस्ट्रार साहब चाहेंगे तो तभी वह मेम्बर हो सकता है और अगर नहीं चाहते हैं तो वह मेम्बर नहीं हो सकता है.....

श्री बनारसीदास—

यह कहां पर लिखा है ?

श्री कमलासिंह यादव—

वह किसी आदमी को हटा सकता है और जो कोआपरेटिव सोसाइटी होगी उसके रजिस्ट्रेशन को भी इन्कार कर सकता है। इन दोनों बातों से मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि वह ऐसा कर सकता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर कोई डिस्क्वालिफिकेशन रखी है ? चाहे आप मद्रास के ऐक्ट को ले लीजिये, चाहे आप बम्बई के ऐक्ट को ले लीजिये, और चाहे पंजाब के ऐक्ट को ले लीजिये, किसी भी ऐक्ट के अन्दर कोई एसी कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं है जिसमें एडल्ट के अलावा नाबालिग

[श्री कमलासिंह यादव]

पागल के सदस्य बनने की व्यवस्था हो लेकिन यह विधेयक ऐसा है जिसके अन्दर नाबालिग पागल लोगों को भी मौका दिया गया है कि वे इसके अन्दर सदस्य हो सकें। एक बात म अवश्य मानता हूं कि अगर कृषि सहकारी समिति है तो वहां पर चूंकि ओनरशिप का सवाल है तो वहां पर माइनर भी मेम्बर हो सकता है या भूमि का मालिक हो सकता है। इसी तरीके से एक आदमी जो उसका मालिक हो, वह हो सकता है जो बाद में पागल हो गया या पहले पागल हो गया हो। तो ऐसे मामलों में जहां तक भूमि का संबंध है, जो लोग भूमि के मालिक हैं ऐसे लोग भी कृषि सहकारी समिति में मेम्बर हो सकते हैं और उनको अगर यह अधिकार दिया जाय तो कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थिति हमारे प्रदेश में चल रही है जमींदारी विनाश के बाद यह देखा गया कि जिसके पास बहुत ज्यादा भूमि थी उन्होंने अपने नाबालिग लोगों के नाम से या अपने घरवालों के नाम से लेकर ज्यादा से ज्यादा भूमि हड़पने की कोशिश की है। नतीजा यह हुआ कि सीलिंग के अन्दर ऐसी चीजें नहीं हो सकीं और यही व्यवस्था रही जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के अन्दर बतलाया है कि एक ही खानदान के लोगों ने ट्रांसफर आफ प्रापर्टी के जरिये अपनी एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना ली। तो हम चाहते हैं कि आज इसके प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है कि एक ही खानदान के लोग आपस में मिल कर कोई कोआपरेटिव सोसाइटी न बना लें बल्कि बाहर के लोग भी जो उस खानदान के न हों, वे अधिकाधिक तादाद में आ सकें और इसके सदस्य बन सकें। वे माइनर और....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमलासिंह जी, आपका ऐसा विचार था कि कोई भी पागल और नाबालिग आदमी उसका सदस्य हो सकता है। जहां तक सदस्यता का सम्बन्ध है, इसमें जो व्यवस्था की गयी है, उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो इसमें लिखा है—

"१७ (१) (क)—धारा १८ की उपधारा (४), धारा ८० तथा धारा ८१ की उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार वयस्क हो तथा जो स्वस्थ चित्त का हो और अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार संविदा करने के लिये जनहित न हो।"

इस तरह से मैं ऐसा समझता हूं कि विधेयक में जो व्यवस्था की गयी है उस व्यवस्था के सम्बन्ध में ही आप अपने विचार व्यक्त करें तो ज्यादा हितकर होगा।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मेरे विचार स्पष्ट हैं। जहां तक धारा ८० का सम्बन्ध है वह फार्मिंग सोसाइटी के बारे में है। उस धारा को पढ़ें तो उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि आप आगे उन धाराओं को भी पढ़ लें तो स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो जायगी।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, धारा १८ (४) को भी पढ़ लें तो स्पष्ट हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने सब धाराओं को देखा है।

श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक इस कोआपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट का सम्बन्ध है, होना यह चाहिये कि इसमें सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो या बिलकुल ही सरकारी हस्तक्षेप न हो तो उससे बढ़ कर कोई अच्छी बात नहीं होगी। धारा ३४ के अन्दर इस विधेयक में सरकारी हस्तक्षेप

यहां तक बढ़ गया है कि रजिस्ट्रार चेयरमैन तक को नामिनेट कर सकता है। जैसा कि माननीय भीखालाल जी ने कहा, रजिस्ट्रार को इतना बड़ा अधिकार दिया गया है कि वह जिसको चाहे उसमें रख सकता है जो उसके मन का आदमी हो। एक बात अवश्य है कि शेयर का खयाल न करते हुए जितने भी सदस्य कोआपरेटिव सोसाइटी के होंगे उनको वोट देने का अधिकार है और चेयरमैन द्वारा यदि सब मामले तय हो जाते हैं तो अच्छी चीज है। लेकिन अक्सर देखा यह जाता है कि जितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके अन्दर पार्टीबाजी बहुत है और कहीं-कहीं यह भी देखा जाता है कि धर्म और जाति के नाम पर भी नाजायज फायदा उठाया जाता है। अगर शुरू से आखिर तक कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के प्रोग्रेस को देखा जाय तो आप देखेंगे कि सन् १९५० से १९५२ के अन्दर जो लोग भी अधिकार के पद पर या कोआपरेटिव सोसाइटी में आये वे ही आज भी हैं और नतीजा यह है कि कुछ थोड़े लोगों की मोनोपोली बनती जा रही है और मोनोपोली होने के कारण वे खामियां जिनको हम दूर करना चाहते थे, वे दूर नहीं हो सकी हैं और उनका पर्दाफाश भी नहीं हो पाता है।

जहां तक कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स का सवाल है, अगर आप जिलों में जायं तो यह देखा जाता है कि जितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनके जो मेम्बर्स हैं या डाइरेक्टर्स हैं वे भी जिले के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की स्वीट विल के ऊपर ही होते हैं। कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स जिसको चाहें उसको वोट मिले और जिसको न चाहें उसको एक मिनट के अन्दर दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दें। यहीं तक नहीं, और भी बहुत सी बातें हैं।

आज कहा जाता है कि हम खाद दे रहे हैं ताकि लोगों की आर्थिक और सामाजिक अवस्था हर तरीके से सुधर सके। लेकिन अगर आज आप गांवों के अन्दर चले जायं जहां कि कोआपरेटिव या प्राइमरी सोसाइटीज हैं तो यह अगर ब्लाक के अन्दर चले जाइये तो मैं समझता हूं कि वहां आप को सैकड़ों लोगों की दरख्वास्तें मिलेंगी खाद के लिये और उनके नाम से पया वहां दर्ज है। इस प्रकार से वहां के सरपंच और खजांची रुपया लेकर आते हैं और अपने-अपने नाम से बांट लेते हैं जिससे उचित व्यक्ति को उचित समय पर रुपया नहीं मिल पाता और परिणाम यह होता है कि उसका दुरुपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक खामी यह भी है कि सरपंच जब जाते हैं तो उनको सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है और इसके लिये एक लिमिट है। तो यह रिकमेंडेशन एक ऐसी चीज है कि जिसकी आड़ में प्राइमरी सोसाइटियों की राह में रोड़ा अटकाया जाता है। नतीजा यह होता है कि उनको बार-बार दौड़ना पड़ता है और वे घूस देने के लिये मजबूर किये जाते हैं। इससे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

दूसरे गल्ले वगैरह के बारे में देखा जाता है कि जिनके पास गल्ला बाकी है और अगर उनको १२ रुपये मन के हिसाब से देना है और बाजार भाव १६ रुपये मन है तो वह कुछ रुपया दे देता है और उसकी इंट्री हो जाती है और बीच का डिफरेंस का पैसा सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर मिल कर खा जाते हैं। वह उनकी जेब में चला जाता है। इस तरह की व्यवस्था में प्राइमरी सोसाइटियां कामयाब नहीं हो रही हैं। मैं तो अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि अगर सही माने में विभाग इसके लिये कोशिश करें, रियलाइजेशन की कोशिश करे तो आज जितना पैसा आपका दिया हुआ है उसका बीस फीसदी भी आप वसूल नहीं कर पायेंगे। तो इन चीजों को दूर करने के लिये इस विधेयक में कोई ऐसा प्राविजन नहीं है कि उनकी यह दिक्कतें दूर हों और सही आदमी को पैसा समय से मिल सके। जब तक इसकी व्यवस्था न होगी, मैं समझता हूं कि कोई भी सहकारी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता। दूसरी बात सेल्फ हेल्प और इंडिविजुअल हेल्प के बारे में है। एक तरफ कैपिटलिस्ट अपने रुपये के बल पर बड़े-बड़े रोजगार करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो गरीब जिसके पास कोई सहारा नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जिसकी आर्थिक और सामाजिक हालत दयनीय है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमें इन लोगों को ऊपर उठाने के लिये

[श्री कमलासिंह यादव]

कोई व्यवस्था करनी चाहिये वे ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जहां तक इस बिल का संबंध है, इसमें लोन देने की व्यवस्था की गयी है, लेकिन वह एक चाल है। यह विधेयक उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचायेगा जिनके पास रुपया लौटाने की ताकत है। जिसके पास पैसा नहीं है हमें उसको ऊपर उठाना है, उनके लिये व्यवस्था करनी है, लेकिन उनके लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। जिनके पास अपनी जिन्दगी बसर करने का कोई सहारा नहीं है, उनके लिये इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसके अन्दर भी हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां पब्लिसिटी के लिए, जैसा कि मद्रास में विभाग है कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पब्लिसिटी यूनियंस होती हैं। वह रजिस्टर्ड बाडी होती हैं और वह आर्गेनाइज करती हैं, असिस्ट करती हैं और डेवलप करती हैं और रजिस्टर्ड सोसाइटीज के काम को सुपरवाइज करती हैं और कोआपरेटिव प्रिंसिपल्स का प्रोपेगेंडा करती हैं। जनमत के दिलों में सहकारी सिद्धान्तों की ओर भावना पैदा उससे होती है। जैसा कि आज चीन और रूस में हम देखते हैं कि जबरदस्ती ऐसी प्रेरणा लाई जा रही है उसको जबरदस्ती न लाकर बल्कि उनको समझा बुझा कर कर एक अच्छी दशा में लाने के लिये यह डिपार्टमेंट है। हालांकि विधेयक के अन्दर दिया हुआ है कि ऐसी चीजें स्थापित की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिये कोई स्पष्ट व्यवस्था इस विधेयक के अन्दर विस्तृत रूप से नहीं दी गयी है जिससे लोगों को फायदा हो सके।

जहां तक डिस्ट्रिब्यूटिंग सोसाइटीज का सवाल है जो कि अपने सदस्यों के लिये सामान को खरीदती है और दूर से ला-ला कर देती है, इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। तीसरे, मार्केटिंग सोसाइटीज अलग बनायी गयी हैं, लेकिन इस विधेयक में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिससे कोआपरेटिव सोसाइटीज के सदस्य अपने से पैदा की हुई चीजों को मार्केट में ले जाकर बेच सकें और अच्छी से अच्छी कीमत ले सकें। एक सर्विस सोसाइटी भी है। वह मेम्बर्स के लिये उधार देने की व्यवस्था करती है। जिस सामान की उनको जरूरत होती है उसको मुहइया करके लोगों को उचित कीमत पर देने की व्यवस्था करती है। ऐसी भी कोई व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है।

अब जो सही रास्ते हैं जिनके जरिये हम कोआपरेटर्स को फायदा पहुंचा सकते हैं या सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी व्यवस्था इस विधेयक के अन्दर नहीं पाते हैं।

जहां तक अपिलेट ट्रीब्यूनल का सवाल है, जब झगड़े होते हैं तो रजिस्ट्रार के बारे में कहा गया है कि रजिस्ट्रार या तो खुद देखेगा या उनको आर्बिट्रेशन में भेजेगा और उसकी अपील के लिए भी टिब्यूनल का जिक्र किया गया है लेकिन ट्रीब्यूनल के बारे में जो अपने हाथ में अधिकार लिया है कि किस आदमी की ट्रीब्यूनल अप्वाइंट करेगी, इसके बारे में सरकार को स्पष्ट होना चाहिए कि वह ऐसे आदमी होने चाहिए जो जुडीशियल आफिसर्स की सिविल जज से नीचे के न हों। ऐसे जुडीशियल लोगों के आने पर ठीक इंसाफ हो सकेगा और जिन शंकाओं से हम उनको देखते हैं वह भी दूर हो सकती हैं। इसी के साथ साथ श्रीमन्, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट भी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिये। उसके लिये इस विधेयक में प्राविधान होना आवश्यक है।

एक बात श्रीमन्, मैं रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के बारे में और कहना चाहता हूं। रजिस्ट्रार के पद पर ऐसे आदमी को होना चाहिये जो कोआपरेटिव का तजुर्बा रखता हो या उसमें दक्ष हो या उसकी कोई उपाधि प्राप्ति किये हुये हो। माननीय भीखालाल जी ने जो इस संबंध में अपना मत व्यक्त किया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। यह हो सकता है जिस समय यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी के सामने रखा गया हो उस समय रजिस्ट्रार से कोई पूछताछ न की गयी हो। लेकिन देखना तो यह होगा कि जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत है उसमें क्या कोई खामी है? माननीय भीखालाल जी द्वारा अगर कुछ सुझाव दिये गये होते, या उनके द्वारा कुछ संशोधन पेश किये गये होते, तो मैं उसको समझ सकता था, लेकिन कोई संशोधन उनके द्वारा नहीं आया।

इसलिये मैं चाहता हूं जहां तक रजिस्ट्रार का सवाल है, उसे एक ऐसे आदमी को होना चाहिये जो इस विभाग से संबंध रखता हो, उसकी इसके बारे में जानकारी हो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोआपरेटिव का अध्ययन करने के लिये अगर किसी को विदेश में भेजा गया है तो उसकी वापसी पर उसे उस विभाग में न रख कर, दूसरी जगह भेज दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि जो रुपया उसके ऊपर खर्च होता है और जिस काम के लिये होता है वह व्यर्थ जाता है। यह सदन और सरकार उससे वह फायदा उठाने से महरूम रह जाता है जिसे उसे उठाना चाहिये। जहां तक सहायक रजिस्ट्रार का संबंध है, मैं चाहूंगा कि जो लोग इस विभाग में बहुत दिनों से कार्य कर रहे हों, या इस कार्य में दक्ष हों, उनको ऐसे स्थानों पर रखा जाना चाहिये ताकि उनके तजुर्बे से कुछ फायदा हो। मैं माननीय भीखालाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक की खामियों की ओर सदन का ध्यान दिलाने की कोशिश की। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को पुनः ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को भेजने की कृपा करें।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, जो विधेयक इस सदन में इस टर्म में प्रस्तुत किया गया है, वह एक महत्व का बिल है। इससे इस प्रदेश के करोड़ों इन्सानों की जिन्दगी और मौत का संबंध है। इस विधेयक का आधार माडेल कोआपरेटिव बिल १९५८ है। लेकिन १९५८ से १९६५ तक इस विचार में बहुत से परिवर्तन हुये हैं। सच तो यह है कि आजादी के बाद सहकारिता की तरफ देश का विशेष रूप से ध्यान गया है। और इस विचार ने अच्छी खासी प्रगति की है। उस बिल को बनाने के बाद भी एक साल के अन्दर ही केन्द्रीय सरकार को यह लगा कि यह बिल पुराना हो गया है चुनांचे १९५९ में उन्होंने कोआपरेटिव बिल जारी किया उसकी वैकुन्ठ मेहता कमेटी बनी सन् १९५८ में जिसकी रिपोर्ट सन् ६३ में शाया हुई और फिर आखिरी मिनट तक कमेटी बैठी जिसकी रिपोर्ट अभी पिछले हफ्ते पेश हुई थी। तो ये सब कमेटियों की रिपोर्ट्स और नेशनल कोआपरेटिव यूनियन्स के विचार आधारभूत तो हैं बिल के और कम से कम इस बिल के होने चाहिये क्योंकि बिल जिस शक्ल में इस सदन के सामने पेश हुआ है मुझे डर है कि वह देश की आवश्यकताओं को पूरा कर नहीं सकता। आश्चर्य न होगा कि उससे सहकारी आन्दोलन को कुछ क्षति पहुंच जाय। मान्यवर, सहकारिता का आरम्भ क्रेडिट कोआपरेटिव से हुआ, कर्जा देने से शुरू हुआ और बिल तो सन् १९१२ में बना पर यह सन् १९०० से शुरू हो गया और आज उत्तर प्रदेश इस बात का गौरव कर सकता है कि हमारे यहां सब प्रान्तों से ज्यादा सहकारी समितियां हैं और सब प्रान्तों से ज्यादा मेम्बस हैं लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी त्रुटियों को भी खुद गौर से देखें ताकि वे त्रुटियां दूर करने का साधन यह बिल बन सके।

मान्यवर, सहकारी समितियां हमारे यहां बहुत ज्यादा हैं लेकिन जो कर्जा है प्रति व्यक्ति, उसकी मात्रा बहुत कम है औरों के मुकाबले में। गुजरात में यह कर्जा ४४५ है और उत्तर प्रदेश में १७५ है और यू० पी० की पोजीशन तमाम भारतवर्ष के प्रान्तों में से १० वीं है। ४–५ प्रान्त हमसे नीचे हैं और बाकी सब अच्छे हैं। मैम्बरशिप में भी हमारी प्रगति बहुत बढ़िया नहीं है। मद्रास में जितने किसान हैं उनका ५८ फीसदी वहां मैम्बरशिप है और उत्तर प्रदेश में केवल २९ फीसदी है और इस मामले में भी हमारी पोजीशन सातवीं है। केवल एक चीज में हमारी पोजीशन अच्छी है वह बकाया की वसूलयाबी में। उसमें एक ही प्रान्त खराब है हमसे। बकाया है ही कहां जिसकी वसूलयाबी हो। इसके बाद फिर वह प्रणाली जिसकी चर्चा माननीय भीखालाल ने की उसका बहुत जोर है इस प्रदेश में वह है रुपया दो और लो, जिसके पास ६ रुपये सैकड़ा सूद देने को है वे लेते हैं। असल प्वाइन्ट तो यह है कि इस कर्जे के सम्बन्ध में अन्दाजा यह होना चाहिये था कि कितने कर्जे की आवश्यकता है। वैसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फूलसिंह]

तो रूरल क्रेडिट सर्वे हुआ पर उसने यह अन्दाजा लगाया कि कर्जा हो कितना जिससे खेती की प्रगति हो। खेद की बात है कि ऐसे कोई आंकड़े निश्चित रूप से अभी तक अवेलेबिल नहीं हैं। दो आंकड़े हैं इसके। एक तो सेकेंड फाइव ईयर प्लान के अन्त में यह रिपोर्ट हुई थी कि ७ सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। तो उस हिसाब से अब ११ सौ करोड़ हो जाता है और ४ सौ करोड़ के करीब टी एस्टेट और काफी एस्टेट का मिला कर १५ सौ करोड़ हो गया। उसमें अब अगर मंहगाई मिला लें तो दो हजार के करीब बैठ जायगा और इसीलिये यह जो दूसरी रिपोर्ट है वह सही है, वह यह है कि २ हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है खेती को अच्छी तरह चलाने के लिए। मान्यवर, अगर ५० रुपया एकड़ भी दें किसानों को खेती चलाने के लिये तो केवल उत्तर प्रदेश में ही २०० करोड़ रुपया सालाना चाहिये। अब इससे अन्दाजा लगा लें कि कितना कर्जा मिलना चाहिये था खेती के लिये और कितना यह सहकारी समितियां दे पाती हैं। यह रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने यह तय किया १९५४ में कि ३.११ प्रतिशत क्रेडिट सहकारी समितियां देती हैं और बाकी तो गवर्नमेंट देती है या कुछ साहूकार देते हैं। फिर दोबारा जो सर्वे हुआ उसमें ये आंकड़े १५ प्रतिशत आये और मौजूदा पोजीशन यह है कि बीस से बाईस प्रतिशत रुपया किसानों को सहकारी समितियां दे पाती हैं। सूद की दर की चर्चा भी माननीय भीखालाल ने की। उसमें दिलचस्प बात यह है कि सूद की दर जो सहकारी समितियां कर्ज लेती हैं वह तो एक ही है लेकिन यहां की दर और प्रदेशों के मुकाबिले में ऊंची है। तमाम प्रदेशों के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, मगर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दर है कोआपरेटिव के सूद की और प्रान्तों में कम है। बहरहाल इन सब बातों से निश्चय यह हुआ कि सहकारी विभाग ने, जो दो बड़ी आवश्यकतायें थीं किसान की वह दोनों अभी तक पूरी नहीं की हैं—किसान को साहूकार के चंगुल से बचाना और कर्जे की दर कम करना। दोनों बातों में कोई फर्क नहीं पड़ पाया। उल्टे और कर्जा बढ़ गया और सूद बढ़ गया। लेकिन सहकारी विभाग पर काफी रुपया खर्च हुआ है। कोई दो साल हुए एक सेमिनार हुआ था दिल्ली में और उसकी रिपोर्ट में दिया है कि सहकारी विभाग को जो इमदाद मिली है उसका ज्यादा नफा प्रान्तीय स्तर की संस्थाओं को पहुंचा है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं वह उसका प्रमाण हैं। किसान तक वह रुपया पहुंचने में बड़ी दिक्कतें हैं।

मान्यवर, अभी जो हमारी तीसरी पांच साला योजना है इसमें ५३० करोड़ रुपया तो शार्ट ऐंड मीडियम टर्म लोन के लिये होना चाहिये था और १५० करोड़ रुपया लांग टर्म लोन के लिये होना चाहिये था। यह खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश में पारसाल तक ढाई करोड़ रुपया बांटा गया है। इसमें दो बातें हैं। एक तो टारगेट कहीं नीचा है। चौथी पंचवर्षीय योजना का टारगेट ६०० करोड़ का है। चौथी योजना में एक टारगेट मार्केटिंग का भी है। उसके लिये चौगुने रुपये की आवश्यकता है। जहां इतना कम रुपया हम दे पाते हों उससे किसान का क्या फायदा होता है? यह तो मैं टारगेट की बात कर रहा हूं लेकिन असलियत में रुपया टारगेट से भी कम बंटता है। इस दृष्टि से किसान को जो सबसे बड़ी दिक्कत थी उसे हल करने में सफल अभी नहीं हुये हैं। सहकारिता के साथ-साथ में दो बातों की चर्चा और करना चाहता हूं जो इससे संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियां जो बड़ी-बड़ी हैं, जैसे कोआपरेटिव फेडरेशन, कोआपरेटिव यूनियन, कोआपरेटिव बैंक और मार्टगेज बैंक, इन सबके प्रेसीडेंट रजिस्ट्रार हैं। मार्गेज बैंक के बहुत सारे मेम्बर नामीनेटेड है। इलेक्शन ६ साल से नहीं हुआ है। एक नई विचारधारा और चल रही है। स्टेट प्रापर्टी बैंक भी सेंट्रल बैंक के पक्ष में नहीं है। अपनी ब्रांच खोलने के पक्ष में है। इस तरह से कोई बहुत अच्छी व्यवस्था सहकारी समितियों की नहीं है। अच्छा हो कि सब बातों को देख कर एक नया रास्ता अपनाया जाय जिससे ये सब बातें निकल जायें जिनसे दिक्कत होती हैं और एक नयी विचाराधारा चले। सहकारी समितियों

के गठन के अलावा जो बड़ी बात है वह इस बिल में जो विचारधारायें हैं वे उसकी कहां तक पूर्ति करती हैं ? मैं ३, ४ चीजों की चर्चा करना चाहता हूं । मैंने कुछ संशोधन भी दिये हैं । पर मेरी यह ख्वाहिश है कि सरकार इन सब बातों को निष्पक्ष रूप से देखे और अगर आवश्यकता हो तो इन सब चीजों को हल करे ।

सबसे पहले मैं आडिट की चर्चा करना चाहता हूं । अभी तक उत्तर प्रदेश में यह है कि सहकारी समितियों के आडिट को फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है । पारसाल हमारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में एक सब-कमेटी के चेयरमैन भानुप्रतापसिंह जी थे । उन्होंने जब पूछताछ की तो महकमे ने कहा कि हम आपको कोई चीज बताने के लिये तैयार नहीं हैं । तो वह सब-कमेटी ही खत्म हो गई । प्रश्न यह पैदा होता है कि सहकारी विभाग में जहां करोड़ों रुपया सरकार का जाता है और जिसमें हम और ज्यादा रुपये की मांग करते हैं, यह कहां तक मुनासिब होगा कि उसके एकाउन्ट्स इस आदरणीय सदन के सामने न आवें ? दो विचारधारायें सहकारिता के सम्बन्ध में दुनिया में चलती हैं । एक तो यह है कि सहकारी समितियों का आडिट रजिस्ट्रार के हाथ में होना चाहिये, वरना उनका इन समितियों पर नियंत्रण कम हो जायगा । चुनांचे बैकुन्ठ मेहता कमेटी ने भी इस बात को अपनाया अपनी रिपोर्ट में । लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस कमेटी की टर्म्स आफ रेफरेंस में यह बात उनको रेफर नहीं की गई थी कि सहकारी समितियों का आडिट सरकार द्वारा न हो या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा हो, या कैसे हो । अभी पिछले दिनों एक डिस्कशन चला । उसमें एक विचारधारा के प्रतीक मेहता जी थे और दूसरी विचाराधारा के प्रतीक थे मिस्टर बटरा, रिजर्व बैंक के । दोनों के डिस्कशन एक ही आर्टीकिल में छपे हैं । बटरा साहब ने कहा है कि जिस सहकारी समिति में सरकार का अपना रुपया लगता हो यह निहायत आवश्यक है कि सरकार उसका आडिट करावे । मान्यवर, आडिट भी अब तीन तरह के होने लगे हैं । सरकार का, ए० जी० के यहां से होता है । लेकिन जो पब्लिक कम्पनीज ऐक्ट है, उन पब्लिक कम्पनीज का प्राइवेट आडिटर द्वारा होता है । जैसा कि माननीय सदस्यों को भलीभांति विदित होगा, अब प्राइवेट कम्पनीज में भी बहुत सी कम्पनीज ऐसी हो गई हैं जिनमें सरकार का काफी रुपया लगा है । इसलिये कम्पनीज ऐक्ट में संशोधन होकर एक नयी धारा बनाई गई जिसके द्वारा कानकरेंट आडिट की भी व्यवस्था कर दी गई है । प्राइवेट कम्पनीज का आडिट और सरकार का आडिट दूसरे तरह से होता है । तो उन्होंने निश्चय किया कि आडिटर-जनरल का आदमी भी प्राइवेट कम्पनीज का आडिट करे और वह रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हो जाय । सहकारी समितियों में एक तीसरी व्यवस्था है । ये न तो प्राईवेट कम्पनीज हैं और न गवर्नमेंट की ही हैं । इसलिये यह बहुत खतरनाक बात होगी और अगर यह कहा जाय कि नहीं, सब आडिट सरकार का ही होगा । निश्चय ही रजिस्ट्रार को इसमें दिक्कत होगी । लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि रजिस्ट्रार का हाथ मजबूत रहे और यह सदन भी इस बात पर हावी रहे कि उसे सब बातें मालूम होनी चाहिये । इसलिये मेरा निवेदन है कि आडिट दो तरह का होना चाहिये । एक तो रजिस्ट्रार के मातहत और दूसरा आडिटर-जनरल करावे ताकि उसकी रिपोर्ट सदन में पेश हो सके और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी उसे देख सके ।

एक सदस्य—

खर्चा बहुत होगा ।

श्री फूलसिंह—

लकिन गबन रोकने में खर्चा जायज है, वरना आप यह भी कह सकते हैं कि पुलिस को हटा दो और चोरियां होती हैं तो होने दो । अभी कुछ सोसाइटियों के बारे में मालूम हुआ है कि २०,००० सोसाइटियों का आडिट एक साल से पुराना है और २५०० का ३ साल से पुराना है । अगर उनका आडिट न हो तो उन्हें रुपया देते रहना कहां तक उचित होगा ? फिर, ये दोनों ही आडिट काफी नहीं हैं । जहां बड़ी-बड़ी संस्थाय होती हैं जिनके बड़े हुबी

[श्री फूलसिंह]

टर्नओवर होते हैं, वहां यह कायदा नहीं है कि पहले खर्च कर दो और आडिट बाद में होता रहे। वहां रनिंग आडिट होता है। तो मेरी राय में अरबन बैंक्स का, कन्ज्यूमर स्टोर्स का और बड़ी संस्थाओं का रनिंग आडिट भी होना चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने इस माडल बिल की चर्चा तो की मगर इसमें कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज की कोई चर्चा नहीं है। कोआपरेटिव मार्केटिंग बैंक की तो चर्चा है। इस बिल में कोआपरेटिव मार्टगेज बैंक को निकाल कर कोआपरेटिव मार्केटिंग बैंक रखा है। या तो सबकी चर्चा होनी चाहिये, जैसे कोआपरेटिव फार्म्स, कन्ज्यूमर्स स्टोर्स, प्रोड्यूसर्स सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज इत्यादि

श्री बनारसीदास—

वह सब है।

श्री फूलसिंह—

आपने चैप्टर ११ में मार्गेज बैंक को हटा दिया है और अलग ही उसकी चर्चा है। इस के अलावा दूसरी बात यह थी कि इस विधेयक में एक त्रुटि यह है कि हमने इसमें कोई ऐसी ऐसी मशीनरी नहीं बनाई, जिसके द्वारा आहिस्ता-अहिस्ता पावर हस्तांरित हो। एक एजेंसी का जिक्र है जिसका सुपरविजन उसके हाथ में होगा लेकिन धारा ४ में लिखा है कि ऐसे अफसरों की नियुक्ति रजिस्ट्रार ही करेगा सुपरविजन के लिये और वह रजिस्ट्रार को ही जबाबदेह होंगे। यह एजेंसी बेकार ही होगी। जब गवर्नमेंट ने अपनी पालिसी में लिखा है कि ऐसे मैटर्स में जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा पावर्स सहकारी संस्थाओं को दी जायं। जहां तक अधिकारों की बात है कुछ तो नानट्रान्सफरेबिल पावर्स हैं जिनको रजिस्ट्रार इस्तेमाल करेंगे और कुछ ट्रान्सफरेबिल हैं। इस बिल में सरकार को पावर है कि वह जो अधिकार चाहे ट्रान्सफर कर दे और यह आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा अधिकार फेडरल आर्गेनाइजेशन से कन्सलटेशन के बाद दिये जायं। इसमें २ तरह की बातें हैं, एक तो सहकारी समितियों को अधिकार ट्रान्सफर करना और वह अधिकार जिनको रजिस्ट्रार खुद एक्सरसाइज न करें वह भी बाद में ट्रान्सफर कर दें। मिसाल के तौर पर इसमें लिखा है कि बाईलाज का संशोधन करने से पहले, सोसाइटी के अमलगमेशन से पहले किस-किस एजेंसी को रजिस्ट्रार कन्सल्ट करेगा, वह सब धारायें इसमें आनी चाहिये ताकि जो अधिकार गैर सरकारी संस्थाओं के पास जायं उनका एक रास्ता बन जाय। मैं नहीं कहता कि सारे अधिकार आज ही दे दो लेकिन एक ऐसा रास्ता बने, सरकार जब चाहे उनको ट्रान्सफर कर दे। शायद यह विधेयक पिछले विधेयक से भी आगे बढ़ गया है, अब तक तो यह था.....

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री फूलसिंह—

मैं निवेदन कर रहा था कि अभी तक यह प्रथा थी कि जो स्टेट कोआपरेटिव यूनियन थी सुपरविजन उसके पास था लेकिन प्रैक्टिस यह थी कि सुपरवाइजरी स्टाफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के मातहत था। इस बिल की जो धारा थी अब इसे बदल दिया है। जो पिछली प्रथा थी उसको चेंज कर दिया तो बुनियादी बात यह है कि अगर सहकारी आन्दोलन को पनपाना है तो एक सहकारी कैडर अलग से होना चाहिये। ऐसा स्टाफ होना चाहिये जिसको अलग से आप

एप्वाइंट कर सकें, ट्रेनिंग दें सकें और उसका प्रोमोशन का भी रास्ता होना चाहिये और ऐसी शर्तें उसमें रखी जायं जिससे अच्छे-अच्छे आदमी उसमें भर्ती हो सकें। हमारे यहां प्रथा तो है लेकिन वह प्रथा ऐसी वैसी ही है।

रजिस्ट्रार के लिये यह होना चाहिये कि रजिस्ट्रार के पद पर उस व्यक्ति को एप्वाइंट किया जाय, जिसको सहकारिता का कम से कम ४–५ साल का अनुभव हो, आई० सी० एस० हो या और कोई हो। और डेप्युटेशन पर जो आदमी जायें वे उनके मांगने पर ही भेजे जायं। यह न हो कि डेप्युटेशन पर सरकार अपनी मरजी के मुताबिक किसी को उस विभाग में भेजे। डेप्युटेशन का अर्थ ही यह है कि कोई मांगे तब यदि कोई व्यक्ति भेजा जाता है तो वह डेप्युटेशन होता है। यह न हो कि सहकारिता विभाग उसे मांगे या न मांगे पर हम उसे वहां पर डेप्युटेशन पर भेज दें। यह इनीशियेटिव उनके हाथ में रहना चाहिये। जो हमारी फैडेरेड आर्गेनाइजेशन है, उसको अधिकार मिलना चाहिये कि जो व्यक्ति डेप्युटेशन जाय उसके सर्विस रौल में एंट्री करने का अधिकार भी वहां के चेयरमैन को होना चाहिये और अगर कोई गड़बड़ी करता है तो वहां की मैनेजिंग कमेटी को अख्तियार होना चाहिये कि डिसीप्लिनरी ऐक्शन के लिये वह रिकमेंड कर सके। आम तौर से सहकारिता के लोगों को प्रोमोशन से ही लेना चाहिये। डेप्युटेशन पर उसी समय लेना चाहिये कि जब सहकारिता में कोई सुयोग्य आदमी न हो। अब तो यह विभाग ऐसा हो रहा है जसा कि "होल्टिंग प्लेस" जैसे कि उड़ते-उड़ते कोई पक्षी जब थक जाता है तो वह आराम करने के लिये किसी जगह बैठ जाता है ठीक उसी तरह से यह विभाग बन गया है। इसमें ऐसे व्यक्ति जाने चाहिये जिनको इस कार्य में दिलचस्पी हो, उनकी इस काम में अपनी लगन हो और उनका आकर्षण भी पैदा करने की जरूरत है ताकि वे वहां से भागने का प्रयास न करें। एक पब्लिक सर्विस का कैडर बनना चाहिये।

एक बात इलेक्शन के बारे में मैं कहता हूं। इस विभाग में जो सुपरवाइजर होते हैं वे जिले भर के मालिक होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कौन-कौन वोटर हैं। और कोई नहीं जानता पर सुपरवाइजर अवश्य जानता है। चुनाव के लिये कांस्टीटुएन्सी होनी चाहिये। जो केन विभाग में कायदा है वह यहां पर भी होना चाहिये। यह जो वन थर्ड का रास्ता बनाया है वह ठीक नहीं है। कायदा ऐसा होना चाहिये कि जिससे अच्छे-अच्छे आदमी आ सकें। सहकारिता में चुनाव का कायदा ऐसा होना चाहिये जो आप और महकमों में करने जा रहे हैं, जैसे केन डिपार्टमेंट में।

एक बड़ा खतरा इस बिल में यह है कि केन डिपार्टमेंट के जो अधिकार हैं वे लिये जा रहे हैं और केन डिपार्टमेंट अब सहकारिता विभाग में हो जायगा। मैं नहीं जानता कि यह बात कहां तक सही है लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि केन डिपार्टमेंट इस प्रदेश की बड़ी सेवायें करता था और अब वे सेवायें खतरे में पड़ने जा रही हैं। जो माडर्न बिल है उसमें धारा १३४ (५) के जरिये आप केन सोसाइटी के अधिकार अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। इससे बड़ा कंफ्यूजन होगा। सहकारी समितियों और केन डिपार्टमेंट में इतना अन्तर है कि केन सोसाइटीज में किसान अपना माल खुदबखुद ला कर देता है जबकि और सोसाइटीज में ऐसा नहीं हो पाता। मेरा निवेदन यह है कि केन सोसाइटीज को इस झगड़े में मत डालिये, उनको ऐसे ही चलने दीजिये। जो संस्थायें चलती हैं, समाज की ठीक सेवा करती हैं उनको चलने देना है। रजिस्ट्रार की एक यूनिफाइड पोस्ट होनी चाहिये। इसके यह मानी नहीं कि जो काम ठीक से चल रहा है उसे भी आप खतरे में डाल दें, इसलिये कि आप लाइनों को सीधी करना चाहते हैं। रजिस्ट्रार की पावर बढ़ा दी जाय इसलिये कि जो आर्गनाइजेशन चल रहा है, उसमें कोई खामी है तो उसमें सुधार कर दें, न कि उनको खतरे में डाल दे। अब तो मंत्रिमंडल में गेंदा-सिंह हैं, चरणसिंह भी हैं, कैसे यह बात पास हो गयी? जो बातें मैंने कही हैं उन पर यह सरकार विचार करे और जो सुझाव दिये हैं वे अगर ठीक हों तो सरकार उन सुझावों को सुधार कर ऐसा बनावें जो आसानी से बिल में आ सकें।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना और जब वे प्रवर समिति के अपने प्रतिवेदन को पेश कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि संभवतः कोई नई बात बतलायेंगे जिससे सहकारिता आन्दोलन जो एक तरह से ठप्प हो गया था उसमें प्रगति आयेगी और यह जन आन्दोलन होगा लेकिन उनका भाषण सुनने के बाद और इस बिल को देखने के बाद मैं यह समझता हूं कि सहकारिता आन्दोलन जिस स्थिति में यह है उससे उसको और अधोगति पर पहुंचने की आशा है । और किसी तरह से जन आन्दोलन में इसके परिवर्तन की संभावना या उम्मीद नहीं है । मेरा विचार यह है कि अगर मंत्री जी इसके सही मूल्यांकन की कोशिश करते और देखते कि जो आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं वह ठीक हैं और सहकारी आन्दोलन ने कितनी प्रगति की है, लोनिंग की तादाद कितनी बढ़ गई है और किसानों की माली हालत पर इसका क्या असर हुआ है तो शायद उनको स्थिति का सही अन्दाजा हो जाता । मेरा अनुमान यह है कि जितनी सहकारी समितियां बढ़ी हैं, जितने सदस्य बढ़े हैं और जितना लोनिंग बढ़ा है उसके अनुपात में किसानों की माली हालत पर कोई अन्तर नहीं पड़ा है । जिस उद्देश्य के लिये कर्जा बांटा जा रहा है वह पूरा नहीं हो पा रहा है । मेरा बहुत दिनों से इस आन्दोलन से सम्पर्क रहा है । इसलिये मेरा कहना यह है कि जिस उद्देश्य से वह कर्जा बांटा जा रहा है उसका सदुपयोग नहीं होता है । कोआपरेटिव बैंक और मार्केटिंग सोसाइटीज के जरिये जो कर्जा बांटा जा रहा है वह किसानों के ऊपर जो माहाजनों का पुराना कर्जा है, उसकी अदायगी के काम आता है । खेती की उपज में उसको न लगाकर किसान नान प्रोडक्टिव परपजेज में लगा रहा है । जैसे पुराने कर्जे की अदायगी या लगान की अदायगी में वह उसे लगा रहा है ।

मेरा अभिप्राय यह है कि अगर इस बिल को फिर से जनता की भावना को जानने के लिये प्रसारित किया जाय तो बहुत सी कमियां दूर हो सकती हैं । सरकारी बेंचों की तरफ से यह दावा किया गया है कि जन आन्दोलन की तरफ यह एक कदम है लेकिन इसमें रजिस्ट्रार और सरकार का नियंत्रण हर स्टेज पर है । मैं माननीय भीखालाल जी से सहमत हूं कि इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर संचालन तक में रजिस्ट्रार का हस्तक्षेप है । अगर आडिट तक ही यह सीमित रहता तो अच्छा था । जैसा माननीय फूलसिंह जी ने कहा कि अगर कांकरेट आडिट हो तो बहुत लाभ हो सकता है । इस सहकारी बिल द्वारा जो अधिकार रजिस्ट्रार को दिये गये हैं उससे हस्तक्षेप करते हैं कि कौन पदाधिकारी होने चाहिये, किस तरह से सत्तारूढ़ गुट के द्वारा पोलिटिकल आदमियों को वहां पहुंचाया जाय, किस तरह से अपने आदमियों को वहां नामीनेट किया जाय और किस तरह से कांग्रेस का वहां बहुमत किया जाय । ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये । यह तभी हो सकता है जब सहकारी समितियों के ऊपर सरकारी नियंत्रण न हो ।

कोआपरेटिव का यह पुराना सिद्धांत है कि केवल एक वोट होता है चाहे शेयर्स कितने ही क्यों न हों । लेकिन इसके विपरीत सरकार को २/३ डायरेक्टर्स नामीनेट करने का अधिकार है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप, जो सर्वमान्य सिद्धांत हों उस पर अमल करें । आपके पूर्व जो सहकारिता मंत्री थे उन्होंने एक आर्डर निकाला था कि सहकारी बैंकों में राज्य द्वारा मनोनीत डायरेक्टर बैंकिंग एक्सपर्ट होंगे लेकिन उसके बजाय अब राजनीतिक आधार पर लोग रखे जाते हैं । इस तरह से राजनीति को सहकारी आन्दोलन से परे रखा जाय तो किसानों का हित हो सकता है और यह आन्दोलन भी प्रगति कर सकता है ।

(इस समय २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होती लाल अग्रवाल पीठासीन हुये)

आजकल जो नीति चल रही है उससे किसानों पर कर्जे का भार बढ़ता जा रहा है । इसलिये इसमें बिल में कोई ऐसा क्लाज इनकारपोरेट होना चाहिये जिससे कर्जे का भार कम किया जाय

और बीच में इतना मार्जिन छोड़ा जाय जिससे किसान अपनी निजी पूंजी निर्माण कर सकें। लेकिन दुख का विषय है कि बिल पढ़ने के बाद कोई ऐसा क्लाज नजर नहीं आया जिससे किसान अपनी निजी पूंजी पैदा कर सके।

दूसरी बात यह है कि आज किसान को कर्जा मिलता है, वह कोआपरेटिव सोसाइटीज से, लैन्ड मार्टगेज बैंक से, ब्लाक से, तहसील से, तकावी से, मिलता है। आज वह उसी भूमि पर हर तरीके से कर्जा लेने की कोशिश करता है। इसके लिये एकसूत्री ऋण व्यवस्था की आवश्यकता है। जिससे किसान की नाक के ऊपर कर्जा न हो जाय, जिससे उसकी जमीन बिकने की नौबत न आ जाय। इसकी परमावश्यकता है कि ओवर लोनिंग न हो जाय। यह तभी हो सकता है, जबकि किसान को केवल कोआपरेटिव के जरिये कर्जा बांटा जाय।

इस बिल में एक और अनुचित क्लाज बढ़ा है। अभी तक कोआपरेटिव वर्कर्स आनरेरी थे। उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। लेकिन मैंने देखा कि सेक्रेटरी को तनख्वाह मिलेगी। बड़ा गलत तरीका है। इससे बड़ी दलबन्दी और कोई न होगी।

अभी एक माननीय सदस्य ने रासायनिक खाद की ऋण व्यवस्था से लिंकिंग के बारे में जिक्र किया है, मैंने चन्द दिन हुए उसके बाद में इस सदन में उल्लेख भी किया था। जो कोआपरेटिव से कर्जा बांटा जाता है उसके साथ दस से पच्चीस फीसदी तक अनिवार्य रूप से पांस लेनी पड़ती है। कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा जो रासायनिक खादों का वितरण होता है उसके मूल्य का भुगतान उसको १८ महीने में करना पड़ता है। लेकिन कोआपरेटिव बैंक के मार्फत जो किसान कर्जा लेता है उसको उसी दिन से पांस पर ९ परसेंट ब्याज देना पड़ता है। जब १८ महीने तक बिना ब्याज के पांस मिलती है तो कोई कारण नहीं है कि किसान से उसी दिन स पांस पर ब्याज लिया जाय।

ऐसी हालत में किसानों की पांस के ऊपर उनसे ब्याज लेना, जबकि फेडरेशन को १८ महीने तक खुद नहीं देना पड़ता है, उसके साथ अन्याय होगा। मैंने माननीय मंत्री जी का इस बात पर ध्यान आकर्षित किया था और मुझे आशा है कि आप अवश्य इस बारे में आदेश प्रसारित करेंगे कि जो कोआपरेटिव एजेंसियां हैं, उनसे किसानों को बिना ब्याज के पांस मिलनी चाहिये।

एक बड़ी बीमारी कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में और है, जिसे ट्रांसफर एंट्री की बीमारी कहते हैं। उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐक्ट्स में आप ऐसे क्लाजेज का समावेश करें कि जहां पर भी ट्रांसफर एन्ट्री पायी जायेगी, वहां पर इस तरह किसानों के साथ विश्वासघात का उदाहरण प्रकाश में आयेगा, वहां पर दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दी जायेगी। इस बीमारी को दूर करने का पूरा बल द्वारा प्रयास होना चाहिये।

अभी माननीय फूलसिंह जी ने एक उल्लेख यह भी किया कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सूद की दर बहुत अधिक है और मैं भी उनके कथन का पूर्ण अनुमोदन करता हूं।

श्री बनारसीदास--

आप तो कम कर दीजिये अपने यहां।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा--

हमने तो अपने यहां पहले से ही कम कर रखा है और यदि दो परसेंट का मार्जिन प्राविंशियल बैंक का आप कम कर देंगे तो पूरे राज्य में ब्याज की दर कम हो जायेगी। मुझे विश्वास है कि मैंने ज्यादा समय न लेकर जो सुझाव दिये हैं, उसको बिल में आप इनकारपोरेट करने का प्रयत्न करेंगे और अच्छा यह होगा कि जनता की विचारधारा जानने के बाद ही यह किया जाय।

श्री कल्पनाथसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सहकारिता मंत्री जी ने बिल पेश किया है-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, में उसके समर्थन में कुछ बातें कहना चाहता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं वह मेरी बातें जरा गौरपूर्वक सुनें तो मुझे प्रसन्नता होगी। सर्वप्रथम मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी को आज की आवश्यकताओं के अनुरूप इस को पेश करने के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात जो इस बिल के सिलसिले में कही गयी है उस ओर भी आपका और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने कुछ बातें कही हैं उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया है। यदि वह फिर से ध्यान दें तो वह उन बातों की तरफ सोच विचार कर सकते हैं। माननीय भीखालाल और उनकी पार्टी दोनों को सहकारिता में अटूट विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूं और ठीक उसी तरह एक समाजवादी होने के नाते अपना भी सहकारिता में दृढ़ और अटूट विश्वास है। इसीलिये मैं माननीय भीखालाल जी से २-४ बातें निवेदन करना चाहता हूं, वैसे इस हाउस में ऐसी भी पार्टियां है, जो लोग सहकारिता में विश्वास ही शायद खो बैठे हैं, मैं उन लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सबसे पहले आप यह देखें, मैं उनकी और बातों की तरफ नहीं जाऊंगा, एक बात जो बराबर तर्क देकर कही गयी कि रजिस्ट्रार को सबसे ज्यादा अधिकार दिये गये हैं और दूसरी बात कहीं गयी है कि सरकार ने इस बारे में कहा है कि जो सोसाइटियां बनी हुई हैं, जिसमें ६० फीसदी सरकार का हिस्सा होगा, उसमें दो तिहाई सदस्य नामजद करने का अधिकार हम ले रहे है और सरकार सरकारी लोगों को उसका सभापति बनाने की बात सोच रही है। उसी तरह की यह भी बात कह दी गयी कि सरकार सहकारीकरण की तरफ से हटकर दूसरी तरफ इसे ले जाना चाहती है। यह सब परस्पर विरोधी बातें हैं। मेरा यह निवेदन है कि एक-एक प्वाइन्ट पर गौर करके देखें कि सबसे पहले जो उसका पूर्व का ऐक्ट लागू था १९१२ का उसमें यदि आप उस समय की बात को देखें तो उस समय जो जिला लेवेल की सोसाइटियां होती थीं, उन सबों में सरकारी अधिकारी ही अध्यक्ष हुआ करते थे। आज जो यह बिल पेश है, उसमें अध्यक्ष का चुनाव भी चुने हुये डायरेक्टर्स करेंगे। इसके पूर्व जिला लेवेल की जो सोसाइटियां उस समय थी, उसमें कलेक्टर अध्यक्ष होते थे और स्टेट लेवेल की जो सोसाइटियां थीं, उसमें रजिस्ट्रार अध्यक्ष हुआ करते थे। जो अध्यक्ष चुना हुआ होगा डाइरेक्टर्स, से जो चुना हुआ एक और गैर सरकारी आदमी होगा। इस प्रकार ने इस बिल को लाकर मौका दिया कोआपरेटिव मूवमेंट में चुने हुए लोगों के अध्यक्ष बनने का और इसी के साथ उसने सरकारी कब कर्मचारियों को वहां से हटा दिया है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रार को ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं। ज्यादा दिये जा रहे हैं या कम, यह तो विवाद की बात है। लेकिन यह बात बिलकुल ठीक है कि रजिस्ट्रार को अधिकार दिये जा रहे हैं। मेरा निवेदन दूसरा है कि जब-जब सरकार अपने हिस्से कोआपरेटिव सोसाइटियों में लगायेगी तो निश्चित है कि वह अपने धन की देखरेख के लिये ऐसे व्यक्तियों को नामजद करने की कोशिश करेगी जिनपर उसका विश्वास हो। माननीय गयाप्रसाद जी ने कहा कि इसके पूर्व स्टेट बैंक का एजेंट नामजद हो जाया करता था। कहां-कहां स्टेट बैंक का एजेंट नामजद होगा, वह भी सोचने की बात है। एक समय था जिसमें जिला परिषद् के अध्यक्ष, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और स्टेट बैंक का एजेंट सहकारी बैंकों में नामजद हो जाया करते थे। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में अगर सरकार ने यह आवश्यक समझा कि स्टेट बैंक के एजेंट से भिन्न किसी व्यक्ति को बैंक में दे सकें तो सरकार कहां मजबूर है कि वह यह न कर सके।

हमारे मित्र माननीय भीखालाल जी ने यह कहा कि रजिस्ट्रार को यह भी अधिकार दिया जा रहा है कि वह चाहे तो किसी सोसाइटी को गठित होने दें, न होने दे और चाहे तो उसको मार भी दे और वह उठ न सके। क्या भीखालाल जी यह मुनासिब समझते हैं कि ऐसी सोसाइटियों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाय जो कोआपरेटिव मूवमेंट के हित में न हो, मैं नहीं समझ पाया कि कोआपरेटर होने के नाते उनको क्यों इस पर एतराज है। प्रजातंत्र की बात कही जाती

है और कहा जाता है कि रजिस्ट्रार को हर बात सौंप दी गयी है और इससे प्रजातंत्र मर जाता है। १ लाख या डेढ़ लाख से चुने हुए सदस्य इस हाउस में आते हैं और यहां आपका और माननीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। उसी प्रकार कोआपरेटिव में भी अगर रजिस्ट्रार का निर्णय भी अंतिम हो तो भी कोई हर्ज नहीं है लेकिन सरकार ने तो इस बिल में इस बात का भी प्राविधान किया है कि रजिस्ट्रार के गलत निर्णय के विरुद्ध अपील लाई जा सके। वैसे सरकार को इसमें यह अधिकार भी है कि वह रजिस्ट्रार को कितनी पावर्स डेलीगेट करे, लेकिन यह सोचने की बात है कि सरकार जितना प्रसार कोआपरेटिव मूवमेंट की सोचती थी उतना नहीं हो पा रही है। बहुत से लोग भ्रम पैदा करके लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं जिससे जनता की आस्था कोआपरेटिव मूवमेंट से खत्म हो। इसलिये मैं कोआपरेटिव मूवमेंट में विश्वास करने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे देहातों में, शहरों में लोगों के अन्दर सहकारिता के प्रति आस्था पैदा करें जिससे सहकारी आन्दोलन सबल हो सके। जब तक सुपरवाइजर के बल पर बैठे रहेंगे, जब तक कोआपरेटिव ए०डी०ओ० के बल पर बैठे रहेंगे तो अपने दोस्तों से मेरा यह निवेदन है कि हम कोआपरेटिव की भावना ने अनुकूल नहीं चलेंगे। जो लोग यह शिकायत करते हैं कि सुपरवाइजर माध्यम बन जाता है चुनाव का तो यह कोआपरेटिव की स्प्रिट के खिलाफ पड़ता है। अगर हम कोआपरेटिव भावना के अनुकूल चलते हैं तो सुपरवाइजर एक रत्ती भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर कहीं पर व्यवहार में यह दिखाई दे तो वह कमी हो सकती है हमारे कोआपरेटिव आन्दोलन की कि लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग न होने की वजह से ऐसा होता है।

खाद की बात कही गई कि ३३ फीसदी घटाकर यह १० फीसदी खाद जबरदस्ती दी जाती है और यह कोआपरटिव स्प्रिट के खिलाफ है ऐसा नहीं होना चाहिये। जहां तक मैं उनके मतलब को समझ पाया, मैं ऐसा समझता हूं कि जो खाद दी जाती है वह छमाही कर्जे में खरीफ और रबी के लिये दी जाती है। जो कर्जा दिया जाता है वह बीज के लिये और खाद के लिये और दूसरे कामों के लिये दिया जाता है जो छमाही के काम में आता है। उसके लिये कर्जे दरख्वास्त पर लिखा जाता है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि कर्जे का सही-सही उपयोग नहीं होता और दूसरी तरफ हमारे मित्रों को शिकायत है। १० फीसदी की खाद की बात उसी कर्जे की दरख्वास्त पर लिखी जाती है, जब वह कर्जे के लिये आता है। इस मुल्क में अगर पैदावार को बढ़ाना है, अगर खेती की तरक्की करना है और किसानों को खाद की सुविधा देनी है, अगर किसान खाद की मांग करता है, किसान अगर खाद लेना चाहता है तो इस प्रकार की बातें करना मैं समझता हूं कि कुछ उचित बात नहीं है। लोगों को खाद से वंचित कर दिया जाय ठीक नहीं। अगर वह दूसरे काम के लिये कर्जा लेना चाहता है तो उसको दूसरे प्रकार का कर्जा कोआपरेटिव सैक्टर से मिलने की पूरी छूट है और पूरी गुंजायश है। उस गुंजायश को अगर आप देखें तो उसमें मीडियम टर्म लोन और लांग टर्म लोन दोनों तरह के कर्जे की गुंजायश है। जो किसान उस कर्जे को लेना चाहता है, जो उसके फायदे को समझता है उस कर्जे को लेता रहे और उसका इस्तेमाल भी करता रहे। लेकिन मैं अपने मित्र से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सही बात यह हो सकती है कि कहीं किसी विशेष परिस्थिति में अगर किसी किसान को आवश्यकता न हो तो उसके ऊपर खाद की बात थोपी न जाय। लेकिन जनरल अधिनियम ऐसा बना दिया जाय कि किसी भी किसान को खाद दिया ही न जाय, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। जब आप यह चाहते हैं कि कर्जा कैश में नहीं बल्कि काइंड में दिया जाय तो जिस मतलब के लिये कर्जा दिया जाय उस काम में उसको लगना जरूरी है। यदि उस काम में कर्जा इस्तेमाल न हो तो फिर उसका मतलब ही समाप्त हो जाता है।

दूसरी तरफ कोआपरेटिव में राजनैतिक लाभ की बात कही गई। राजनीतिक लाभ तो मैं समझता हूं कि अगर होने की कुछ बात है तो कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो कोआपरेटिव मूवमेंट में होगा, उसके साथ यह बात जोड़ी जा सकती है। लेकिन

[श्री कल्पनाथसिंह]

मैं समझता हूं कि स्टेट के लेविल पर या जिले के लेविल पर शायद ही कोई दल छूटे जिसके कार्यकर्त्ता इस कोआपरेटिव मूवमेंट में न लगे हों। यह बात अलग है कि कहीं उनकी अपनी कुछ न चल पायी हो और उसके ऊपर उन्होंने कहा हो कि इससे राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होने की बात की जा सकती है। लेकिन जिन लोगों ने इस काम में जहां रुचि ली है, उनको सफलता मिली है, चाहे वे किसी भी दल विशेष में रहे हों। मेरा ऐसा दृष्टिकोण है। लेकिन यह कि किसी एक दल विशेष का इससे लाभ होगा, ऐसी बात नहीं है। कोआपरेटिव के काम में चाहे किसी दल का भी आदमी लगा हो, उसको पब्लिक की आस्था और सहानुभूति मिलती है जो उस दृष्टि से जनता जनार्दन की सेवा करना चाहता है। यदि कोई सेवा करना चाहे तो उसे इस मामले में उसे कौन रोक सकता है चाहे वह किसी दल का हो। इसलिए किसी दल विशेष के लिए यह यह बात लागू होती है, ऐसी बात उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में है नहीं।

अभी कहा गया कि सरकारी और मध्यस्थ दो तरह की एजेंसी होंगी, अपील का निबटारा करने के लिए। मेरा खयाल है कि शायद धारा ९६ में रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध अपील का प्राविजन है। इसके वाले पूर्व ऐक्ट में रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई प्राविजन नहीं था। माननीय मित्रों को इससे ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि रजिस्ट्रार के निर्णय के ऊपर भी अपील की गुंजाइश इस बिल में कर दी गयी है। शायद इसकी भी कुछ चर्चा की गयी और मेरा खयाल है कि अगर मेरे दोस्त फिर इस मामले पर सोचें तो ज्यादा अच्छा होगा कि इसके पूर्व के ऐक्ट से यह बिल ज्यादा प्रगतिशील है।

उपाध्यक्ष महोदय, सुपरवाइजर, कोआपरेटिव इंस्पेक्टर्स, इन लोगों के माध्यम से भी सरकारी नियंत्रण की बात कही गयी है। कोआपरेटिव इंस्पेक्टर्स मेरा ऐसा खयाल है कि सुपरवाइजर्स के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं रख पाते। वह नियंत्रण तो पी० सी० यू० और एल० डी० सी० इनके ऊपर कुछ ज्यादा रख पाते हैं बजाय इसके कि कोआपरेटिव इंस्पेक्टर्स उनके ऊपर अपना नियंत्रण रखे और उसकी मर्जी के मुताबिक लोग चुने जायं। वह जिसको चाहे उसको वोट दिलायेगा और जिसको चाहेगा उसको वोट न दिलायेगा, सुपरवाइजर ऐसा नहीं कर पायेगा। एक जमाना रहा होगा जब कि चुने चुनाये लोग थे, कोआपरेटिव मूवमेंट इतना फैला हुआ नहीं था और गांव-गांव में इस प्रकार की समितियां नहीं बनी हुई थीं उस जमाने में कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स इस तरह की बातें करते रहे होंगे, लेकिन आज जबकि करीब-करीब हर गांव में किसी न किसी प्रकार की सोसाइटी है, और समूचे उत्तर प्रदेश में प्रायः सोसाइटीज का जाल बिछा हुआ है तो हम मान बैठें कि गांव के लोग या वे किसान जो कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज या संघ से लाभ उठाते हैं या उसमें उन्होंने अपना हिस्सा लगा रखा है, या उसके सदस्य बने हुए हैं, वे सुपरवाइजर के कहने में आ जायेंगे और अपना हित नहीं देख सकेंगे, यह प्रजातंत्र की भावना के ही विरुद्ध है। या तो वह सदस्य बने नहीं या फिर इतनी बड़ी संख्या में जो सदस्य बने हैं वे सदस्य नहीं हैं, वे फर्जी हैं, कर्ज का लेन देन भी फर्जी है। उनकी सदस्यता की एप्लीकेशन्स फर्जी हैं या फिर यह विश्वास करना पड़ेगा कि हर सोसाइटी में जो सैंकड़ों सदस्य बने हैं उन्होंने अपना प्रतिनिधि अगले किसी स्थान के लिए चुना है तो वह उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही होगा, कम से कम विपरीत नहीं होगा। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं किसी कोआपरेटिव का सालाना जलसा हो उसमें उसके सदस्यों के न चाहते हुए भी सुपरवाइजर अपनी मर्जी से सब काम करा ले। यह हो सकता है कि कोई सदस्य जिस किसी खास व्यक्ति को चाहता हो वह न आ पाए, लेकिन प्रजातंत्र में यह संभव है। यहां तो अल्पमत बहुमत में और बहुमत अल्पमत में परिवर्तित होता ही रहता है। यह प्रजातंत्र का सिद्धांत है। इसलिए प्रजातंत्र पर लांछन लगाने की आवश्यकता हमें नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान खींचना चाहूंगा कि आज जो आए दिन चर्चा होती है कि फलां सरपंच ने, फलां सदस्य ने, फलां खजांची ने यह गड़बड़ करदी, वह गड़बड़ कर दी, उसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की चर्चाएं

माननीय सदस्य ही करते रहते हैं और आप के प्रश्नों और भाषणों में इस तरह की बातें अक्सर आती हैं। इसके लिए आखिर कोई न कोई तरकीब तो सोचनी ही पड़ेगी। जिससे इसको समाप्त किया जा सके। क्योंकि इन सबके चलते आप बदनाम हो जायेंगे और इससे जनता का विश्वास भी इसमें से उठ जाता है। मैं तो समझता हूं कि जब इसमें सरकार की पूंजी लगी है, सरकार का बैंक का पैसा लगा है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी सरकार की हो जाती है और इसलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी मजबूती से निभाने की तरफ कदम उठाना चाहिए। अभी कहा गया है कि हमारे प्रदेश में बकाया की वसूली ट्रांसफर इंट्री से होती है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि अगर यह बात माननीय सदस्य महोदय ने अपने अनुभव से कही हो। लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि इसमें भी मेरे जिले में तो बहुत कमी हो गयी है। एक सदस्य ने तो यहां तक कहा कि ट्रांसफर इंट्री के सिलसिले में ६ परसेंट माहवारी सूद दे दिया जाता है। ६ परसेंट माहवारी सूद की बात शायद माननीय सदस्य भाषणकर्त्ता ने सुनी या नहीं, लेकिन मेरी समझ में यह बात बैठती नहीं। ६ परसेंट माहवारी सूद जोड़ा जायगा तो ७२ परसेंट हो गया। उसका हिसाब-किताब कुछ है नहीं। सूद की दर जो निर्धारित की गई है इसके बारे में कहा गया कि वह कुछ ज्यादा है। अपने सुझाव आप दें, लेकिन उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करें। किसको अच्छा लगेगा कि सूद की दर ज्यादा हो और किसान को ज्यादा देना पड़े। लेकिन कुछ व्यावहारिक सुझाव आये। दूसरे प्रदेशों से उसका तुलनात्मक विवेचन हो तो बात समझ में आ सकती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार या सहकारिता आन्दोलन को चलाने वाले लोग कुछ ज्यादा सूद लेते होंगे तो मेरा खयाल है कि उसको कम करने की दिशा में वह सोचेंगे।

इसके बाद मेरा खयाल है कि रुपया और अधिक कोआपरेटिव सेक्टर में लगेगा। कोआपरेटिव सेक्टर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी खड़ी करनी है। कई चीनी की मिलें कोआपरेटिव सेक्टर में चल रही हैं और उनका टार्गेट अच्छा है। उनकी साख बढ़ रही है और मैं अपने माननीय मित्रों से कहूंगा कि चूंकि उनका समाजवाद पर यकीन है, उनकी सहमति इसमें होनी चाहिए कि प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही है, उन्हीं की तरह दूसरी इंडस्ट्री खड़ी करने की मांग करें और उसके जनमत तैयार करें। दूसरी तरफ छोटे उद्योग भी अगर वह सहकारिता के अन्दर लाकर खड़ा कर सकें तो मैं उनका बड़ा मशकूर हूंगा केवल क्रिटिसिज्म करने से काम चलने वाला नहीं है। यह सहकारिता की स्पिरिट नहीं है। सहकारिता की स्पिरिट यह है कि आप मिलजुल कर काम करने की बात सोचें। अगर इस सदन में और इसके बाहर सहकारी कार्यक्रम पर गौर करें और अमल में लाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब दूसरा काम लिया जायगा। आप कल जारी रखिएगा।

समितियों के नाम-निर्देशन-पत्रों को वापस लेने की तिथि में परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि "लोक लेखा समिति" के १ सदस्य (श्री गेंदा-सिंह के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु), "उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड" के ३ सदस्यों (जिनमें एक महिला होगी) तथा "उत्तर प्रदेश नर्सेस ऐंड मिडवाइव्ज कौंसिल" के २ सदस्यों के निर्वाचनों के हेतु प्राप्त में नाम-निर्देशनों की सूक्ष्म परीक्षा नियत समय पर की गई और सब नाम-निर्देशन-पत्र ठीक पाए गए हैं। चूंकि उक्त समिति परिषद् में निर्वाचित किये जाने वाले, सदस्यों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं। अतः यदि अतिरिक्त नाम २५ अगस्त, १९६५ के सायंकाल ५ बजे तक वापस न लिए गए तो निर्वाचन २७ अगस्त, १९६५ को होगा।

अवर्षण के कारण प्रदेश में अकाल एवं सूखे की स्थिति के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष--

एक चीज और साफ कर दूं कि आज जो राजस्व मंत्री जी की तरफ से वक्तव्य हुआ था वह उन सभी सूचनाओं पर आधारित था जो इस संबंध में उनके पास भेजी गयी थीं और उसमें कई माननीय सदस्यों ने वह सूचनाएं दी थीं। तो जो कामरोको प्रस्ताव है, उस पर अब बहस होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था की इसमें कौन सी बात है, माननीय अध्यक्ष ने मुझसे यह सब बात बता दी है। उन्होंने कहा है कि उन सब लोगों को मौका मिलेगा जिन्होंने कामरोको प्रस्ताव दिया है (व्यवधान).....

श्री नेकराम शर्मा--

यह कामरोको प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं हो सकता, रूल यह है.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है, उन्होंने इसको एडमिट कर लिया है।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए, रूल ६१ में साफ लिखा है (व्यवधान) सदन की अनुज्ञा नहीं ली गयी है ..

श्री उपाध्यक्ष--

आप अनुज्ञा की बात कहते हैं, मुझे बताया गया है कि माननीय अध्यक्ष ने सदन के सामने इसे रखा और पूछा तो किसी ने एतराज नहीं किया... (व्यवधान)

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

यह सूखे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव है..

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

मेरा व्यवस्था का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जब रूलिंग दे चुके हैं तो उस पर व्यवस्था नहीं उठायी जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष--

(व्यवधान) यहां किसी को एतराज नहीं था, माननीय अध्यक्ष ने मुझे बताया है कि उन्होंने इसको एडमिट कर लिया है जो व्यवस्था माननीय अध्यक्ष दे चुके हैं, उसको मैं रिवाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री नेकराम शर्मा--

आप मेरी बात तो सुन लीजिए। नियमों के अनुसार यह प्रस्ताव नहीं आ सकता। नियम ५९ (६) के अनुसार यह नहीं आ सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नेकराम जी, आप कृपया बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष जो रूलिंग दे चुके हैं, मैं उसे रिवाज करने के लिए तैयार नहीं हूं। आप बराय मेहरबानी बैठ जाइए। अब इस प्रस्ताव पर बहस होने वाली है।

श्री नेकराम शर्मा—

यह नहीं आ सकता, इस पर सदन में अनुज्ञा नहीं मांगी गयी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइए। यह प्रस्ताव अब एडमिट हो चुका है। ३ बजे से इस पर बहस होनी है। मैं माननीय त्रिपाठी जी से कहूंगा कि वे अपना भाषण शुरू करें।

(श्री उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी को पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

पहले वक्तव्य होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय उपध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आप यह वक्तव्य कैसे करा रहे हैं। यह जो कामरोको प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है तो पहले सुनने के बाद ही मन्त्री जी वक्तव्य दें। यह तो व्यवस्था के प्रतिकूल कार्यवाही हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए। मैं उस समय नहीं था लेकिन मुझे बताया गया है कि पहले राजस्व मन्त्री का वक्तव्य होगा उसके बाद यह बहस शुरू होगी। वक्तव्य पांच मिनट में हो जाता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, इस तरह से कामरोको प्रस्ताव की अहमियत नहीं रह जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप वक्तव्य होने दीजिए।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

जब कामरोको प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, उसके पहले कोई वक्तव्य नहीं होता। इसको पांच बजे के बाद कराइए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

सदन के कतिपय माननीय सदस्यों ने नियम ५२ में नोटिस देकर सरकार का ध्यान पर्याप्त वर्षा न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित किया है। मैं इस विषय पर कुछ सूचना सदन को गत १८ अगस्त के वक्तव्य में दे चुका हूं। अब कुछ और ब्योरेवार सूचना जिलों से प्राप्त हुई है जिसे मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

२—जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस साल वर्षा बड़ी देर से प्रारंभ हुई और खरीफ बुवाई पिछड़ गई। जुलाई के अंतिम भाग में वर्षा हुई थी पर अगस्त में फिर कमी हो गई। वर्षा पर्याप्त न होने से प्रदेश भर पर प्रभाव पड़ा है परन्तु सबसे अधिक सूखे का क्षेत्र लखनऊ व झांसी कमिश्नरी विशेषतः झांसी जिले का ललितपुर परगना, बांदा का कर्बी परगना, इलाहाबाद प्रतापगढ़, मिर्जापुर, और शाहजहांपुर के जिले हैं। वर्षा की स्थिति संलग्न (१)† में दी हुई है।

†देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०४–१०६ पर।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

३—कुवारी धान की बुवाई बहुत कुछ हो गई थी परन्तु वर्षा की कमी से फसल सूखने लगी। अगहनी धान लगाने लायक बारिश न होने से अभी सब क्षेत्रफल बोया न जा सका। इधर हाल में अगहनी धान के मुख्य क्षेत्र बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद, देहरादून, वाराणसी में पानी बरसा है और धान रोपा जा रहा है और आशा है कि बिना बोया क्षेत्रफल में से भी जिसके आंकड़े आपके सामने रखे जा रहे हैं कुछ क्षेत्रफल में और रोपाई हो जायेगी। मक्का के पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, पर हाल की बारिश से इनकी हालत कुछ सुधर सकती है, अरहर और ज्वार का भी यही हाल है। बाजरा कुछ देर से होता है और उसकी हानि कुछ कम है। गन्ना जुलाई तक अच्छी हालत में था परन्तु अगस्त में वर्षा के अभाव से उस पर प्रभाव पड़ा। यदि अब भी बारिश हो जाती है तो गन्ना की हानि बहुत कुछ बच जायेगी।

४—जो सूचना प्राप्त हुई है उससे प्रतीत होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में और मेरठ कमिश्नरी में फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है परन्तु ऐसी संभावना नहीं है कि उनका नुकसान २५ प्रतिशत से अधिक हो। आगरा तथा गोरखपुर कमिश्नरी की हानि इससे अधिक है परन्तु बाद की बारिश से वहां की हालत सुधरने की आशा है। शेष क्षेत्रों में सूखे का प्रभाव अधिक है *संलग्न तालिका में खरीफ में बोई हुई पिछले साल की फसलों का क्षेत्रफल दिखाया गया है और उसके आगे वह क्षेत्रफल दिखाया गया है जो कलेक्टरों के अनुसार अभी तक बोया नहीं जा सका। जो फसलें बोई जा चुकी हैं उनकी हानि का अभी सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पिछले कुछ दिनों से मानसून ने कुछ अच्छा रुख अपनाया है और गोरखपुर, वाराणसी, सुल्तानपुर, फैजाबाद और देहरादून में अच्छी बारिश हुई है और भी कई जिलों में कुछ न कुछ वर्षा हुई है, परन्तु लखनऊ तथा झांसी कमिश्नरी में और इलाहबाद में स्थिति अब भी विशेष चिंताजनक है। सभी जिलों के माल अधिकारी फसलों का मुआइना कर रहे हैं और हानि का ठीक-ठीक अन्दाज करेंगे। खरीफ की मालगुजारी में उसी के आधार पर नियमानुसार छूट दी जायगी।

५—कृषकों की सहायता के लिए जो निर्णय सरकार ने लिए थे उनका उल्लेख मैंने पूर्व वक्तव्य में कर दिया था। जैसा बताया जा चुका है पूरे प्रदेश में प्रभावित क्षेत्रों में मालगुजारी, सिंचाई शुल्क तथा तकावी की वसूली बन्द की जा चुकी है। चारे की कमी को दूर करने के लिए वन विभाग ने आदेश दे दिया है कि जहां मवेशियों को वन में चरने की सुविधा की आवश्यकता हो वहां वन खोल दिए जायें। बाहर से भूसा मंगाने के लिए प्रबंध किया गया है और कलेक्टरों को आदेश दिए गए हैं कि भूसा मंगाने में रेल की सुविधा प्राप्त करने में सहायता दें।

६—माननीय रघुनाथसिंह जी ने सिंचाई मंत्री जी से नहरों और नलकूपों के विषय में वक्तव्य देने के लिए अनुरोध किया था। अध्यक्ष महोदय ने मुझे आदेश दिया है कि मैं उसकी भी स्थिति बता दूं।

७—४ जून, १९६५ को आदेश भेजे गए थे कि इसका एक विशेष अभियान चलाया जाय कि सभी नलकूप चलते रहें और यदि किसी में खराबी पैदा हो तो तत्काल मरम्मत की जाये। यह भी आदेश दिया गया था कि गूलों की मरम्मत अविलम्ब करा दी जाय। नलकूपों के अधिकारियों को यह आदेश है कि लगातार दौरे पर रहें और किसानों की शिकायतें मौके पर दूर करें।

८—१६ जुलाई, १९६५ को नहरों के विषय में यह आदेश दिया गया था कि सभी नहरों में अधिक से अधिक मात्रा में पानी बराबर चलता रहे। अपर गंगा नहर अपनी पूरी क्षमता (१०,५०० क्यूसेक) पर चलाई जा रही है। लोअर गंगा तो अपनी अधिकतम क्षमता (११,५०० क्यूसेक) से भी अधिक ११,६३० क्यूसेक पर चलाई जा रही है। आगरा नहर भी २,२०० क्यूसेक पर चल रही है। पूर्वी जमुना नहर, जिसे पंजाब के अधिकारी नियंत्रित करते हैं जमुना में बाढ़ के कारण १४ अगस्त को बन्द करनी पड़ी थी, वह भी फिर साफ करके चला दी गई है।

*देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ १०७–१०८ पर।

९—केन नहर में गंगऊ और रंगवा बांधों से पानी आता है। उसके ऊपरी भाग में पानी कम बरसने से जलाशय भरे नहीं। २४ जुलाई से जितना पानी हो पाया था उसमें अधिक से अधिक क्षमता से चलाया गया। परन्तु २० अगस्त, १९६५ से इसे फिर बंद कर दिया गया क्योंकि पानी बिलकुल न था। बेलन नहर १२ अगस्त, १९६५ से पूरी क्षमता से चल रही है। वाराणसी, मिर्जापुर, हमीरपुर और झांसी तथा जालौन जिले में भी नहरें चलाई जा रही हैं। गाजीपुर, आजमगढ़ और बस्ती जिले में पम्प नहरें भी चलाई जा रही हैं। फैजाबाद जिले की टांडा तथा घाघरा पम्प नहर पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही हैं क्योंकि सुहावल पावर हाउस की मरम्मत हो रही है जिससे बिजली पूरी मात्रा में नहीं मिल रही है। मुख्य अभियन्ता, बिजली विभाग ने आश्वासन दिलाया है कि शीघ्र ही बिजली मिलने लगेगी। इस साल जलाशयों में पानी कम होने से तथा नदियों के स्रोत में कम वर्षा होने से पानी की कमी है। किन्तु फिर भी १५ अगस्त, १९६५ तक पिछले वर्ष की तुलना में अधिक ही सिंचाई हुई है जिसका क्षेत्रफल २६ १/२ लाख एकड़ है।

१०—नलकूपों द्वारा भी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक सिंचाई हुई। जुलाई, सन् १९६४ तक ७,५२,५०० एकड़ क्षेत्रफल सींचा गया था और इस वर्ष जुलाई तक ७,८१,५६० एकड़ सींचा जा चुका था।

११—प्रदेश के २३ जिलों में फसल में रुरल मैन पावर स्कीम चालू है। इसका उद्देश्य सड़कें, सिंचाई के लिए बंधी, नालियां इत्यादि बनाना तथा इस प्रकार ग्रामवासियों को काम देना है। इन योजनाओं का लाभ लोग इन जिलों में उठा सकते हैं। इनमें से ६ जिलों में, अर्थात गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर में यह योजना पी० एल० ४८० कार्यक्रम से सम्बद्ध है और यहां मजदूरी का आधा भाग गेहूं के रूप में दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ३,००० टन गेहूं इन जिलों को भेजा जा चुका है और यथा आवश्यकता और भी भेजा जावेगा। ऐसी ही एक योजना झांसी डिवीजन के ४ जिलों में भी लागू की गई है। ऐसी आशा है कि इन योजनाओं से इन जिलों के लोगों को काफी सहायता मिलेगी। इन तथा अन्य जिलों के लिए यथा-आवश्यकता टेस्ट वर्क्स भी खोले जायेंगे। इलाहाबाद में टेस्ट वर्क्स खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्य भी इन क्षेत्रों में शीघ्रता से चालू किए जायेंगे जिससे लोगों को काम मिल सके।

१—अलीगढ़
२—मथुरा
३—आगरा
४—इटावा
५—एटा
६—झांसी
७—जालौन
८—वाराणसी
९—मिर्जापुर
१०—जौनपुर
११—इलाहाबाद
१२—गाजीपुर
१३—बलिया
१४—गोरखपुर
१५—बस्ती
१६—आजमगढ़
१७—देवरिया
१८—फैजाबाद
१९—गोंडा
२०—बहराइच
२१—सुल्तानपुर
२२—प्रतापगढ़
२३—बाराबंकी।

१२—इलाहाबाद, जालौन, गोरखपुर और मिर्जापुर जिलों से ऐसी सूचना मिली है कि वहां कुछ गांवों में हैजे के प्रकोप से क्रमशः २५८, ४, ५९ और १५ मृत्यु हो गई। इस महामारी के फैलने से रोकने के प्रबंध किए जा चुके हैं और इस सिलसिले में और भी जो आवश्यक कार्य-वाही होगी, की जायेगी। जिला इलाहाबाद से सूचना मिली है कि वहां बहुत से पशुओं की मृत्यु

[श्री रामकुमार शास्त्री]

ज्वार के डण्ठल खाने से हो गई है। सूखा की हालत में ज्वार में कुछ जहरीला प्रभाव हो जाता है। झांसी में बड़ी संख्या में पशु मरने की सूचना है। इन बीमारियों के रोक-थाम और इलाज के लिए विभाग के अधिकारी विशेष प्रयत्न कर रहे हैं।

१३—जिला अधिकारियों के पास अहेतुक सहायता तथा आपत्तिकालीन तकावी के लिए रुपए पहले से उपलब्ध हैं। इलाहबाद जिले को अहेतुक सहायता के लिए २५,००० रुपये और भेजे जा चुके हैं तथा अन्य आयुक्तों को उनके वर्तमान साधनों में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से २,९०,००० रुपए और दिए जा चुके हैं। यथा आवश्यकता इस मद में और रुपए दिए जायेंगे। तकावी के मद में १ करोड़ रुपया वितरण के लिए उपलब्ध हैं।

१४—सरकार अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए कृषकों की सहायता करने का भरसक प्रयास कर रही है और जो कुछ सेवा इस संबंध में हो सकेगी वह उनकी करेगी। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि वे सरकार का इस कार्य में हाथ बटावें। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि किसानों का मनोबल कम न हो और वे ऐसे क्षेत्रफल में जो खरीफ में बिना बोये रह जायं रबी की फसल अवश्य लें।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको मैं पढ़े देता हूं। 'अवर्षण के कारण संपूर्ण प्रदेश में अकाल एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खरीफ की फसल बिलकुल नष्ट हो गई है तथा अवर्षण के कारण रबी की फसल भी बोनी असम्भव हो गई है। गन्ने तथा मक्का आदि की फसल भी सूख कर गिर गई है। कृषकों में हाहाकार मचा हुआ है। अनेक स्थानों पर लोग पत्तियां खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। सदन में राजस्व मंत्री जी द्वारा जिलाधीशों को सहायता के लिये आदेश देने की सूचना देने के बाद भी एक या दो जिलों को छोड़कर कहीं भी सहायता कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वसूली नहीं बन्द की गई है तथा सिंचाई की भी समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। वसूली करने में जो जुल्म का नग्न ताडंव हो रहा ह उसके परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश के सन्तप्त किसानों में उत्तेजना एवं सरकार के प्रति अविश्वास का वातावरण व्याप्त है। स्थिति निरन्तर चिन्ताजनक होती जा रही है।'

मान्यवर, मैंने यह स्थगन का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद जो यहां इतना वाद-विवाद हुआ, उससे मेरा हृदय बड़ा दुखी था। ऐसे कारण थे और मैंने उचित समझा कि सदन के समक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव आना आवश्यक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मैं चाहता था कि इस समस्या को हम सब मिलकर एक परिवार का संकट समझ कर, एक मत होकर इस पर विचार करेंगे। हमने कल्पना भी नहीं की थी और करना भी नहीं चाहिये थी कि इस तरह से किसी न किसी तरह के टैक्निकल बहाने से आपत्ति आ जायगी। इसको किसी ने भी रखा होता तो मैं हृदय से प्रसन्न होता और इसका स्वागत करता और इसका समर्थन किये होता, दलगत भावना या विचार को सामने न लाता। मुझे बड़ा दुख होता है जो इस वक्त की घटना है, लेकिन मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। बहुत विस्तृत भाषण भी मैं नहीं दूंगा इसलिये कि मैं समझता हूं कि बहुत से जिलों के लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो अपने-अपने जिले की बात कहेंगे। इसलिये जो विशेष-विशेष बातें हैं, उनके संबंध में ही अपने विचार सदन के सामने रखूंगा। श्रीमन्, आज जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव सदन के सामने मैंने रखा है उसका अभिप्राय यह है कि इस ओर सारे सदन और सरकार का भी ध्यान आकृष्ट किया जाय। हमारा मंत्रिमंडल जो यहां पर बैठा हुआ है, अपने मन में यह समझता है कि जो वस्तुस्थिति प्रदेश की है उन्हें कोई बताने वाला नहीं है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में उस झगड़े में भी नहीं पड़ना चाहता हूं, उन्हें मालूम हो या न हो पर वे यह तो समझें कि प्रदेश की स्थिति क्या है । आप विभिन्न माननीय सदस्यों से सुनेंगे कि जो अधिकारियों द्वारा खबरें आपको मिलती हैं वे सत्य नहीं होती हैं । मैं अपने अनुभव के आधार पर, जो हमने अपनी आखों से देखा है, कह सकता हूं कि जो सरकारी अधिकारी रिपोर्ट आपके पास भेजते हैं वह सही नहीं होती है । इसलिये मैं इसके द्वारा अपनी आवाज को आप तक पहुंचाना चाहता हूं । जितनी भयंकर परिस्थिति इस समय हमारे प्रदेश की है उतना हमारी सरकार को ज्ञान नहीं है । आज सरकार की १४ साल की योजनाओं के बाद भी हम पानी के लिये भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं और भोजन के लिये कटोरा दूसरों के पास लिए फिरते हैं । वह हमें मिलता भी नहीं है । हमारी केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार अभी तक निर्णय नहीं कर पायी कि कौन सा उपचार किया जाय कि जो संकट है वह दूर हो । क्या आज इस सरकार को कोई ज्ञान नहीं है कि प्रदेश की परिस्थिति क्या है। प्रदेश में पानी वर्षा नहीं, एक हिस्से में बोया गया और एक हिस्से में बोया ही नहीं गया । जहां पर बोया गया वहां पर वह भी नगण्य है। पानी भी अगर कहीं पर बरसा है तो वह भी बहुत नगण्य है । एक हिस्से में बिलकुल बरसा ही नहीं । जहां पर पानी बरसा है और वहां पर कुछ बोवाई हुई है, वह भी नहीं के बराबर ही है । वर्षा न होने के कारण वह फसल भी बिलकुल नष्ट हो गयी है । कहने का मतलब यह है कि जो बीज भी उन्होंने खेती में डाल दिया, वह बीज भी वे नहीं पा सकते हैं । हमेशा यह महीना ऐसा होता है कि गांवों के लोग अन्न का अभाव महसूस करते हैं और मक्का या मेंडुआ ऐसी फसलें इस समय तैयार हो जाती हैं और गांवों के रहने वाले अन्न के अभाव में उनसे अपना पेट पर लेते हैं। आज पानी के न बरसने के कारण वे भी नहीं हैं । आज हाहाकार मची हुई है । जो लोग आज यहां कहते हैं कि जो खेतिहर मजदूर हैं, उनके पास अनाज है तो मैं समझता हूं कि आपको देहात के इन आदमियों की दशा का ज्ञान नहीं है। देहातों में ५ प्रतिशत व्यक्तियों के पास भी खाने को अनाज नहीं है । या तो उन्होंने अपना गल्ला बेच डाला है या वे मजदूरी करते हैं । आज उन्हें गल्ला नहीं मिल रहा है । हम हर साल की क्या बात कहें आज बहुत से लोग पत्ते खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और डंठल ठ्वायल करके अपना जीवन बिता रहे हैं । मैंने तो एक गांव में स्वयं देखा है कि वहां पर एक वक्त भोजन ही नहीं मिलता है और एक वक्त भी जो थोड़ा बहुत पाते हैं, वे आपस में बैठकर खाते हैं । आज ऐसी भयानक स्थिति हमारे प्रदेश के मनुष्यों की हो गयी है। इसके अतिरिक्त मनुष्यों से लगे हुए पशुओं का हाल यह है कि उन्हें आम के पत्ते खिला-खिला कर उनका पेट भरा जाता है । वे पत्ते जिन्हें चूल्हे में जलाया जाता था, उन्हें अब पशुओं को खिलाया जाता है। तो यह आपकी बदौलत ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है। अभी माननीय माल मंत्री ने बतलाया कि नहर और ट्यूववैल हैं लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उनकी स्थिति उन्होंने देखी नहीं । नहरों और ट्यूबवेल की स्थिति यह है कि पानी है तो आपरेटर नहीं है और अगर आपरेटर है तो पानी नहीं है और अगर पानी, आपरेटर दोनों हैं तो बिजली नहीं है और अगर ये तीनों है कहीं पर तो फिर गरीब के पास पैसा नहीं है । जहां-जहां नहरें और ट्यूबवेल है वहां भी फिर सूखा क्यों हो रहा है, वहां सिंचाई होकर क्यों राहत नहीं पहुंचती ? इसी से पता चलता है कि सारा प्रशासन भ्रष्ट है और यह आपकी अदूरदर्शिता है कि अपनी स्थिति को आप आंक नहीं पाते और सच्चा कदम नहीं उठा पाते ।

प्राइवेट ट्यूबवेल्स की हालत यह है कि डीजल और मिट्टी का तेल आप नहीं पहुंचा सकते । आप उन चीजों को नहीं पहुंचा पाते, जिनसे वे चल सकें । जो मेहनत करके पानी पहुंचा सकते थे उनकी भी आपने यह स्थिति कर दी कि वे आपको किसी तरह से सहायता नहीं दे सकते । अकाल में दो अंग होते हैं । एक सरकार और दूसरे गैर सरकारी सरकार अपने साधन जुटाती है और गैर सरकारी लोग अपने धन और परिश्रम को जुटा कर

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

सरकार से सहयोग करते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों में करते हैं जब उनके सहयोग से कुछ लाभ होने वाला हो। लेकिन जब हमारी सरकार निष्क्रिय हो, सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हों तब उस सहयोग से क्या लाभ होने वाला है ? ऐसे एक नहीं, अनेक प्रश्न आपके सामने आये जो आपकी आंख खोलने वाले हैं कि सरकारी अधिकारी कैसे देहात के जीवन के साथ खेल कर रहे हैं, जो बीज, खाद या पानी अथवा दूसरे साधन जुटाने की बात कही जाती है वह केवल भ्रम है। इतने पर ही हमारी सरकार को संतोष नहीं हुआ। हमारे माल मंत्री ने कहा कि सब जिलाधीशों को कह दिया है वे स्टैप लेंगे। माल मंत्री यह ढुली ढुलाई बात अक्सर कह दिया करते हैं कि हमने जिलाधीशों को सूचना दे दी है, वे करते रहेंगे। हम क्या समझे कि आपकी सूचना देने पर सारा भार उन पर छोड़ दिया जाता है और वह अपना विवेक इस्तेमाल करें ? वह विवेक इसलिये इस्तेमाल नहीं करता कि कहीं मालगुजारी में कमी न हो जाय, कहीं अधिक न देना पड़ जाय और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आपकी आज्ञा की अवहेलना की जाती है। इस पर ऐसी विषम परिस्थिति में आपने पंचायत राज्य के जरिये वहां फीस बढ़ा दी। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी दृष्टि उनके दुख-सुख पर कितनी है ? मेरा ऐसा खयाल है कि यह सरकार एसी है जो इन परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देती और इस तरह ध्यान देती है जिससे उनका कष्ट बढ़ता है, घटता नहीं। फतेहपुर, सीतापुर, बनारस, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ झांसी के आंकड़े देखे जायं, वे आंकड़े देखे जायं कि वहां की हालत कितनी दयनीय हो गयी है ? आपके पास जो आंकड़े जिलों से आते हैं, सभी जानते हैं कि वे कैसे बन कर आते हैं ? आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि वह सरकार सदैव सफल है जो सदन के सामने सत्य बात रखे। हम भी उधर होते तो संभव था कि वही परिस्थिति होती। वस्तुस्थिति सदन के सामने आनी चाहिये, आप तो बदलने वाले भी नहीं हैं, फिर आप सत्य क्यों सदन के सामने नहीं रखते ? अपनी चमड़ी को बचाने के लिये दूसरी बात सदन के सामने आप रखते हैं, यह दोषारोपण मैं सरकार पर करता हूं कि जो सरकार को करना चाहिये था वह भी उसने नहीं किया, जिससे यह परिस्थिति पैदा हो गई। आगे भी पता नहीं क्या परिस्थिति पैदा होने वाली है ? अगर वर्षा की यही स्थिति रही तो यह फसल तो जाती ही रही। बड़ी डींग हांकते थे कि अबके बड़ी अम्पर आप रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद क्या परिस्थिति होने वाली है ? इसको देखना चाहिये। केवल शब्दों से पेट नहीं भरता है। इसके अलावा यह भी है कि रबी की फसल बोई नहीं जायेगी। मैं सरकार का ध्यान तीन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपके प्रदेश और केन्द्र के झगड़े से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम इसके अन्दर नहीं जाना चाहते हैं। आप प्रदेश की इस भयावह स्थिति को सुधारने के लिये कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करें। हमें आपके मंत्रिमंडल के झगड़ों से भी कोई मतलब नहीं है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान तीन परिस्थितियों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक अन्नाभाव है और दूसरे चारे का अभाव है। तीसरी बात हम यह कहते हैं कि अगर सरकार इन दोनों स्थितियों को नहीं सुधार पाई तो जैसा कि प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी ने सात महीने पहले कहा था कि हम अपराध की स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं, ६ महीने के बाद इससे चौगुनी परिस्थिति हमारे सामने पैदा हो जायगी। परिस्थिति बहुत भयंकर होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं चन्द सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। वह श्रीमन्, आलोचना के रूप में भी आपके सामने आ जायगी।

मैं कहता हूं कि यह सरकार जनता की है, जनता के द्वारा है और जनता के लिये है। अगर जन जीवन को बचाने के लिये ज्यादा खर्चा हो जाये तो उससे हाथ नहीं खींचना चाहिये। इसके अलावा अगर हमें अपने कुछ कार्य रोकने पड़े तो चिन्ता नहीं है। पहले लोगों के प्राणों को बचाइये।

पहला मेरा सुझाव यह है कि आप सारे प्रदेश में अकाल की स्थिति घोषित कीजिये। आप इसको ध्यान में मत रखिये कि कहां फेमिन कंडीशन हुई है, कहां नहीं बल्कि आप इस बात को सोचिये कि आज उनकी दशा अच्छी नहीं है। अगर परिस्थिति अच्छी होती तो मैं कुछ न कहता। दूसरी बात यह है कि हर तरह की पुरानी वसूली रोक दीजिये और जो रबी और खरीफ का लगान है उसे माफी कीजिये। आप जो इकठ्ठा वसूल करते हैं उससे किसान की और कमर टूट जाती है। इसलिये लगान मुल्तवी न करके माफ कीजिये। तीसरी बात यह है कि जो आपने खाद वगैरह किसान को दिया है उसको माफ कीजिये। चौथी बात यह है कि जहां पर बारिश नहीं हुई है वहां पर सिंचाई के साधन निःशुल्क दीजिये। जहां पर दो फसल बोई जा सकती हैं और पानी न बरसने की वजह से नहीं बोई जा सकीं, उसमें आप किसानों की सहायता कीजिये जिससे वे दो फसलें काट सकें। इसके अलावा हर जगह पर टैस्ट वर्क्स खोलिये और सस्ते गल्ले की दूकानें हर जगह पर खोलिये। चारे का प्रबन्ध कीजिये। ऐसे क्षेत्रों में विद्यार्थियों की फीस माफ कीजिये। मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन पर मुझे आशा है कि सरकार ध्यान देगी।

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने वाले सदस्य बहुत ज्यादा हैं इसलिये मेरी राय में ८ मिनट से ज्यादा कोई न ले।

(श्री रणबहादुरसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, सुन लीजिये, माननीय रामसुन्दर पान्डेय का भी प्रस्ताव था, इसलिये पहले उनको सुन लीजिये। फिर भाषण कराइये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, इसके बाद माननीय रामसुन्दर जी बोलेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पान्डेय (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था, जब माननीय रामसुन्दर पान्डेय ने अकाल क्षेत्र घोषित करने के संबंध में कामरोको प्रस्ताव पेश किया था कि माधवप्रसाद जी के प्रस्ताव के साथ ही आपका प्रस्ताव समाविष्ट कर दिया जायगा। जब समाविष्ट हो गया तो निश्चित ही रामसुन्दर पान्डेय को उनके बाद ही बोलने का मौका देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको मौका जरूर मिलेगा। इन्हीं के बाद दे दूंगा। लेकिन प्रस्तावक एक है।

श्री केशरीप्रसाद पान्डेय—

यह हमारे हक का सवाल है। हमने आपके कहने से यह मान लिया था कि हमारा प्रस्ताव उसी प्रस्ताव में समाविष्ट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न। वह यह है कि नियम ५२ के अन्तर्गत बहुत से माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को सूचनाएं दी थीं जैसा कि माननीय मंत्री जी के छपे हुए वक्तव्य में जिक्र किया गया है.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जिन लोगों की सूचनाएं हैं, उनको मौका देने की कोशिश करूंगा लेकिन सबके लिये कोई वायदा नहीं है।

*श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अनुगृहीत हूं कि आपने इस विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं सारे प्रदेश की बात नहीं करना चाहता। केवल अपने जिले की हालत, जो मैंने स्वयं देखा है, आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बस्ती जिले में मैं कई तहसीलों में गया। अभी तक जो राजस्व मंत्री द्वारा घोषणा की गयी है, जो सुविधाएं प्रदान की गयी हैं, उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। वसूली अभी जारी है। मैं कल वहां से चला हूं, कल तक वहां तकावी की वसूली हो रही थी। दूसरे मैं बताना चाहता हूं कि जो विरोधी दल के नेता श्री त्रिपाठी जी ने कहा है, पानी की जो घोषणा कर दी गयी कि सिंचाई में दो बटे तीन छूट दी जायगी, उसके लिये यहां पर मांग की है कि निःशुल्क सिंचाई कर दी जाय, मैंने ३०–३५ ट्यूबवेल स्वयं देखे हैं हरैया तहसील में जहां से चुनकर मैं आता हूं, वहां नहर की व्यवस्था नहीं है, वहां २२ ट्यूबवेल की मशीनें अभी तक रिपेयर में हैं, वहां पर स्टार्टर, आपरेटर नहीं हैं। आदेश वहां जरूर पहुंच गये हैं कि पानी की व्यवस्था करें लेकिन कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरे सस्ते गल्ले की दूकाने खोलने की बात कही गयी है। हमारे बस्ती जिले में जिसकी जन संख्या लगभग २८ लाख के है वहां केवल १२ दूकानें खोलने की बात है। बस्ती जिला विशेष रुप से प्रभावित है। तो वहां की दयनीय स्थिति को देखते हुए १२ दूकानों से कैसे काम हो सकता है? मेरी मांग है कि हमारे जिले में २८ ब्लाक हैं, कम से कम ३२ दूकानें वहां खोलनी चाहिये। वहां ८–१० छटांक का गल्ला बिक रहा है। इसमें शक नहीं कि टेस्ट वर्क के लिये आदेश गये हैं, लेकिन कहीं भी कोई टेस्ट वर्क प्रारम्भ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जहां हमारे यहां और भी बहुत सी तहसीलें हैं, मैं अपनी तहसील हरैया का जिक्र करना चाहता हूं। जहां पर जमींदारी उन्मूलन के पहले सारे प्रदेश में जमींदारों की संख्या २२ लाख थी, केवल उस तहसील में ही १,३२,६१२ जमींदार थे। हमारे यहां छोटे-छोटे किसान हैं उनकी हालत बड़ी नाजुक और दयनीय हो गयी है। वहां पर अब भी सरकार द्वारा प्राप्त सहायता की कमी है, जो कुछ सरकार ने किया है, वह उन तक पहुंचा नहीं है, वहां पर सहायता कार्यक्रम चलाया नहीं जा रहा है। इसके अतिरिक्त वहां हमारे जिले में ५६ गांव नदी के कटाव से कट गये हैं, और उसके किसान अपने गांव, अपनी रोजी रोटी से उजड़ गये हैं। उनके लिये आपने पहले पौने चार सौ गल्ले की दूकानें खोली थीं, किन्तु आज वह बन्द हो गयी हैं और इस भीषण संकट के समय सड़कों पर भूखों दर-दर फिर रहे हैं और उनकी रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं है। मैं चाहता हूं कि उस कटान के क्षेत्र में जहां पर सरकार मुफ्त गल्ला दे रही थी उनके लिये पुनः भरसक अविलम्ब सहायता पहुंचाये। जहां यहां की सरकार के आदेशों का संबंध है और जहां हमारे मंत्री जी का संबंध है, यहां से सारी चीजें समय पर होती हैं, लेकिन हमारे जिला स्तर पर, तहसील और ग्राम स्तर पर पहुंचकर सरकार की सारी मंशा ही समाप्त हो जाती है। इस तरह से हमारा काम उस स्तर से नहीं चल पाता, जिस तरह से सरकार चलाना चाहती है। स्थिति इतनी

विषम है कि अधिकारी इच्छा होते हुए भी सहायता देने में असमर्थ है । हमारे यहां २-३ महीने से नये डी० एम० गये हैं वह खूब देखभाल करते हैं, साइकिल पर भी टूर करते हैं, कुल काम उन्होंने देखा है, लेकिन राशन देने में वह असमर्थ हैं। जो १२ दूकानें बनाई गयी हैं, उनमें से केवल २ दूकानों पर ही थोड़ा-थोड़ा गल्ला पहुंचा है और बारहों दूकानों पर कतई गल्ला नहीं पहुंचा है। मैं राजस्व मंत्री जी से आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वहां की स्थिति पर तुरन्त ध्यान दिया जाये ।

खाद्य समस्या के बाद, मैं आज की एक अन्य भयंकर समस्या की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं, उजाले की समस्या पर। मिट्टी के तेल की हमारे यहां बड़ा अभाव है। हमारे यहां १ तहसील में १७ मौतें हुई हैं । थोड़ा बहुत जो पानी बरस जाता है, उसमें १७ प्राणियों की मौतें हुई हैं, उसका एक मात्र कारण है तेल का अभाव। यों तो लखनऊ नगर में और प्रदेश भर में तेल की बड़ी कठिनाई है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह बिलकुल दुर्लभ ही है और आपकी कोई व्यवस्था नहीं है । मैं चाहूंगा कि खाद्य पदार्थों के साथ साथ हमारी सरकार इस पर भी ध्यान दे । हम सरकारी एम० एल० ए० लोग उनकी सहायता करने में असमर्थ हैं, जब हम वहां जाते हैं तो लोग गल्ला मांगते हैं, तेल मांगते हैं, विद्यार्थी तेल मांगते हैं, लेकिन हम अपने को विवश पाते हैं, क्या करें । आप स्कूलों की संख्या और उनके विद्यार्थियों की दयनीय स्थिति को भी आप देख लें, मैं दो स्कूलों का मैनेजर हूं, फीस माफी का जमाना है इतने लोग घेरे हुये हैं कि हम सोचते हैं कि सारे विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी जाये तो विद्यार्थी पढ़ सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने कामरोको प्रस्ताव रखा था, वह सही माने म जो इस प्रदेश की आज स्थिति है, उसका सिंहावलोकन कराता है । आप जानते हैं और मेरा खयाल है इधर के हों नहीं उधर के बैठने वाले सदस्य भी यह महसूस करते होंगे कि सन् १९३८ के बाद इतना बड़ा अकाल शायद इस प्रदेश में नहीं आया था । सन् ३८ में और आज में फर्क यह है कि उस समय अन्न सस्ता था, आज बहुत महंगा है, आज महंगाई आसमान पर है लेकिन जो हालत सन् ३८ में थी वही हालत प्रदेश की है । श्रीमन्, जब हम कहते हैं कि प्रदेश में अकाल की स्थिति है तो उसमें गांव का रहनेवाला खेतिहर मजदूर, मजदूर और छोटे छोटे किसान जिनके पास खेत नहीं है और जिनकी आमदनी खेती से होती है उससे उनकी गुजर नहीं होती, शहरों में भी जो निम्नवर्ग के व्यक्ति हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, सभी की हालत दयनीय है और प्रायः उनके यहां दो या तीन जून के बाद चूल्हे जलते हैं,उपवास पर उपवास हो रहे हैं,छोटे-छोटे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं तो वे बिना खाये जाते हैं और राह में मूर्छित होकर गिर तक पड़ते हैं। जब इधर के बैठनेवाले साथी सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रदेश में अकाल स्थिति की उत्पन्न हो गयी है उसको समाप्त करने के लिये कुछ किया जाय तो सरकार और उसके अधिकारी उस पर पर्दा डालते हैं । हमें कहने में संकोच नहीं है कि माननीय राजस्व मंत्री का विभाग सदा गलत आंकड़े देता रहा है और उसी कारण आज प्रदेश में अन्न की कमी है । माननीय गेंदासिंह जी इधर जाकर बैठे हैं, वे अपनी पुरानी बातों का खयाल करें । वे बराबर कहते रहे हैं कि सरकार जो तखमीना लगाती है पैदावार का वह गलत है और गलत आंकड़े का ही परिणाम हो रहा है, हिसाब किताब में तो गल्ला ज्यादा है लेकिन आज घर में लोगों के है नहीं इसीलिये उपवास हो रहे हैं । मैं सरकार से पूछता हूं कि आखिरकार जब आपके आंकड़े सही हैं तो फिर गल्ला इतना महंगा क्यों होता चला जा रहा है ? माननीय खाद्य मंत्री जी इस समय सदन में नहीं हैं । मुझे अफसोस है कि जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही हो, खाद्य मंत्री गायब रहें, इससे पता चलता है कि वे इस प्रदेश की जनता के साथ कितने

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

उदार हैं । आपको जानकारी होगी कि पिछले साल इसी महीने में प्रदेश में ११ हजार सस्ते गल्ले की दूकानें शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चलती थीं । आज ग्रामीण क्षेत्रों में तो सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं ही नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे शहरी क्षेत्र है जहां नहीं हैं । आखिरकार सस्ते गल्ले की दूकान क्यों नहीं खोली जाती हैं ? मैं यह मानता हूं कि सस्ता गल्ला खिलाकर लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता लेकिन दूकानें इसलिये खोली जाती हैं कि बाजारों में जो भाव बढ़े हैं वह रूकें । मैं जानना चाहूंगा कि पिछले साल जब ११ हजार दूकानें थीं और इस साल भी इतनी काफी दूकानें चल रही हैं तो इसके माने स्पष्ट हैं कि गल्ले का भाव आसमान छू रहा है । जहां तक रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों का सम्बन्ध है न उनके लिये तो माननीय बनारसीदास जी ने मिल मालिकों को छूट दे रखी है कि जितना चाहो लूटो, कमाओं तुम्हारे लिये कोई रोकटोक नहीं है । तो अवर्षण की घटना जो घटी है उसका परिणाम उधर भयकर है । सावां, कोदों, काकुन, मकई, वह भी नहीं हुआ । अभी कहा गया कि मेरठ, कुमायूं और पहाड़ी क्षेत्रों में २५ प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है । वह तो वहां के माननीय सदस्य अधिक कहेंगे लेकिन हमें जो सूचना है उसके अनुसार हमें आपसे स्पष्ट कहना है कि आपकी सचना बिलकुल गलत है । और श्रीमन्, हम यह जानते हैं कि अधिकारी जब एक बार रिपोर्ट दे देता है तो फिर वह उसी को साबित करने के लिये उस पर अडिग रहता है, और उससे टस से मस नहीं होता है । पिछले साल रबी की फसल पर इसी प्रकार से हमला हुआ था । हमने बहुत कोशिश की कि उन आंकड़ों को फिर से मंगाया जाय और जिलाधीश से कहा जाय कि वह हम लोगों सम्पर्क से स्थापित करे लेकिन वह बात नहीं हो सकी । आज मैं कहना चाहता हूं कि पुराने जो माल विभाग के नियम हैं वह बदलने चाहिये । बिना उनको बदले मैं यह समझता हूं कि आप सही माने में किसानों की सहायता नहीं कर सकते हैं । अब मैं फिर क्या उस बात को दोहराऊं, मैं यह समझता था कि कुछ समजवादी विचारधारा के लोग उधर बैठ गये हैं तो जो बात वह कहा करते थे उन बातों को अपनी सरकारसे मनवाने की कोशिश करेंगे किन्तु हमको उसमें निराशा नजर आ रही है । मैं यह समझता हूं कि माल विभाग के जो नियम हैं वे नियम अंग्रेजों के जमाने के बने हुये हैं । वे आज भी चलते हैं । आप जानते हैं कि फैमिन कोड १८८९ का बना हुआ हैं । वही फैमिन कोड हमारे प्रदेश में आज भी लागू है । मैं उधर के बैठने वालों से पूछना चाहता हूं कि १८८९ के जमाने की आज १९६५ के जमाने से कैसे तुलना हो सकती है ? उन नियमों के आधार पर आप कैसे उन लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं जिनके लिये आप काम धन्धे खोलना चाहते हैं ? मैं उधर के बैठने वाले भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि वे देखें कि फैमिन कोड में मजदूरी क्या निर्धारित है । मजदूरी पुरुषों के लिये ६२ नये पैसे, स्त्रियों के लिये ५० नये पैसे और बालकों के लिये ३७ नये पैसे निर्धारित हैं । मैं जानना चाहता हूं कि ६२, ५० और ३७ पैसे देकर क्या इस प्रदेश की सरकार उन लोगों की भूख को मिटा सकती है ? उनकी भूख को नहीं बुझाया जा सकता है । यदि हामारी सरकार यह चाहती है कि सही माने में लोगों को खाना दे सके, सही माने में भूख को बुझाया जा सके और लोगों को राहत दी जा सके तो उसके लिये जरूरी है कि आप फैमिन कोड को बदलें और उसको बदलने का प्रस्ताव माननीय माल मंत्री को इस हाउस में लाना चाहिये और लाकर इस प्रदेश के सभी लोगों की राय से फैमिन कोड का बदलाव होना चाहिये । तभी इस अकाल के समय में लोगों को राहत देने के लिये सहायता पहुंचाई जा सकती है । श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूं कि फैमिन कोड में हमारे प्रदेश के अन्दर ही ये रेट हैं । गल्ले के भाव जहां दूसरे प्रदेश में बढ़े हैं वहां पर मजदूरी बढ़ी है लेकिन हमारी सरकार में गल्ले के भाव बढ़े हैं, गल्ला महंगा हुआ है लेकिन इनकी मजदूरी बढ़ती नहीं है । अन्य प्रदेशों में आन्ध्र में, महाराष्ट्र में हमारे प्रदेश के मुकाबले में टेस्ट वर्क की मजदूरी ज्यादा दी जाती है ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय रणबहादुरसिंह जी ने मेरा बोझ हल्का कर दिया । अभी मैं बलिया जिले में गया था वहां पर लोगों ने बतलाया कि २१ तारीख तक यानी परसों तक मालगुजारी और तकावी की वहां पर वसूली हो रही है । सरकार को इसकी जांच करना चाहिये और इस बात का पता लगाना चाहिये कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं कि सरकार के आदेशों

का वे उल्लंघन कर रहे हैं। जब सरकार ने आदेश दे दिया कि मालगुजारी और तकावी की वसूली मुल्तवी हो जाय तो फिर वसूली क्यों हो रही है ? इस पर कड़ाई के साथ व्यवहार होना चाहिये। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि सुहावल बिजली घर की मरम्मत हो रही है। इस वजह से टांडा और फैजाबाद की नहरों में पानी नहीं है। ऐसे वक्त पर यदि इंजीनियर बिजलीघर को बन्द कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि लाखों मन गल्ले का नुकसान हो रहा है। यदि ऐसे समय में भी पानी नहीं दिया जाता है तो फिर किस तरह से प्रदेश का काम चल सकता है। इसके साथ साथ यह भी मैं जानता हूं कि प्रदेश में आज हजारों नलकूप बन्द हैं। वहां पर पानी नहीं दिया जा रहा है। मैं दोहरीघाट के पास ही रहता हूं। बलिया और आजमगढ़ जिलों में इसी नहर से पानी मिलता है। आज हजारों एकड़ जमीन में फसल मैंने इस चार दिन की छुट्टी में जाकर देखी है, कि बिना पानी के सूख रही है। उस फसल को पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं है पर हमारी बात को सरकार या उसके अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये हमारी पार्टी की मांग रही है। मैं आपसे कहूंगा कि हमारी पार्टी की यह मांग सही है और इसी मांग को लेकर हमारे राज्य पार्टी के अध्यक्ष श्री सालिग्राम जायसवाल जी आज जेल में बन्द हैं। मैं माननीय बनारसीदास जी से पूछता हूं कि आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं और आप क्यों इतना निष्ठुर हो गये हैं कि जिन लोगों ने हिंसा का सहारा न लेकर अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन किया और सभायें की तथा जनता की मांगों व तकलीफों को आपके सामने रखा उनको भी आप आज बेरहमी से जेलखानों में बन्द किये हुये हैं। उसका नतीजा यह होने वाला है कि जनता मजबूर होकर हिंसा का आश्रय लेगी और उस स्थिति को सम्भालना सरकार के बूते के बाहर की बात हो जायगी। आज जब कि बेरोजगारी है, भूखमरी है, बेकारी है, महंगाई है और सारी समस्यायें हैं जिनसे जनता जूझ रही है, जबकि जनता परेशानहाल है, उस वक्त अगर आप जनता को तथा उसके प्रतिनिधियों को जेलखानों में बन्द करें, उनको लाठी मारें, गोली मारे तो उसका नतीजा बुरा हो सकता है। मैं समझता हूं कि जब सारे प्रदेश को अकालपीड़ित क्षेत्र घोषित करने के लिये आन्दोलन हो रहा है तो सरकार को चाहिये कि वह जनता की इस मांग को मान कर सारे प्रदेश को तत्काल अकालपीड़ित क्षेत्र घोषित करे और जो लोग आज इस आन्दोलन के सम्बन्ध में जेलखानों में बन्द हैं, उनको अविलम्ब छोड़े जाने का आदेश आपकी तरफ से जाना चाहिये। मुझे मालूम हुआ है कि इलाहाबाद के कमिश्नर ने इलाहाबाद के कुछ परगनों को अकाल-पीड़ित क्षेत्र घोषित करने के लिये कहा है, मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि उस क्षेत्र को तुरन्त अकालपीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय और अकालपीड़ित क्षेत्र घोषित होने पर जो जो सुविधायें व सहूलियतें वहां के लोगों को मिलनी चाहिये वे सारी सहूलियतें सरकार को इस दिशा में देनी चाहिये।

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने बहुत सारे सुझाव दिये हैं, उन सब से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं लेकिन दो चार सुझाव और हैं जिन्हें उन्होंने नहीं कहा है, उनको मैं कह देना चाहता हूं। जिनके पास ताकत है, श्रम शक्ति है उनको तो आप काम दें, मजदूरी ज्यादा दें और मजदूरी में गल्ला दें। दूसरी चीज यह कि जो अपाहिज हैं, लूले लंगड़े हैं, भिखमंगे हैं, हजारों की तादाद गांवों में सड़कों पर पड़े हुये हैं, सरकार को चाहिये कि उनकी मदद करे। आज देहातों में लोगों के पास गल्ला नहीं है, भिख मंगों को भीख तक नहीं मिल रही है, ऐसे निराश्रित और असहाय लोगों को खाना व कपड़ा देने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। सरकार को चाहिये कि वह उनके खाने व वस्त्र का इन्तजाम करें, उनको नंगा न रखे, उनको भूख न मरने दे। विद्यार्थियों की बात हमारे माननीय रणबहादुर सिंह ने बतलायी कि आज ७०–८० प्रतिशत विद्यार्थियों को बिना खाना खाये स्कूल जाना पड़ता है। मुझे तकलीफ है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। उनके विभाग द्वारा सन् ६४ में एक जी० ओ० निकला....

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री नहीं हैं और ये शिक्षा के ऊपर बोल रहे हैं। माननीय सदस्य को चाहिये कि सम्बन्धित विषय पर ही बोलें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं आपसे कहता हूं कि सारे प्रदेश के विद्यार्थियों की मांग है कि अकाल की छाया ने सबको झकझोर दिया है इसलिये आवश्यक है कि सारे प्रदेश को इसी वक्त सरकार अकालपीड़ित क्षेत्र घोषित करे और अकालपीड़ित क्षेत्र घोषित करके फेमिन कोड के अनुसार जो-जो सहूलियतें पब्लिक को मिलनी चाहिये वे उसे मिलें । अगर सरकार यह नहीं करती है तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहूंगा कि वह सरकार को मजबूर करे कि सारे प्रदेश को अकालपीड़ित क्षेत्र घोषित करे और जो भी सहायता मिलनी चहिये वह जबरदस्ती आपके हाथों से छीन कर ले ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं एक सूचना चाहता हूं । मुझे विश्वस्त सूत्र से ऐसा मालूम हुआ है कि कैबिनेट के किसी मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है । सदन को अभी इसका पता नहीं है, अगर आपको ज्ञात हो तो कृपा करके इसकी सूचना दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकारी रिपोर्ट.... (व्यवधान)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मेरी प्रार्थना है कि सब के लिये ५ मिनट का समय निर्धारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोगों की यही राय है तो ठीक है । सब लोग केवल पांच-पांच मिनट लेंगे ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

इस विवाद में शहरातियों को मौका नहीं मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मेरी आप से एक प्रार्थना है । जिस दिन माननीय राजस्व मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया था, वह उस दिन अंतरिम वक्तव्य था और उस दिन माननीय अध्यक्ष ने डेढ़ घन्टे का समय उस के लिये प्रदान किया था । मेरा ख्याल है कि अच्छा यह हो कि इस डिबेट के लिये समय और बढ़ा दिया जाय । दो घंटे के बजाय चार घंटे आप कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय नहीं बढ़ सकता । आप बैठिये ।

श्री नेकराम शर्मा—

सारे सदन के सदस्य चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोलने दीजिये ।

*डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

जो सरकारी रिपोर्ट मिली है, उससे यह स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश के कई हिस्सों में हालत काफी खराब है विशेष करके इलाहाबाद के लिये जो कहा गया है कि ७,६८,३५२ एकड़ जमीन कुल वहां खेती के लायक थी जिसमें से इस वर्ष ४ लाख ४१ हजार एकड़ जमीन पर कोई बुवाई नहीं हुई है और इसके अतिरिक्त जो ३ लाख एकड़ जमीन पर बुवाई हुई है उसे मैंने देखा है । मैंने जो सरकारी अफसर हैं उन से इस संबंध में बात की, कर्मचारियों से बात की, और पिछले चार दिन इलाहाबाद रह कर उस सब का मैंने अंदाज लगाया कि उस बोई हुई जमीन पर भी कोई फसल उगी नहीं है । इसलिये मेरी इलाहाबाद की जनता की ओर से सरकार से यह मांग है कि पूरे इलाहाबाद जिले को फैमीन एरिया घोषित किया जाय और वहां का लगान जो वसूल हो रहा है उसे रोकने का आदेश तो हो ही, लेकिन इस वर्ष का जो लगान है उसको साथ ही बिलकुल माफ कर दिया जाय । यह भी आज ही एलान होना चाहिये जिस से वहां के किसानों को कुछ तसल्ली हो । साथ ही साथ जो सिंचाई के लिये ट्यूब वेल्स नहरें हैं, उनके लिये विभागीय आदेश तो है, लेकिन अभी भी उनकी उचित व्यवस्था वहां नहीं हो पायी है । मुझे अफसोस इस बात का है कि इस बात को जानते हुये कि वर्षा कम हो रही है फिर भी अभी जाकर नालियां बनाने के लिये सीमेंट का परमिट दिया गया है और अब यह कार्य शुरू हुआ है कि नालियों की मरम्मत की जाय । खैर अगर अब भी सब लोग जोर से जुट जायं तो रबी की फसल कुछ ठीक हो सकेगी । इसलिये मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहती हूं और यह कहना चाहती हूं कि कम से कम अब तो उसके कर्मचारी जरा ज्यादा दिलचस्पी लेकर गांवों में जा कर उन नालियों को ठीक करवायें और सिंचाई की व्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को उठाने दें और उसका प्रबन्ध करें । किन्तु अभी भी उन में भ्रष्टाचार चालू है । यह मैं जानती हूं कि यहां से सरकार के आदेश जारी हुए, लेकिन उन पर अमल कहां तक हो रहा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जहां अकाल पड़ा हुआ है वहां के लोगों को बुलवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात तो ठीक नहीं है आप बैठ जाइये ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

हमारे मंत्री जी जा कर वहां की स्थिति को देख लें कि वहां की हालत कितनी खराब है और जहां-जहां उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा वहां सख्ती करें और उन आदेशों का पालन करवायें, वहां के विद्यार्थियों की जो फीस है उसे फिलहाल माफ करना चाहिये क्योंकि किसान आज अपने बच्चों की फीस दे सकने में असमर्थ हैं । इन शब्दों के साथ में अपने जिले की ओर से, वहां की जनता की ओर से फिर निवेदन करना चाहती हूं कि इलाहाबाद को फैमीन एरिया डिक्लेयर किया जाय और अकाल के समय में जो सुविधायें दी जाती हैं वह वहां की जनता को दी जायं, चौबीस घंटे के अंदर यह काम वहां के लिये शुरू हो जाना चाहिये । नहीं तो बहुत बड़ी संख्या में वहां पर जानवर मरेंगे और बड़ी मुसीबत हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री नेकराम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर (व्यवधान) जिनका नाम नोटिस में है, उन्हीं को बुला रहा हूं । ५–५ मिनट का सुझाव रखा गया, वह मैंने मान लिया । अब जिनका नाम नोटिस में है उन्हीं में से ज्यादातर बुला रहा हूं फिर बार-बार खड़े होकर क्यों समय नष्ट किया जाता है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माधूराम शिक्षक—

बड़े-बड़े पूंजीपति और फार्म वालों को ही मत बुलाइये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । आप बार-बार खड़े होते हैं, यह ठीक नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश और प्रदेश आज एक बहुत बड़े खतरे से गुजर रहा है। उधर तो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर में हमला किया है, दूसरी ओर जो प्रकृति है उसने भी हमला किया है । आज जितनी वर्षा होनी चाहिये थी नहीं हुई । कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि प्रदेश को अकालघोषित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिये । यह सभी जानते हैं कि यह प्रदेश कभी पूर्व में सेल्फ सफिशियेंट रहा हो, लेकिन जबसे मैंने होश संभाला है मैं देख रहा हूं कि यह प्रदेश डेफिसिट में हो रहा है और यहां के ५० परसेंट जनता भूखी सोती है, उनको भर पेट खाना नहीं मिलता। कभी ज्यादा वर्षा, कभी कम वर्षा, ऐसा ही चलता रहता है और इन प्राकृतिक आपत्तियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन जो कुछ यह सरकार करना भी चाहती है नौकरशाही नहीं करने देती । सरकार की नियत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आज जो नौकरशाही है उनका और सरकारी पार्टी में एक सामंजस्य नहीं है । एक दो उदाहरण देता हूं ।

राजस्व मंत्री ने घोषणा की कि हमने वायरलेस से आदेश अकालग्रस्त जिलों में भेज दिये हैं कि वसूलयाबी न हो। श्री शिवदानसिंह जी तथा मैं जब जिला मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ से मिले तो उन्होंने कहा कि आज शनिवार को वायरलैस मिला है और ९०–९५ फीसदी वसूलयाबी हो चुकी है। हम देहात में गये। सरकार के कहने पर भी वहां पर ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं। ३–३, ४–४ दिन से बिजली नहीं आ रही है । एक तरफ तो यहां बताया गया कि हमारी सारी नहरें और ट्यूबवेल फंक्शन करें और दूसरी तरफ नौकरशाही की यह जुर्रत कि वहां से गलत सूचना दे सरकार को और उसके आधार पर हमारे मंत्री यहां गलत बयान दें, सूचना गलत दें । जिलाधीश, अलीगढ़ ने तो यह कहा कि हमारे अफसर कहते हैं कि यहां सूखा है ही नहीं । एक तरफ तो सरकारी कर्मचारियों की बात मानिये और दूसरी तरफ सरकारी पक्ष के जितने माननीय सदस्य बैठे हैं और इधर के जितने बैठे हैं सबकी एक राय है कि इस प्रदेश में सूखा पड़ रहा है, अन्न नहीं है । आज सारा सदन एक है और यह मंत्रिपरिषद् उसे भी नहीं मानता केवल अफसरों की बात पर यकीन करता है। यदि इसका यही रवैया रहा तो यह सरकार शीघ्र डूबेगी ।

यहां तक नहीं, फूड मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि जितने कोटे की आवश्यकता है उतना कोटा हमारे पास नहीं है ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, १५ मिनट का समय है, कम से कम १० मिनट तो दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, सिर्फ, ५–५ मिनट ।

श्री नेकराम शर्मा—

५ मिनट में क्या कहूंगा ? श्रीमन्, इतना थोड़ा समय है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त रबी की फसल तैयार हो कर बाजार में आयी, वह फसल अच्छी हुई, तो फूड मिनिस्टर ने गल्ले को क्यों नहीं खरीदा ? आपकी सारी मशीनरी फेल हो गयी है। आपको तो अपनी गुटबन्दी से ही फुरसत नहीं है, आपको आपसी झगड़े से ही फुरसत नहीं है, कितने मेम्बर कांग्रेस आर्गेनाइजेशन में किसके हों, इसी में आप लोग लगे रहते हैं। सारा राज्य नौकरशाही के बल पर चल रहा है। यह लोग मन्त्रियों को गलत सूचना देते हैं। मैंने

उस दिन सदन में पूछा था कि माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा का बयान सही है या गेंदासिंह जी का। मैंने मांग की थी कि शर्मा जी इस्तीफा दें। तमाम गल्ला बाहर जा रहा है। आपके नौकर उसको पास करते हैं। आप को गलत सूचना देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

(श्री रामचन्द्र विकल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

हमें समय जरूर मिलना चाहिये....

(व्यवधान)

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

इसमें पूर्व पश्चिम का सवाल नहीं होना चाहिए सभी को मौका मिलना चाहिए..

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

सरकार के विभाग में....

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाइये, बहुत शोर हो रहा है। मैंने विकल जी को बुलाया है।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व के जिन वक्ताओं ने प्रदेश में हुई गम्भीर स्थिति पर अपने-अपने वक्तव्य दिए हैं, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपस में बात करने की जरूरत नहीं। पूर्व पश्चिम का कोई सवाल नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की हालत, जैसा अभी पूर्व वक्ताओं के वक्तव्य से भी जाहिर है, बहुत गम्भीर है और यह वक्तव्य जो हमारे सामने माल मन्त्री जी का आया, मैं भी इस राय का हूं कि जिस तरह का आश्वासन इस वक्तव्य के द्वारा दिया गया। पहले रोज मैंने भी यह आशंका प्रकट की थी माननीय माल मन्त्री के वक्तव्य के समय कि आपका आदेश बहुत अच्छा है और पालन नहीं हो रहा और मुझे यह भी आशंका है कि जो आदेश दिए जाते हैं उनके पीछे एक गोपनीय आदेश अन्दर से दूसरा होता है। तो जो गोपनीय आदेश सरकार के जाते हैं वे इस संकटकाल में जनता के लिए बहुत दूभर बने हुए हैं। वसूली जिस तरह से भी हो, मेरे जिले में भी वह बन्द नहीं है बल्कि एक योजना के नाम का ऋण वसूला जा रहा है। सरकार के सारे सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और वह तेजी से वसूल किया जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि माननीय मन्त्री ने पहले भी और आज भी यह वक्तव्य कैसे दिया है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस तरह हमारे यहां सरकारी मन्त्री आदेश देने में निपुण हैं, उसी तरह से जल्दी से सरकारी कर्मचारी बजा देने में निपुण हैं और बहुत जल्दी जिलों से सूचनायें आ जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नहरों के सम्बन्ध में उस रोज भी कहा गया और आज भी कहा गया कि नहरों की जितनी शाखायें हैं वे सिंचाई के लिए खोल दी गई हैं और आदेश भेजे जा चुके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

है। बुलन्दशहर, मथुरा और अलीगढ़ जिलों में से काफी अच्छी पैदावार ली जा सकती थी और जबकि बरसाती पानी दरियायों में है फिर मैं नहीं समझ सकता कि उन नहरों को क्यों नहीं चालू किया गया। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस गम्भीर खतरे को आसान न समझें। वक्तव्य कुछ दें और अमल कुछ हो। मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने उस रोज कहा था कि उन सरकारी कर्मचारियों को दण्ड दिया जावेगा जो वसूली करेंगे। मैं उसको पुनः याद दिलाता हूं कि नहर विभाग के वे कर्मचारी जिन्होंने नहरें चालू नहीं की या वसूली जहां जारी है उनमें से किन-किन जिलों में आपने सजायें दीं या देना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस गम्भीर खतरे की ओर आपका ध्यान दिलाते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अनेक सदस्य—

दो-दो मिनट का समय दीजिए।

(श्री चन्द्रजीत यादव का नाम पुकारा गया। श्री लखीसिंह के बार-बार बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए या सदन छोड़िए।

(श्री लखीसिंह ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

*श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, आज इस अकाल की स्थिति में हम यहां बहस कर रहे हैं। आज पूरे सूबे की स्थिति बड़ी खतरनाक है। इसमें कोई पूरब-पश्चिम या मध्य का सवाल नहीं है, बल्कि आज उत्तर प्रदेश पूरा अकाल की लपेट में आ चुका है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं पिछले आठ दस दिनों में सूबे के पन्द्रह बीस जिलों का दौरा करने के बाद कि ५० फीसदी से ज्यादा फसल इस वक्त खराब हो चुकी है और धान की फसल ७५ प्रतिशत से ज्यादा खराब हुई है। सरकार ने जो बयान दिया है वह आंकड़े बिलकुल गलत हैं। तथ्य छिपाये गये हैं और मैं यह कह सकता हूं कि यह काम्प्लेसेन्सी का बयान है, इससे स्थिति और खतरनाक होने वाली है। आज जो हालत है पूरे सूबे की उसको देखते हुए मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को अकाल क्षेत्र वह घोषित करें और अकाल क्षेत्र घोषित होने के बाद जो सुविधा किसानों को और हमारे प्रदेश की गरीब जनता को मिलनी चाहिए सरकार उन पूरी सुविधाओं को दे। मैं अभी कल इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद तीन जिलों को देखकर आया हूं। मैनपुरी की हालत इतनी खराब है कि एक औरत भूखी मर गयी, एक पत्रकार ने अपील की नागरिकों से कि मैं १०१ रुपया अपनी तरफ से देता हूं, इसके लिए एक अकाल फंड आप लोग खोलिए। यह मैनपुरी वह जिला है जो उत्तर प्रदेश में ग्रेनियरी कहा जाता था। वहां की यह हालत है। पूर्वी जिलों में २० रुपए मन शीरा, जो फैक्ट्री का मौलेसेज होता है, जिसको कुत्ता भी नहीं पीता, उसे वहां के भूमिहीन किसान और गरीब लोग खरीदकर पी रहे हैं। आज अखाद्य वस्तुयें लोग खा रहे हैं। इसमें स्वीकार किया गया है कि अखाद्य वस्तुयें लोग खा रहे हैं जो हैजा फैलने का सबसे बड़ा कारण है। जो चीज इन्सान के खाने लायक नहीं है, आज उसे इन्सान मजबूरन खा रहे हैं। एक डेपुटेशन लखीमपुर की मोहम्मदी तहसील के नागरिकों का माननीय मन्त्री जी से मिलने आया है। वह डेपुटेशन कहता है कि वहां गल्ला नहीं मिलता है, सड़ा हुआ गल्ला मिलता है, जिसके कारण हैजा फैल रहा है। पूरे प्रदेश की स्थिति आज खतरनाक है लेकिन सरकार को स्थिति का ठीक तरह से एहसास नहीं है। आज ७५ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन में खरीफ की फसल नहीं बोयी गई है। आप कल्पना कीजिए कि पचास फीसदी से ज्यादा जमीन पर अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फसल नहीं बोयी गई है तो क्या हमारा भविष्य है ? ७५ फीसदी से ज्यादा धान की फसल नुकसान हो चुकी है। और रबी का प्रास्पेक्ट भी खराब हो चुका है। गन्ना इलाके-इलाके के अन्दर सूख रहा है और सारा प्रदेश एक अभूतपूर्व संकट का मुकाबिला कर रहा है, लेकिन हमारे मन्त्रिमण्डल में आज इस मौके पर भी सहयोग की भावना नहीं है। कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी आज नहीं निभायी जा रही है। खाद्य मन्त्री माल मन्त्री पर भार फेंकते हैं और माल मन्त्री सिंचाई मन्त्री पर भार फेंकते हैं। ऐसे अवसर पर सारे मन्त्रियों को आज यहां मौजूद होना चाहिए था।

आज खाद्य मन्त्री क्यों नहीं एलान करते कि जो भूमिहीन हैं उनको मुफ्त गल्ला दिया जायगा, जो जखीरेबाज हैं, गल्ला छिपाए हैं सरकार सख्ती से कदम उनके खिलाफ उठाएगी और गल्ले को निकालेगी, दूकानें खोलेगी। पिछले पांच सालों में ६० करोड़ रुपए का अनाज इस प्रदेश के अन्दर मंगाया गया है। पिछले साल २७ करोड़ रुपए का अनाज मंगाया गया तब आप लोगों को खाना दे पाए और इस साल की स्थिति पिछले पन्द्रह सोलह सालों में सबसे बदतर स्थिति है। सरकार आज दिवालिया बन गई है उसकी खत्तियां खाली हैं, उसमें अनाज नहीं है। भारत सरकार के सामने अपने केस को वह ठीक से नहीं रख सकी है। सारे प्रदेश की जनता की जिन्दगी को संकट में डालने की जिम्मेदारी इस सरकार पर है। आज इस बात का एहसास सरकार को नहीं है कि हमारा संकट कितना गहरा और गम्भीर हो गया है। हमारे इलाहाबाद के संयुक्त समाजवादी पार्टी के नेता और जिम्मेदार लोग आज जेलों में बन्द हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि हां, सूखे की स्थिति है। गाजीपुर का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सिफारिश करता है कि गाजीपुर को अकाल क्षेत्र घोषित करिए लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जाता। ऐसी स्थिति आज प्रदेश के एक-एक जिले के अन्दर पैदा हो रही है।

अभी मैंने दो तीन दिन पहले सदन में कहा था कि मेरे पास ललितपुर से तार आया है, वहां हजारों की संख्या में जानवर भूखे मर रहे हैं। सरकार ने उसे नहीं माना आज सरकार खुद मानती है कि हां, बड़ी संख्या में जानवर मर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के अन्दर चारे के अभाव में जानवर मर रहे हैं, अखाद्य वस्तुयें खाकाकर इन्सान हैजे की बीमारी से मर रहे हैं। आज प्रदेश के अन्दर स्थिति ऐसी पैदा हो गई है की अगर इसका हल नहीं सोचा गया तो इन्सान कुत्ते की मौत मरेंगे। सरकार अपने निकम्मेपन के कारण और अपनी काम्प्लेसेन्सी के कारण इन्सान की जिन्दगी को नहीं बचा सकी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं आज सवाल राजनीति का नहीं है। आप पूरे प्रदेश को अकाल क्षेत्र घोषित कीजिए।

आप कहते हैं कि लगान वसूली रोक दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ में डंडे मार कर वसूली हो रही है। आप बजाय जिलाधीशों को आदेश भेजने के यहां से एलान करें कि लगान-वसूली बन्द की जाती है। जिलाधीश आपके आर्डर की अवहेलना करते हैं और आप उनका कुछ नहीं कर सकते। सब विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ होनी चाहिए। कम से कम २ रुपए रोजाना मजदूरी आप हर मजदूर को दें जो मैनपावर स्कीम में काम करते हैं। तब इस प्रदेश के लोग रोटी और दाल खाकर अपनी जिन्दगी बसर कर सकते हैं। मैं मांग करता हूं कि चाहे नहर हो या नलकूप हों, सारे सरकारी साधनों के पानी मुफ्त दिया जाय ताकि किसान १० या १५ फीसदी जो कुछ भी फसल वह बचा सकता है उसे बचा सके। उसकी जिन्दगी की रक्षा ही नहीं होगी, तो इस सरकार की भी नहीं रक्षा होगी। मानवता के नाम पर मैं आपसे कहता हूं कि आप जिम्मेदारी के साथ यहां सदन में घोषित करें कि जो अभूतपूर्व संकट आया है उसका अहसास करते हुए हम देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, तत्काल घोषित करते हैं।

मैं इन्हीं मांगों को सदन की ओर से पेश करते हुए आशा करता हूं कि माननीय माल मन्त्री संकट का अहसास करते हुए ये घोषणायें करेंगे।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस माननीय सदन में उत्तर प्रदेश का नक्शा अवश्य टांगना चाहिए। प्रदेश का नाम तो "उत्तर" है लेकिन जब हम सदन की कार्यवाही और सरकार के कारनामे देखते हैं तो हम उत्तर दिशा को नक्शे से गायब पाते हैं। कहतसालियां तो आती हैं और चली जाती हैं। सदियों से ऐसा होता रहा है। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि जहां वृद्धि और मानवता की कहतसाली होती है वह देश कैसे जिन्दा रह सकता है। जब मुल्क के अन्दर ऐसी भीषण परिस्थिति हो रही है तो हमें अपनी बुद्धि और मानवता को नहीं खोना चाहिए। जो अनाज हमारे यहां उत्तर प्रदेश के प्लेन्स से जाता है उस पर हमें २४, ३० और ४० रुपए मन तक भाड़ा देना पड़ता है। जिस भाग में तीन महीने के लिए भी फसलें न होती हों और उनको गल्ला मैदानी जिलों से मंगाना पड़ता है, इस कहतसाली के जमाने में उन लोगों की हालत को सरकार को नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए। सरकार का फर्ज है कि वहां के लिए कोई ठीक से प्रबन्ध करे। अगर आप दिल और दिमाग से वहां की जनता को भूल जावेंगे तो आप उत्तर प्रदेश के नक्शे से उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हमारे प्रदेश में बरसात की, पानी की, कमी है। मगर हमारे प्रदेश में गरीबी की बरसात है, करेप्शन की बरसात है, घूसखोरी की बरसात है। आप मानवता के नाम पर जनता के साथ न्याय कीजिए, उनकी तकलीफों को दूर करना आप का कर्तव्य है। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि हम मुल्क को नहीं भुला सकते, यह सरकारें व्यवस्था के लिए ही बनती हैं और इस पुरानी सरकार की तो और भी अधिक जिम्मेदारी है, हम ने जिम्मेदारी अपने कन्धों पर ली है, उसको हम ईमानदारी से निभायेंगे या हम साफ कहेंगे कि जो अपने को इस भार को उठाने के लिए नाकाबिल समझते हैं उन को मुल्क के साथ इंसाफ करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं पार्टीवार एक-एक सदस्य को बुलाऊंगा।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसी परिस्थिति खास में सारे प्रदेश की हो गई है कि जो सभी को विदित है। बुन्देलखंड के हमारे ४ सरप्लस जिले हैं वहां भी यह सूखे की समस्या पैदा हो गई है। अगर अब भी पानी बरस जाता तो वहां की हालत सुधर जाती, लेकिन वहां भी यही अनावृष्टि का सूखा अभी तक बना हुआ है, पानी का पता नहीं है। खरीफ की पूरी फसल नष्ट होकर जाती रही है। इसके साथ ही एक और बड़े दुख की बात यह है कि खेतों में काम करने वाले बैल और किसान का अन्य पशुधन जो हैं वह भी बेकार हो रहे हैं और ज्यादातर मर रहे हैं क्योंकि उस के लिए चारा नहीं रह गया है, वह भूखे मर रहे हैं। यहां तक कि बरसात के बिना जो घास भी जंगल में है तथा हरी खरीफ तथा उसका घास चारा जो भी है वह भी जहरीली हो गयी है और जानवर उसको खाकर मर जाते हैं, इस की रिपोर्ट माननीय सदन में यहां भी आई है कि झांसी जिले में सैकड़ों जानवर ऐसी घास को खाकर मर चुके हैं। इस के साथ ही दुर्भाग्य यह है कि हमारे जालौन के जिले में महामारी का प्रकोप भी भयंकर रूप धारण कर रहा है। औरई में एक साथ २२ व २३ की रात को अस्पताल में ७ मरीज एक साथ आए जिनमें से २ मर गए और वहां पर अस्पताल मे भी ३० आदमियों से अधिक का इन्तजाम नहीं है? जालौन जिले में इस महामारी की रोकथाम का प्रबन्ध होना चाहिए और इस महामारी के प्रकोप को अन्य स्थानों तक फैलने से रोकना चाहिए, आज बुन्देलखण्ड के दो जिलों में वहां के लोग एक तरफ खाने से और दूसरी तरफ महामारी के प्रकोप से और भी भयभीत हैं। यह परिस्थिति हमीरपुर, झांसी, जालौन तथा बांदा चारों जिलों में, बुन्देलखण्ड के, मौजूद हैं और इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सारे सूबे की परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। खाने का प्रबन्ध नहीं है। माननीय नेगी जी ने घोषणा की थी कि जहां पर ३० हजार से कम आबादी होगी वहां पर राशन की दुकानें नहीं खोली जायंगी लेकिन ऐसी दशा में तो ३० हजार से कम आबादी के हर कस्बे में दुकानें खोलना जरूरी हो गया है। मैं आप का अधिक समय न लेकर केवल इतना ही कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इन बातों पर विशेष ध्यान दें कि बुन्देलखण्ड अन्न उत्पादन में जब सामान्यतः सरप्लस क्षेत्र रहता था अब वहां की वह परिस्थिति न रह जायगी और इस अवर्षण के फलस्वरूप वहां की परिस्थिति विकट रूप धारण कर रही है, सारे जिले उससे प्रभावित हो जायंगे। आज की परिस्थिति में यद्यपि सरकार अपने बयान में कहती है कि नहरें जारी कर दी गई हैं लेकिन उन की हालत यह है कि किनारे की भूमि में भी कुलाबे से पानी नहीं पहुंचता, कहने के लिए नहर चालू हैं, वह पानी कहां जाता है समझ में नहीं आता। खेतों को बहुत अधिक पानी की जरूरत है और पानी वहां नहीं पहुंच रहा है क्योंकि कुलाबे जो लगे हुए हैं वह कमांड एरिया को पूरा सींच नहीं पाते। माननीय मन्त्री जी अपने राज्य कर्मचारियों द्वारा स्वयं ध्यान देकर हमारे क्षेत्र के लिए व्यवस्था करें वर्ना परिस्थिति शत प्रतिशत काबू के बाहर हो जायगी। मैं चाहता हूं कि यह सरकार इस ओर विशेष ध्यान देकर उचित प्रबन्ध करे, अन्यथा प्रदेश पर एक बुन्देलखण्ड का भार और बढ़ जाएगा।

(श्री रामलखन शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरीसिंह—

क्या पश्चिमी जिले वाले नहीं बोल सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं, अभी विकल जी बोल चुके हैं, पश्चिमी जिले वाले भी बोले हैं। आप बैठें।

*श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मन्त्री जी का वक्तव्य बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा और हमारे माननीय मित्रों के जो भाषण इस सम्बन्ध में हुए, उनको भी बड़े गौर से सुना। जिन-जिन प्रश्नों पर माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें रखीं उन सब पर ही माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में निवेदन कर दिया है। सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिए, और अनेक बातों का प्रबन्ध होना चाहिए। मुझे यह अवश्य निवेदन करना है कि १८ अगस्त को जो बयान आपने किया उसकी पूर्ति भी इसमें कर दी गयी है। इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं लेकिन मुझे एक बड़ी शिकायत है कि जो आदेश यहां से गए, उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। जहां तक उन अधिकारियों की सूचना को मानने के लिए आपको तैयार होना चाहिए वहां पर इस आदरणीय सदन के सदस्यों की और मेरी बात को मानने के लिए संकोच नहीं होना चाहिए। आपके भेजे हुए आदेश से न तो वसूलयाबी ही बन्द हुई है और न कोई और ही सुविधा दी गयी है।

जहां तक ट्यूबवेल्स का सवाल है उनकी दशा तो अत्यन्त सोचनीय है। अधिकांश नलकूप ऐसे हैं, जो सर्विस आर्डर में नहीं हैं। मैं यहां यह बात निवेदन करना चाहता हूं यहां पर बड़ी स्पष्टता से यह बात भी कहता हूं कि जो मनुष्य के प्रश्न हैं, उनको लेकर राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। इस परिस्थिति को हल करने के लिए जो सुझाव हों उन पर सहानुभूति-पूर्वक विचार होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को सुना जिसमें उन्होंने कहा कि गांवों में इतनी दुर्दशा है कि लोग पेड़ों के पत्ते खा-खा कर गुजारा कर रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलखन शुक्ल]

हूं। जहां पर माननीय मन्त्री या और कोई अधिकारी बीजों को अण्डर रेट करते हैं वहां पर विरोधी दल के माननीय सदस्य उसे बढ़ा-चढ़ा कर कहते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोजीशन ऐसी नहीं है कि मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खाकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यह माननीय नेता विरोधी दल को नहीं कहना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा मनोबल न टूटे। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने साधनों का उपयोग करें। कहा जाता है कि प्रदेश में अकाल घोषित कर दिया जाय। यदि ऐसा कर दिया गया तो चारों तरफ एक प्रकार का आतंक हो जायगा और उसका मुकाबला न सरकार और न विरोधी दल कर सकेगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अकाल क्षेत्र घोषित करना किसी प्रकार से ग्राह्य नहीं होना चाहिए। इसमें पैनिक पैदा होगा। ब्लैक-मार्केटिंग को सबसे ज्यादा फायदा होगा और जो मंहगायी इस समय आसमान छू रही है वह और भी आगे बढ़ेगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे टेस्ट वर्क चालू हैं वे चलें या न चलें लेकिन जो मैन पावर की योजना है वे शीघ्रातिशीघ्र चलायी जाय ताकि लोगों को मजदूरी करके पैसा मिल सके। राशन की जो दूकानें खोली गयी हैं वे अपर्याप्त हैं, उनको तोड़ा जाय। गोरखपुर के बारे में खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां लेट पैडी बोई जाती है लेकिन उसकी बुवाई नहीं हो सकी, मकई भी नहीं हो सकी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

(श्री भगवानदास यादवेन्दु का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा भी प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। मैं सबको नहीं बुलवा सकता।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए, या सदन छोड़िए।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहले उसे आप सुनें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए, वर्ना सदन छोड़िए।

(श्री लखपतराम शर्मा ने स्थान ग्रहण किया।)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में राजस्व मन्त्री का वक्तव्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर सुना। इसको सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ और ब्रिटिश राज्य की परम्पराओं के मुताबिक जो उस समय की घिसी पिटी मशीनरी थी उसी ने आज यहां रिपोर्ट बना कर भेजी है जिसे राजस्व मन्त्री ने सदन में पेश कर दिया है आगरा मण्डल में इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मैनपुरी और एटा को ही बताया गया है जहां खरीफ की कोई बुवाई नहीं की गयी है लेकिन मैं बतला दूं कि मण्डल में ५० परसेन्ट से भी कम बुवाई हुई है और जितनी बुवाई हुई भी है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि फसल कामयाब होगी। जब ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों ने भी यह स्वीकार किया है कि प्रदेश में भयानक अकाल है और वर्षा न होने के कारण प्रदेश बुरी हालत से गुजर रहा है लेकिन राजस्व मन्त्री ने उसे भी स्वीकार नहीं किया, यह सत्य के साथ कंजूसी है। युग-युग से इस प्रदेश में गरीबों का शोषण किया जाता रहा है, जिसके पास जमीन नहीं है उसे गुलाम बनाए चले जा रहे हैं और वह जानवरों की तरह रहता है। इन गरीबों के जो प्रतिनिधि इस सदन में हैं वे बैंक बेंचेज पर बैठते हैं और आगे की बेंचेज पर मठाधीश मन्त्री लोग बैठते हैं। १९ वर्ष के इस सरकार के कार्यकाल में २ करोड़ खेतिहर मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया गया, वे भूखे मर रहे हैं उनको दिन भर काम करने पर १ सेर अनाज मिलता है।

एक सेर गल्ले से वह सात बच्चों को एक समय खिलाकर स्वयं भूखा सो जाता है। यह युग-युग से चला आ रहा है। इस प्रदेश में ऐसे ४—५ करोड़ इंसान हैं जो आज बहुत बुरी अवस्था में हैं। वर्षा न होने के कारण यहां बहुत महत्वपूर्ण ढंग से विचार होनी चाहिये। यहां पर मंत्री जी को और मंत्रिमंडल को बहुत ईमानदारी के साथ इसको स्वीकार करना चाहिये कि हमारे प्रदेश में अकाल है और अगर सरकार इसको स्वीकार नहीं करती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश का भविष्य और भी खतरे में पड़ जायगा। माननीया सुचेता जी कभी सुब्रह्मण्यम के पास दिल्ली जाती हैं और कभी कहीं जाती हैं। केन्द्र में खाद्य मामला चल रहा है। कभी इनके आचरण पर हमला होता है और कभी असंतुष्ट गुट के माननीय सदस्य के आचरण के ऊपर हमला होता है। प्रजातंत्र में इस बुरी प्रणाली को जन्म देना बड़े शर्म की बात है। मैं इन शब्दों के साथ अपने भाषण का अन्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार प्रत्येक जिले में देखे कि उसके आदेश का पालन हुआ है या नहीं।

(माननीय हरीसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये। आपने चार बार प्रश्न उठाया लेकिन एक भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं निकला।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप माननीय सदस्यों द्वारा चुने हुये सदन के उपाध्यक्ष हैं। इसलिये सदन के अधिकारों की रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है। आपने तीन बार कहा कि नियम ५२ जिन्होंने दिया है उनको बोलने का मौका देंगे ....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठ जाइये। व्यवस्था का यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—

आप डिक्टेटर तो हैं नहीं जो अपनी रूलिंग बदल दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप व्यवस्था के प्रश्न को उठाकर चार बार बोल चुके हैं । लेकिन एक भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं निकला । नियम ५२ ५० आदमियों ने दिया है, मैं सबको नहीं बुलवा सकता हूं ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन, कुछ अफसर काली पट्टी बांधे हुए गैलरी में बैठे हैं ।

*श्री हरीसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी इस प्रदेश में किसी किस्म की ऐसी विपत्ति आती है जो दैवी विपत्ति हो तो पूर्वी जिलों के लिये सब से ज्यादा ऊधम होता है । लेकिन प्रदेश में सबसे अधिक अन्न उपजाने वाले या टैक्स देने वाले पश्चिम के जिले हैं, उनके नुमाइन्दे खामोश बैठे रहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है । मेरी कमिश्नरी के किसान मजदूर भूखों चिल्ला रहे हैं । अगर पूर्वी जिले के किसी आदमी को जुकाम हो जाता है तो....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, पूर्वी और पश्चिमी वाली चीज बहुत निन्दनीय है ।

श्री हरीसिंह—

श्रीमन्, उनके पूर्वी जिलों में बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, वगैरा हैं और हमारे यहां मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुन्देलखंड बरेली और मुरादाबाद वगैरा हैं । मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि ऐसी दैवी आपत्ति आने पर माननीय सदस्यों को अपने सुझाव देने चाहिये । जनता में जो भुखमरी है उसके लिये पहले तो माननीय सदस्य दो-दो दिन का उपवास करें । तीसरे दिन खायें । दो दिन न खायें । फिर सरकार सबके भोजन का प्रबन्ध करे । पश्चिमी जिलों में बाढ़ आयी । कोई इस प्रकार की सहायता नहीं मिली जिससे थोड़ा उत्साह पैदा होता । लेकिन वह चिल्लाये नहीं सदन में । उन्होंने भीख नहीं मांगी । आज वहां सूखा पड़ रहा है, वहां के खेत बरबाद हो रहे हैं, मेरठ कमिश्नरी में हैं । लेकिन आज भी वहां का सदस्य नहीं बोल रहा है । इस सरकार का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है कि नहर विभाग को कहे कि वह सिंचाई पर ध्यान दे । वहां के इंजीनियर सिंचाई पर बिलकुल ध्यान नहीं देते । यदि सिंचाई मंत्री सिंचाई का प्रबन्ध नहीं कर सकते तो उन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिये । मेरठ कमिश्नरी में, मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, और मुरादाबाद आदि के जिले बरबाद हो चुके हैं । मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और सूखे के ऊपर वहां के किसान को सुविधायें दें ।

(श्री लखपतराम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राधेश्याम शर्मा—

अगर ज्यादा हल्ला करने पर आप समय दें, तो हम भी हल्ला कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका नाम नोटिस में है ।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या यह समय घौंस में दिया या ऐसे ही दे दिया, इतना बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नियमावली के ११३ नियम के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपका प्रस्ताव रूल आउट करता हूं। आप का प्रस्ताव नहीं आ सकता। कामरोको प्रस्ताव में टाइम नहीं बढ़ सकता। तीन बज कर सोलह मिनट पर शुरू हुआ, पांच बज कर १६ मिनट पर खत्म हो जायगा। समय निर्धारित है, इसमें इससे ज्यादा आप नहीं बोल सकते। नियम में समय निर्धारित है।

श्री लखपतराम शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष यह निवेदन कर रहा था और यह निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल राज्य के अन्दर जब अंग्रेजों के शासनकाल में अकाल पड़ा तो उस समय जनता व कांग्रेसी सदस्यों और कांग्रेस नेताओं के सामने पं० नेहरू ने इस चीज को साफ साफ कहा था कि भूखों मरने से अच्छा था कि तुम दूकानें लूट लिये होते। जब पं० नेहरू यह कह सकते हैं कि भूखों मरने से पहले दूकानें लूट लिये होते तो इस प्रकार यह कोई अपराध नहीं है। श्रीमन्, सरकार की तरफ से जो इस संबंध में आंकड़े दिये गये, मैं कहता हूं कि यदि उन आंकड़ों पर आप चलें तो इस प्रदेश में भूखी जनता का भयंकर विद्रोह होगा। ऐसे आसार नजर आने लगे हैं वह भी जनतंत्र के लिये अच्छा नहीं है। जो हल खेतों में चलते थे, मैं मंत्री जी को बता देना चाहता हूं, मंत्रिमंडल को बता देना चाहता हूं, जो आप इंसानों की लाशों पर हल चलाना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं चलेंगे। यह आपके मंत्रिमंडल पर चलेगा। जनता अब बरदाश्त नहीं कर सकती। भूखों मरने से और गरीबी में तड़प-तड़प कर मरने से, और अपने बेटों को भूखों मरने से और अपने ३-३ जानवरों को अपने सामने भूखों मरने से वह अपना धैर्य खो बैठी है, वह इनको अपनी आंखों से भूखों मरते नहीं देख सकती, उसके धैर्य और सहनशीलता की सीमा समाप्त हो चुकी है। आप कहते हैं कि केवल २५ फीसदी ही फसल पर असर पड़ा है, लेकिन मैं कहता हूं कि ६० प्रतिशत फसल इससे पूरी तरह से चौपट हो गयी है। अकाल आ गया है, जिसे आप रोक नहीं सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने इंसानों की कीमतों को नहीं समझा तो इंसान भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे।

आपके राज्य में कोई गरीबी से परेशान, कोई भूख से अधमरा, कोई बेकारी से ग्रस्त और कोई बीमारी से मर रहा है, कोई भी आपकी किसी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, सब परेशान हैं, सब आपको रो रहे हैं। किन्तु आपके हाथ में शासन सूत्र हैं, सर्वोच्च अधिकार आपको हैं, आपके हाथों में असीमित ताकत है, इसलिये आप जनता के जीवन से खेल सकते हैं और खेल रहे हैं, किन्तु यह अधिक दिन नहीं चलेगा, जिस दिन जनता के धैर्य की सीमा टूटेगी, जनता करवट लेगी, उस दिन आप कहीं दिखाई नहीं देंगे, उस दिन आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। आपने यद्यपि इस स्थिति में कुछ सुविधा किसानों को दे रखी है, किन्तु नौकरशाही उसका पालन नहीं कर रही है, उनसे वसूली अब भी हो रही है। आप कहते हैं कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि आदमी पेड़ों की पत्तियां खा रहे हों, लेकिन मैं दावे से कहता हूं हमारे क्षेत्र व बुन्देलखंड के अन्दर ललितपुर इलाके में ही

[श्री सखपतराम शर्मा]

इंसान जानवर की तरह पत्ती खा रहा है । यह समय बनारसीबाग देखने का नहीं है । हम तो सही चीज देखना चाहते हैं, जनता को रोटी और रोजी चाहिये । आपके पास लाखों रुपये की दौलत है आप उस दौलत से जिन्दा रह सकते हैं, लेकिन यह आप भूल जाते हैं कि जब अकाल पड़ते हैं तो यह सोने चांदी के ढेर रखे रह जाते हैं और वे भूखों मरते हैं, इनसे उनका काम नहीं चलता है । चूंकि आप अब अपने आन्तरिक झगड़े से स्वयं परेशान हैं इसलिये आपको इधर सोचने की फुरसत नहीं है । यदि सूबे की सरकार को इस की जरूरत है, इस बात की जरूरत है कि वह इस दिशा में कुछ करे तो १५ दिन के लिये असेम्बली को बन्द कर दिया जाये और आप, हम गांव-गांव में चल कर वहां की स्थिति को देखें और समझें और उसके बाद पुनः रात में भी असेम्बली की कार्यवाही जारी रक्खें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम ३१५ के अधीन यह प्रस्ताव करता हूं कि आप अपनी विशेष शक्ति से, जो २ घंटे की बहस है, उसको ३ घंटे का कर दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये सदन की भी मर्यादा है । नियम यह है कि २ घंटे का जो समय है, उसे नहीं बढ़ाया जा सकता । इसमें २ घंटे से ज्यादा का समय नहीं दिया जायेगा । ३ बजकर १६ मिनट पर इस पर विचार शुरू हुआ था और ५ बजकर १६ मिनट तक ही यह चलेगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं भी प्रार्थना करता हूं कि यह विषय इतना महत्व का है और बोलने वाले बहुत बाकी रह गये हैं, इसलिये नियम को निलम्बित कर दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं, अब इस समय वह नहीं हो सकता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, अब विवाद का करीब-करीब अन्त है इसलिये हम लोगों ने जो प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में राजस्व मंत्री जी से कहलाइये कि वे प्रदेश को अकाल पीड़ित घोषित करते हैं या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है वह तो समाप्त हो चुके हैं और उनका प्रश्न इस समय नहीं उठता है । जहां तक रामसुन्दर जी, आपकी बात है, आप राजस्व मंत्री जी को सुनिये कि वह क्या कहेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनको सुनें तो ?

(श्री सुरेन्द्रविक्रम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मुझे अफसोस है कि यह सरकार प्रदेश को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित नहीं करना चाहती और प्रदेश की जनता भूखों मर रही है । हम सरकार की इस हठवादिता के विरोध में हैं और इस नीति के विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं ।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री दीपनारायणसिंह--

जहां तक नियमों का हवाला दिया गया है उसमें यह बात सही है कि आप ३१५ के अन्दर नियमों को निलम्बित कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दीपनारायण सिंह जी बैठिये, मैंने सुरेन्द्रविक्रमसिंह जी को बोलने के लिये बुलाया है ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

सरकार की नीति इस प्रदेश को अकाल पीड़ित घोषित करने की नहीं है, इस नीति के विरोध में हम भी सदन को छोड़ते हैं ।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया ।)

श्री सुरेन्द्रविक्रम--

मैं शाहजहांपुर की बात कहना चाहता हूं....

श्री नेकराम शर्मा--

सरकार की हठवादिता के विरोध में हम भी सदन का त्याग करते हैं ।

(निर्दलीय दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया ।)

श्री सुरेन्द्रविक्रम--

श्रीमन्, शाहजहांपुर की बात कह रहा था....

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं चाहता था कि आप इस विषय पर कम से कम सदन का टाइम बढ़ाते, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आपको किसने इजाजत दी कि आप बीच में इस तरह से बोलें जबकि मेरी इजाजत से सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि सारा प्रदेश दुखित है, और हाहाकार मचा हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये, अगर नहीं बैठते तो सदन छोड़िये, इस पर सदन का टाईम नहीं बढ़ सकता ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

आप ने जो यह तरीका अख्तियार कर रखा है कि आप ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने भी नहीं देते, यह तो अजीब बात है। बहरहाल मैं सरकार की हठवादी नीति के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रामकिशोर त्रिपाठी ने सदन का त्याग किया।)

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

श्रीमन्, मैं शाहजहांपुर की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। शाहजहांपुर एक ऐसा जिला है जो न पूरब में पड़ता है और न पश्चिम में। वहां रबी की फसल पर सेर-सेर भर ओला पड़ता रहा। बरेली जिले में, बदायूं जिले में और मुरादाबाद जिले में भी यही हालत रही। लेकिन शाहजहांपुर में काफी ओला पड़ा। इसके कारण रबी की फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी थी। हमारे माल मन्त्री जी ने वहां एक इन्क्वायरी भी करवायी थी जिससे उनको पता चला कि ६० प्रतिशत से लेकर ८० प्रतिशत तक फसल का नुकसान शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद जिलों में हुआ। रबी की तो यह हालत थी ही, खरीफ की फसल की स्थिति और भी सोचनीय है। कई जगहों पर सिंचाई तक का अभाव है। श्रीमन्, वहां पर नहरें भी हैं, वहां पर पानी बिलकुल नहीं आता है, सिंचाई का बिलकुल अभाव है। उस एरिया के लिए माननीय विद्युत उपमन्त्री जी, शान्ति भाई के पास प्रार्थना-पत्र भी गये हैं और ट्यूबवेल की लाइन वहां स्वीकृत हो चुकी है। अब उनके पास फरीदपुर ब्रांच नहरों की स्वीकृति के लिए आया है। तो ऐसी स्थिति में जब वहां अकाल है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि टेस्टवर्क्स खोले जायं और नहरों का काम टेस्ट वर्क्स के द्वारा उस एरिया में अविलम्ब शुरू करवा दिया जाय जिससे वहां के लोगों को बिजली और सिंचाई के साधन शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध हो सकें और गरीब लोगों को जो बेकार बैठे हैं जो बारिस न होने की वजह से और फसल की बोवाई न होने की वजह से उनको काम नहीं मिल सका है, उनको भी काम मिल सके।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर जिला ऐसा है जो हमेशा से नेगलेक्टेड रहा है। आज तक कोई ऐसी बात नहीं मालूम पड़ी है जिससे मालूम पड़ता कि उस एरिया के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। १८ वर्ष आजादी के बीतने पर भी वहां कोई निर्माण नहीं हुआ है। वैसे तो स्थिति सारे प्रदेश की खराब है, लेकिन हमारी सरकार के साधन सीमित हैं और उन सीमित साधनों में सरकार बराबर प्रयत्न करती रहती है कि जहां तक हो सके सब को सहायता पहुंचायी जाय, लेकिन यह बहुत हद तक सम्भव नहीं है कि सारे प्रदेश की स्थिति एक दम ठीक हो जाय। आज मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल के कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विवाद चल रहा है, लेकिन मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इतने महत्वपूण विषय पर जिस गम्भीरता से, जिस तरीके से विचार होना चाहिये था, वह नहीं हुआ है। मैं समझता था कि हमारे विरोधी दल के भाइयों की तरफ से बहुत ठोस और रचनात्मक सुझाव आयेंगे और उन सुझावों पर हमारे मन्त्रि मण्डल के सदस्य गम्भीरतापूर्वक सोचेंगे और विचार करेंगे, लेकिन जिस मखौल के साथ यहां पर आज विवाद हुआ है, वह अत्यन्त शोचनीय है। सिवाय मखौल, खिलवाड़, और हुल्लड़बाजी के अन्य दृश्य नहीं दिखलायी पड़ा है। जैसी आज प्रदेश की स्थिति है उस पर हमारे उधर के बैठने वाले साथियों को बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए था। जिससे उनके सुझाव को सुना जाता और माना जाता। इस बात को मैं फिर दोहराता हूं कि इस हाउस में तीन साल मुझे हो गये हैं जबसे मैं यहां पर चुनकर आया हूं। यहां पर पूर्व और पश्चिम का सवाल उठाया जाता है। पूर्व के लिए अलग प्लान बनाया जाता है और पच्छिम के लिए अलग प्लान बनता है। उधर वाले अपनी बात कहते हैं और पश्च्छिम वाले अपनी बात कहते हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि शाहजहांपुर पूर्व में है या पच्छिम में। मैं समझता हूं शाहजहांपुर जिले को स्पष्ट किया जाय कि वह पूर्व में है या पच्छिम में है। वह बतलाया जाय कि वह ईस्ट में शामिल है या वेस्ट में है या इस

प्रदेश से बिलकुल निकल गया है ? मेरा निवेदन है कि शाहजहांपुर के लिए यह निश्चित हो जाना चाहिए कि वह किधर है और उस में निर्माण-कार्य कराये जांये।

*माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विवाद को जो यहां पर आज हुआ है, बहुत गौर के साथ सुना। माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी ने जब अपना प्रस्ताव दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई और यह सोचा कि मुझे आज अच्छे-अच्छे सुझाव सुनने को मिलेंगे, क्योंकि वे अपोजीशन के नये लीडर हैं और पहली मर्तबा उनको यह समय मिला है। मुझे आशा थी कि उनसे अच्छे सुझाव पायेंगे जिनसे हम फायदा उठायेंगे लेकिन उनको थोड़ी देर सुनने के बाद मेरी आशा पर तुषारापात हो गया, पानी पड़ गया। हमारे मित्र ने अपनी सारी स्पीच में अपनी पर्सनल बातों के आधार पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद देखा है और बहुत दौरा किया है। पता नहीं उन्होंने आंखें खोलकर दौरा किया या आंखें मूंदकर। हमारे मित्र ने कहा कि हालत बहुत खराब है और कहा कि कई जिलों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने वाराणसी का भी नाम लिया तो मैं जग पड़ा। मैं वाराणसी से कल ही आया हूं और परसों सारे दिन वाराणसी में रहा। तमाम जिले की मेरे पास खबर है। १५०, २०० मील चलकर मैंने देखा है और ५, ६ मीटिंग भी ऐड्रेस की हैं और उनमें ५, ६ हजार आदमी सुनने के लिए आते थे। हमने देखा कि बहुत से हिस्सों में पानी पड़ा है। वहां की हालत जो हमारे भाई कहते हैं कि खराब है यह सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। तो हम उनके अनुभव पर विश्वास करें या जो हमने खुद देखा है उस पर यकीन करें। जो मैंने खुद देखा है, उसको डिसबिलीव नहीं कर सकता। हमारे भाई ने कहा कि आम के पत्ते लोग खा रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मैंने यह हर्गिज नहीं कहा। मैंने यह कहा कि आम के पत्ते जानवर खा रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं यह समझता था कि यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि जिस पर बड़े सावधानी से बहस मुबाहसा होगा और उससे जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा लेकिन मैंने देखा कि इस बात को हमारे भाई माधव प्रसाद जी त्रिपाठी भूल गये। यह समझ रहे थे कि वह किसी एलेक्शन की मीटिंग में बोल रहे हैं। एक गल्ती हमसे जरूर हुई और वह हमारी आदत है और बहुत दिनों की आदत है। मैं १९२२ से इस राजनीति के चक्कर में हूं। तो ४३ वर्ष हो गये जब कि मेरे बहुत से उधर के दोस्त पैदा भी न हुए होंगे। मैंने भी ४३ वर्ष तक जनता की सेवा की है और मुझे भी इस बात का दावा है। हम जानते हैं कि हमारे मित्र भी जनता के सेवक हैं, लेकिन हमसे ज्यादा सेवक हैं, इस बात को मैं मंजूर नहीं कर सकता। तो उस भावना से प्रेरित होकर जब भी कोई संकट का मामला आता है तो मैं इस बात का इन्तजार नहीं करता कि कोई मुझ से सवालों के जरिये कहे कि यह कर दो या वह कर दो। मैं खुद जो मुनासिब समझता हूं बिना किसी के कहे अपना आदेश या हुक्म दे देता हूं और मैंने मुनासिब समझा अपना आदेश दे दिया बिना किसी मित्र के कहे हुए। हां इतना कसूर मुझसे जरूर हुआ कि जो क्रेडिट इसके लिये आपको मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली, जैसा कि आप चाहते थे क्योंकि उसके लिये मैंने आपको मौका ही नहीं दिया। इस पर बहुत टीका-टिप्पणी हुई और कहा गया कि आपका हुक्म तो जारी हुआ लेकिन उसके मुताबिक कार्यवाही नहीं हुई। हमारे विकल जी बहुत विकल थे और उनका विकल होना मुनासिब ही था, साथ ही हमारे अपोजीशन के नेता भी विकल थे लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि फलां तहसील में फलां जिले के फलां आफिसर ने ऐसा किया। अगर वे बतलाते तो मैं उसका तदारुक करता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैं आपको गोंडा जिले की बात बतला रहा हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आप रहने दें, बलरामपुर की बात मैं बहुत जानता हूं । किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह बतलावे कि फलां आफिसर ने ऐसा किया । माननीय रणबहादुर सिंह ने भी हरैंया तहसील की बात बहुत कही लेकिन उन्होंने भी किसी का नाम नहीं बतलाया । कहने का मतलब यह है कि कोई स्पेसिफिक केस हमें बतलाया जाता तो हम उसकी तहकीकात करते और तथ्य मालूम होने पर समझता कि यहां गड़बड़ी हुई है तो मैं उसका तदारुक करता ।

एक सदस्य—

आपका हुक्म कल ही तो गया है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कल क्यों गया है, आपके सवाल करने के पहले ही हमारा हुक्म चला गया था ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे रिप्लाई का टाइम मिलना चाहिये दो मिनट का ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले वे खतम तो करें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जहां तक श्री चन्द्रजीत यादव की बात है, अच्छा यही है कि आप उनके में चक्कर न पड़ें । सब लोग जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आपका चक्कर तो उससे भी बड़ा है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यही तो आपकी गलतफहमी है । अगर आप उनके चक्कर को नहीं समझते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस है । "दे विल ट्राई टु फिश इन दि डिस्टर्ब्ड वाटर" । वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये यहां गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं, वे यहां अशान्ति पैदा करना चाहते हैं जिससे चाइना की मदद हो सके । चूंकि आपने ऐसी बात कह दी इसलिये मुझे यह कहना पड़ता है ।

जहां तक माननीय रामसुन्दर पांडेय जी की बात है, उनकी सब बातें लाजवाब होती हैं, उनका मैं क्या जवाब दूं ? उनका मैं जवाब नहीं दे सकता हूं । १६ वर्ष से मैं उनको जानता रहा हूं और वे मुझे भी जानते हैं उनकी बातें लाजवाब होती ही हैं । वे कहते हैं कि फेमिन डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते । किस तरह से डिक्लेयर कर दूं ? हमको सारी बातें सोचनी पड़ती हैं कि फेमिन डिक्लेयर करने के बाद उसके क्या कांसिक्वेन्सेज हो सकते हैं, उसके क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं । फेमिन डिक्लेयर कर देने पर फेमिन कोड के अनुसार बहुत-सी बन्दिशें हैं । जैसे टेस्ट वर्क जो हो वह ५ मील के इर्द गिर्द हो और जिसको सर्टिफिकेट मिल जाय और कार्ड मिल जाय वही काम कर सकता है । अगर उसके सारे रिसोर्सेज समाप्त हो गये हों, उसकी बैलगाड़ी बेचने की नौबत आ गयी हो, जेवर वगैरह बेचने लगे हों, ऐसे परेशान हों तो किया जायगा, लेकिन कोई बंदिश नहीं, मैंने कभी उनकी तरफ तवज्जह भी नहीं दी, मैंने केवल अमल करने की कोशिश की । यहां तो काम करते हैं ।

और हमसे एक बात और कही गयी थी, हमारा ध्यान उस ओर आकृष्ट किया गया था कि टेस्ट वर्क की मजदूरी बहुत कम है । हम महसूस करते हैं कि वह कम है और हम उस पर विचार कर रहे हैं । हम उसे बढ़ाना चाहते हैं और मौजूदा

हालत में वह बढ़नी चाहिये। तो जिस तरह से जनता की मदद हो सके वह हम करने का विचार कर रहे हैं।

जहां तक अफसरान का ताल्लुक है, उसके लिये मेरा निवेदन है कि हमारी आपकी भावना बदलनी चाहिये। पुराने जमाने में अफसरान किसी दूसरे के सेवक थे। अब तो हमारे आप के भाई भतीजे ही सब अफसरान हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं कहता हूं कि वे मंत्रियों के साथ शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

समझ लिया। आप की सारी बातें समझ लीं। तो हमारे अफसरान भी इस देश के नागरिक हैं और सेवा की भावना से कार्य करते हैं। वे अपने भाइयों, बुजुर्गों और देश की सेवा करते हैं। लिहाजा हर समय किसी की आलोचना करने से ही काम नहीं चलता। वे बदनियती नहीं करते और अगर आप यह चाहते हैं कि हर समय उनको गाली ही देते रहें तो उससे काम नहीं चलने वाला है। हमें तो साम, दाम, दंड, भेद सभी से काम लेना पड़ता है। जिसको तजुर्बा नहीं होता वही ऐसी बातें कहता है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

कठपुतलियों की सरकार ऐसे ही बोलती है। मैं आपका भाषण सुनना नहीं चाहता। जा रहा हूं।

(श्री नाथूराम शिक्षक ने सदन का त्याग किया।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आपका समय हो गया। हमको जवाब देने का मौका नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको पहले ही क्लोजर मूव करना चाहिये था। तो अब इस पर विवाद समाप्त हुआ। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२३ अगस्त, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० ३–४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

सूची

दिनांक १ अप्रैल, १९६४ से अब तक २१५ सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों की जांच अधिकारियों ने की तथा निम्नलिखित २० चीनी की दूकानें रद्द की गईं :

१—श्री जगदीश प्रसाद बाजपेई,
२—,, राम कृष्ण पलटू,
३—,, शिव सेवक बाजपेई,
४—,, राम सरन सिंह,
५—,, गुरु दयाल,
६—,, गोकरन प्रसाद,
७—सर्वश्री साधन सहकारी समिति,
८—श्री हरी बक्श सिंह,
९—,, गनेश प्रसाद,
१०—,, रामकिशन गुप्ता,
११—,, रामेश्वर प्रसाद,
१२—,, सिद्ध नाथ,
१३—,, राम प्रताप,
१४—,, बलराम प्रसाद,
१५—,, राम कृष्ण,
१६—,, किशोरी लाल,
१७—,, छोटे लाल सिंह,
१८—,, मिट्ठू उर्फ चन्द्रिका,
१९—,, रणजीत सिंह,
२०—,, राम किशोर।

मुकद्दमा किसी पर नहीं चलाया गया।

एक अप्रैल, १९६४ के बाद से अब तक शहरी और देहाती क्षेत्रों में गल्ले और चीनी की बांटी गई मात्रा निम्नलिखित है।

(क्विन्टल में)

			शहरी क्षेत्र	देहाती क्षेत्र
			रु०	
खाद्यान्न	..	..	३७,५५८	२,०९६.६०
आटा	..	..	७,५६०	१५,८५९.००
चीनी	..	..	७,८६०	१५,३४४.००

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

१ जून, १९६४ से २१ जून, १९६५ तक देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को दिये गये मासिक खाद्यान्न के आंकड़ों की सूची।

(क्विंटल में)

माह		जिला			
		देवरिया	आजमगढ़	बस्ती	गोरखपुर
जून, १९६४	..	२५,४४६	३४,५०८	१२,४१५	३६,२३०
जुलाई, १९६४	..	१२,९९६	२२,०९५	११,८८६	२८,८६१
अगस्त, १९६४	..	२५,६२३	२४,५०९	१४,९६३	३२,९७१
सितम्बर, १९६४	..	३७,४९४	३१,३१७	२०,४४६	२३,३४४
अक्तूबर, १९६४	..	३८,२०६	२३,२७०	१०,६०८	३०,०३८
नवम्बर, १९६४	..	३६,९२३	२३,४९२	१३,५९१	३६,७७०
दिसम्बर, १९६४	..	२९,०९९	२०,९०७	१७,८४६	३४,७५०
जनवरी, १९६५	..	२५,४०९	२२,९९०	१९,०३९	३८,६४५
फरवरी, १९६५	..	२८,३२२	१९,३१३	१५,०८८	२६,६२१
मार्च, १९६५	..	१४,०९६	२०,७२१	९,७०१	२,४५६
अप्रैल, १९६५	..	९,७७४	१५,९९१	८,०३५	१९,६९७
मई, १९६५	..	७,९२४	८,७९४	४,६६०	१०,६२१
जून, १९६५ (२१-६-६५ तक)	..	५,०१६	६,४६२	३,३३७	१२,९३९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

कार्यालय निदेशक वैधानिक अनुसंधान संस्थान,

सहारनपुर

संख्या ८९२९/ए० क्यू० सहारनपुर, दिनांक, १३ अक्तूबर, १९६४।

कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
(उद्यान अनुभाग)
लखनऊ।

महोदय,

कृपया आप अपने उच्च प्राथमिकता पृष्ठांकन संख्या जी० एच० ३१६ (जी)/ई० एफ०-३६, दिनांक, ५ अक्तूबर, १९६४ जोकि श्री निसार अहमद खां, निवासी चन्दवाना ग्राम, जिला बुलन्दशहर को दोषपूर्ण पौधों की पूर्ति (सप्लाई) के सम्बन्ध में है, का अवलोकन करें। श्री निसार अहमद खां के आम के वृक्षों का निरीक्षण सहायक हार्टिकल्चरिस्ट द्वारा मई, १९६४ में किया गया था। उन्होंने पाया कि अनेकों वृक्ष दशहरी आम के फल नहीं दे रहे थे, यद्यपि कलमों के जोड़ नजर आते थे। मालूम होता है कि सप्लाई किये गये पौधे दशहरी नहीं थे। यह पौधे यूनियन पौधशाला (नर्सरी) पंजित रजिस्टर्ड सहारनपुर से लिये गये थे। उपरोक्त पौधशाला आज पंजित नहीं है तथा उससे अब हमारा सम्बन्ध नहीं है।

जहां तक अमरूद के पौधों का प्रश्न है, इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि फल अभी पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुये हैं। मैं इन पौधों का निरीक्षण दिसम्बर में करूंगा तथा सूचना आपको प्रेषित कर दी जायेगी। वैसे इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करना है कि ५५ अमरूद के कलमी पौधे, इलाहाबादी सफेदा सप्लाई किये गये थे। इनमें से २७ सेन्ट्रल नर्सरी से तथा २८ पौधे आफताब आलम पौधशाला से सप्लाई किये गये थे। शेष ५५ इलाहाबादी सफेदा अमरूद के बीजू पौधे थे जो कि सेन्ट्रल नर्सरी से सप्लाई किये थे। चित्तीदार किस्म के ३६ पौधे भी बीजू थे तथा वे भी सेन्ट्रल नर्सरी से सप्लाई किये गये थे। उपरोक्त पौधशाला अब वंचित पौधशाला नहीं है तथा हमारा अब उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

जहां तक आड़ू के पौधों के विषय में श्री मुमताज मुहम्मद खां की अभ्युक्तियों का प्रश्न है, मुझे यह निवेदन करना है, जैसा कि पहिले भी आपको सूचित किया जा चुका है कि अब यह पहिचान पाना कि सप्लाई किये गये पौधे बीजू थे अथवा कलमी, बहुत ही कठिन है। अतः अपने पत्र में मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि क्योंकि ३४ पौधे शर्बती किस्म के थे यह प्रतीत होता है कि अन्य पौधे उन शाखाओं से उत्पन्न हो रहे हैं जोकि कलमी पौधे के स्थाक भाग से निकली थी। इस प्रकार की घटनायें अन्य उद्यानों में भी देखने में आयी हैं। यह एक तथ्य है कि चन्द्रयाना में अनेकों उद्यान लगाये गये हैं तथा वहां लोग इस कला को जानते हैं। इस सम्बन्ध में वैसे श्री याकूब अली खां ने सहायक हार्टिकल्चरिस्ट को सूचित किया कि वह उस समय पौधों को लगाने के विषय में अधिक नहीं जानते थे जबकि वह लगाये गये थे। यद्यपि अब वह पौधे लगाने की कला से पूर्ण परिचित हैं। यह बहुत सम्भव है कि वह पूट्स के जोड़ के नीचे से निकलते समय पहिचान नहीं पाये जिसके कारण पौधा बीजू हो गया।

इस प्रकार के परिवाद अन्य साधनों द्वारा सुनने में आये। अतः फल विकास संघ ने पंजीकरण हेतु नियमों को दोहराया है तथा अब पौधशाला वालों को एक प्रमाण-पत्र पौधों की वास्तविकता के सम्बन्ध में क्रयकर्त्ता को पौधों के क्रय करते समय देना होता है। चूंकि पहिले पौधशाला के मालिक द्वारा इस प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया, तथा इसके लिए कोई जुर्माना आदि भी निश्चित नहीं था। ५ पंजित पौधशाला वालों पर अवास्तविक पौधों की स्थलाई के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। वैसे यदि आवश्यक हो तो इस विषय पर फल विकास संघ के साथ विचार विमर्श किया जा सकता है तथा दोषी पौधशालाओं के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकती है।]

आपका विश्वासभाजन,

(ह०) ए० प्रसाद,

निदेशक।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

तालिका 'क'

प्रदेश में बाहर से मंगाये गये गल्ले का विवरण

	विदेशी गेहूं*		चावल		देशी गेहूं (पंजाब से)	
वर्ष	मात्रा टन	लगभग कीमत रु०	मात्रा टन	लगभग कीमत रु०	मात्रा टन	लगभग कीमत रु०
१	२	३	४	५	६	७
१९६०	१,६०,८०३	६,०३,००,०००	..	..	..	..
१९६१	५९,९४३	२,२५,००,०००	..	..	..	..
१९६२	१,०७,३९७	४,०३,००,०००	..	..	..	..
१९६३	९८,९०२	३,७१,००,०००	..	..	..	..
१९६४	७,९७,८३९	२९,९३,००,०००	१,०७७	६,७३,०००	२४,५३७	१,३०,००,०००
१९६५ (३१ जूलाई तक)	२,५३,६३८	१२,१७,००,०००	..	..	..	..

*इन आंकड़ों में प्रदेश की आटा मिलों को दी गयी विदेशी गेहूं की मात्रा सम्मिलित नहीं है।

तालिका 'ख'

विदेशी गेहूं का एलाटमेंट व प्राप्ति

(आंकड़े टनों में)

माह	राज्य लेखे पर		आटा मिलों को	
	एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति
जनवरी, १९६५	..	५५,०००	३९,६१५	४०,०००	३५,०७३
फरवरी, १९६५	..	४०,०००	३८,६९८	२४,०००	११,८३२
मार्च, १९६५	..	३३,०००	२५,४४७	२४,०००	१७,३४५
अप्रैल, १९६५	..	५५,०००	३०,२८२	२५,०००	११,६४८
मई, १९६५	..	४५,०००	३३,८७३	२०,०००	३५,२२८
जून, १९६५	..	४३,०००	४६,७५३	२२,०००	१६,९५५
जुलाई, १९६५	..	३८,०००	३८,९६०	२२,०००	१५,१३७

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

परिशिष्ट 'क'

(प्रार्थियों का नाम जिनके प्रार्थना-पत्र वर्ष १९६४ में स्वीकृत किये गये)

१—श्री मंगला राय, सत्यनारायण सिंह
२—श्री सुदर्शन सिंह,
३—श्री मावेश मिश्र
४—श्री इकबाल अहमद।

परिशिष्ट 'ख'

(उन व्यक्तियों की सूची जिनके प्रार्थना-पत्र रद्द किये गये)

	स्थान	कारण
१—श्रीमती राम सावरी ..	लछिरामपुर	भट्टा का प्रस्तावित
२—श्रीमती सावित्री देवी ..	.. गिरधरपुर ..	स्थान ग्राम के बाग से एक
३—श्री राम झिनकू सिंह	.. नन्दाव ..	मील से कम तथा आबादी
४—श्री शिव पूजन सिंह	.. खानपुर ..	से २ फर्लांग से कम की
५—श्री मुसाफिर सिंह ..	.. सम्भपुर ..	दूरी पर था।
६—श्री राम जियावन दास	.. मुसलिमपट्टी	
७—श्री उच्चतर मा० वि०, बड़गांव	.. बड़ागांव	
८—श्री राम लगन राय ..	.. सवल	
९ —मु० ताहीर खां ..	.. सरायसफ	
१०—श्री प्रभुनाथ सिंह ..	.. डुगडुगवां	
११—श्रीमती चन्द्रिका देवी	.. हमीनपुर	
१२—श्री राजाराम सिंह	.. सिकन्दरपट्टी	
१३—श्री दल सिंगार ..	.. माहुल	
१४—श्री श्रीराम यादव ..	.. ससना	
१५—श्रीमती निर्मला देवी	.. शाभरदानपुर	
१६—श्री हाजी अजीजुल्लाह	.. बखरा	
१७—श्री इन्द्रजीत ..	.. खरुद्दीनपुर	
१८—श्री कमरुद्दीन ..	.. विलहरी इमाम	
१९—श्री चन्द विजय सिंह	.. नरियाव	
२०—श्री रामकेर सिंह	.. माठिनगंज	
२१—श्री वासदेव सिंह ..	.. रसरा खुर्द	
२२—श्री विश्वनाथ सिंह	.. हुसपुर राम जियावन	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२३—श्री कृपा शंकर .. .. मित्तूपुर
२४—श्री द्वारिका सिंह .. .. पूक
२५—श्री कृष्ण दास .. .. मुस्तफाबाद
२६—श्री मोहिद्दीन खां .. टसुहवा
२७—श्री ओंकार नाथ .. .. टसुहवा
२८—श्री मुख्तार अहमद .. .. शपुरवतात
२९—श्री पुरुषोत्तम राम .. .. हकीकतपुर
३०—श्री धर्म दास .. .. वलइसा
३१—श्री शिव प्रसाद सिंह .. परदहा
३२—श्री मिर्जा आसफ बेग .. भटारा
३३—श्रीमती सूर्जी कुंवर .. वरतलीद जगदीशपुर
३४—श्री राम देव राय .. .. सहादतपुर
३५—श्री राम सूरत सिंह .. खानपुर
३६—श्री रामा सिंह .. .. खुदवाल
३७—श्री रामधारी .. .. चिरैयाकोट
३८—श्री गोबरधन राय .. .. अतरारी
३९—श्री जू० हा० स्कूल, चिरैयाकोट .. तलुवार
४०—श्री ललिता राय .. .. गजहडा
४१—श्री नूर मुहम्मद .. .. शपुरवतात
४२—श्री विद्या शंकर सिंह .. देवकली
४३—श्री चहड़ दास .. .. खुफिया
४४—श्री विजय शंकर मिश्र .. विलौली
४५—श्री फूल चन्द्र प्रसाद .. पिडसूई
४६—श्री राम प्रसाद .. .. लनउल
४७—श्री सूर्यभान सिंह .. सरवां
४८—श्री अब्दुल हई .. .. बड़ागांव
४९—श्री नरायन सिंह .. .. मुहम्मदपुर
५०—श्री राम बली यादव .. खनौरा
५१—श्री इन्द्रजीत सिंह .. चौरीखास
५२—श्री राम अधार सिंह .. मेहनगर
५३—श्री लोकनाथ सिंह .. गभशीरपुर
५४—श्री भवनाथ सिंह .. कलीचाबाद
५५—श्री ब्रजराज सिंह .. .. रामगढ़
५६—श्री मिर्जा सिकन्दर बेग रेतवा चन्द्रभानपुर
५७—श्री नरेन्द्र सिंह .. .. तरवा
५८—श्री दया शंकर सिंह . राजेपुर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

५९—श्री ठाकुर प्रसाद .. .. मनावा
६०—श्री अरविन्द कुमार .. .. अकुनी
६१—श्री चन्द्रबली सिंह .. परसाली
६२—श्री मुरारी दास .. .. घिनहापुर
६३—श्री रामनाथ दीक्षित .. अगधीरपुर
६४—श्री सहकारी संघ, मेहनगर .. वीरभानपुर
६५—श्री वासदेव सिंह .. .. परासिन
६६—श्री अवधराज सिंह .. .. वरसेखा
६७—श्री सूर्यभान सिंह .. धरनीपुर
६८—श्रीमती चम्पा देवी .. नसीरपुर
६९—श्री हरिहर सिंह .. .. खरिहानी
७०—श्री मोहर यादव .. सदपुर
७१—श्री गोपाल जी .. .. खालिसपुर
७२—श्री जुल्फेकार खां .. .. वनकट
७३—श्री मुहम्मद उसमान .. जोलहापुर
७४—श्री बाबू नन्दन यादव .. सुरैया
७५—श्री राम नरेश त्रिपाठी .. करमपुर
७६—श्री एखलाक अहमद .. कन्धरापुर

परिशिष्ट 'ग'

(उन व्यक्तियों के नाम जिनके प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं)

१—श्री अब्दुल गनी मुहिउद्दीनपुर
२—श्री उमा शंकर मिश्र अलदेमऊ
४—श्री राम सनेही सिंह तुलसीपुर
४—श्री राजाराम गुप्ता सुरहुरपुर
५—श्री याकूब खां बरहुसा ।

विधान परिषद सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

बस्ती जिले में काम करने वाले ए०डी०ओ०, एग्रीकल्चर से संबंधित विवरण

क्रम-संख्या	ए० डी० ओ० (एग्रीकल्चर) का नाम	कितने वर्षों से प्लानिंग में ए० डी० ओ० (ऐग्रीकल्चर) के पद पर काम कर रहे हैं।
१	श्री राम श्रीवास्तवा	३ वर्ष से
२	श्री केदारनाथ	८ माह से
३	श्री राम अवध	३ वर्ष से
४	श्री गौरी शंकर सिंह	६ वर्ष से
५	श्री राम प्यारे चौधरी	८ वर्ष से
६	श्री अभिनन्दन सहाय	३ वर्ष से
७	श्री नवल किशोर सिंह	४ वर्ष से
८	श्री ओम प्रकाश शर्मा	८ वर्ष से
९	श्री कौशल किशोर चन्द	२ वर्ष से
१०	श्री विश्वनाथ दुबे	६ वर्ष से
११	श्री मोहम्मद इसराल हक	२ वर्ष से
१२	श्री गंगा प्रसाद	७ वर्ष से
१३	श्री गंगा सरन श्रीवास्तव	३ वर्ष से
१४	श्री राम नाथ सिंह	२ वर्ष से
१५	श्री विनायक प्रसाद शुक्ला	७ वर्ष से
१६	श्री केदार नाथ सिंह	रेकार्ड उपलब्ध नहीं
१७	श्री सीता राम प्रसाद	७ वर्ष से
१८	श्री प्रेम चन्द पांडेय	रेकार्ड उपलब्ध नहीं
१९	श्री पुरुषोत्तम सिंह	,, ,,
२०	श्री मोहम्मद अली	,, ,,
२१	श्री रहमतुल्लाह	६ वर्ष से
२२	श्री विश्वनाथ उपाध्याय..	१ वर्ष से
२३	श्री राम तपेश्या	१ वर्ष से
२४	श्री परसुराम त्रिपाठी	३ वर्ष से
२५	श्री रामजी लाल श्रीवास्तवा	परसनल रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
२६	श्री कपिल देव मित्रा	,, ,,

क्रम-संख्या	ए० डी० ओ० (एग्रीकल्चर) का नाम	कितने वर्षों से प्लानिंग में ए० डी० ओ० (ऐग्री-कल्चर) के पद पर काम कर रहे हैं।
२७	श्री ठाकुर प्रसाद मित्रा	परसनल रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
२८	श्री श्याम सिंह	,, ,,
२९	श्री बलभद्र सिंह	,, ,,
३०	श्री पारस नाथ राय	,, ,,
३१	श्री राम प्यारे यादव	,, ,,
३२	श्री ध्रुव जी	,, ,,
३३	श्री सूर्यनारायण प्रसाद	५ वर्ष
३४	श्री रुद्रनारायण पांडेय	५ माह से

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "छ"

(देखिये वक्तव्य पीछे पृष्ठ ६५ पर)

वास्तविक औसत वर्षा का विवरण

वास्तविक औसत वर्षा के आंकड़े मि० मि०

क्रम-संख्या	जिले का नाम	माह जून	सामान्य औसत वर्षा माह जून (नार्मल)	माह जुलाई	सामान्य औसत वर्षा माह जुलाई (नार्मल)	अगस्त प्रथम सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	१६ अगस्त से २० अगस्त, तक	स्तम्भ ७, ८ व ९ का योग	सामान्य औसत वर्षा माह अगस्त (नार्मल)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	देहरादून	३९.४	१८०.८	१३९०.१७	६५५.८	३७२.०	३१८.७१	१७८.८१	८६९.५२	७१०.१
२	मुजफ्फरनगर	०.५	६९.६	२२४.४	२१६.१	१६३.१	८.१	१७.८०	१८९.००	२०१.५
३	बुलन्दशहर	१.४	६९.३	१९२.६	१९२.१	१६७.९	०.१	—	१६८.००	१९१.१
४	सहारनपुर	०.३४	८९.२	३६७.६५	२७०.४	५६.०	—	९.३०	६५.३०	२६८.७
५	मेरठ ..	१.८	७०.१	२२३.८	२०१.३	१३४.८	१.०	९.२०	१४५.००	१९०.४
६	अलीगढ़	४.६	६४.८	३०२.७	१९०.०	१३६.८	३.०	६.६०	१४६.४०	१९३. ५
७	मथुरा ..	०.८१	४१.९	१७७.९०	१७५.३	८३.६	—	०.७०	८४.३०	१८५.०
८	आगरा	३.५	५०.९	२३५.८	१९६.१	१०३.१	—	०.५४	१०३.६४	२०९.१
९	मैनपुरी	—	५५.९	१६५.३	२०५.४	९३.९	—	—	९३.९	२२८.४
१०	एटा ..	—	५७.०	१८८.११	२०४.०	९७.३२	१.०	०.४५	९८.७७	२१२.८
११	बरेली ..	--	१२५.४	८५.७४	३२६.३	१२६.८९	--	+	+	३१२.०
१२	बिजनौर	१.७५	१०७.३	२५७.५	३१७.५	१९५.०	३.६	९.१०	२०७.७	३१०.९
१३	बदायूं ..	०.७	७५.५	२०१.८६	२५०.३	१६४.५	७.२	३.३०	१७५.०	२३५.३
१४	मुरादाबाद	—	१०२.२	२१९.९	२७४.५	२४२.२	१०.७	५.३०	२५८.२०	२७१.६
१५	शाहजहांपुर	३.७	११९.७	१८७.३	३००.०	७७.८	—	१२.७०	९०.५	२८४.१

अवैधानिक अनुवाद

१६ पीलीभीत	६.९	१५२.४	१८१.७	३७९.५	७२.५	१३.५	१४.१०	१००.१०	३४१.९
१७ रामपुर	३.०	*	२०२.७१	*	१३२.२	१३.६	८.७०	१५४.५	*
१८ फर्रुखाबाद	४.५	६५.२	१७२.०४	२३७.९	३४.७०	०.४०	—	३५.१०	२४२.१
१९ इटावा	२.४	५४.३	२३१.२	२२१.८	७८.०	२.०	०.३	८०.३०	२४५.७
२० कानपुर	५.२२	६४.९	२१६.५	२३६.०	१८.४	+	—	+	२५४.६
२१ फतेहपुर	३.११	७०.४	२४६.३९	२७८.४	९.९	—	—	९.९	२८९.७
२२ इलाहाबाद	१.६	८०.७	१३३.३	३०३.४	९.४	०.२०	१.२०	१०.८	३००.२
२३ बांदा	६.८	७३.३	१५५.६	३००.७	१०.२	६.००	—	१६.२०	३०९.००
२४ हमीरपुर	२.६	६०.६	१७९.४	२७५.८	९.४	१२.३	३.८०	२५.५०	२७७.४
२५ झांसी ..	१२.६१	७३.३	२१३.१२	२९६.४	३.०५	—	—	३.०५	२७८.६
२६ जालौन	७.५९	६४.५	२७८.९	२४१.७	१३.०	३.०	—	१६.००	२५९.५
२७ वाराणसी	७.४	८७.६	१८८.२७	३०७.३	३१.२	८.९	+	+	३२६.३
२८ मिर्जापुर	१७.३७	१०४.५	१८९.४३	३३४.०	२४.०२	६.१७	२७.५०	५७.६९	३६०.०
२९ जौनपुर	१०.४	८७.३	१५०.६६	२९६.८	९.७	६.०	५३.००	६८.७०	२९६.५
३० गाजीपुर	२२.०	११९.६	३४८.१८	२९२.२	९०.९०	१५.९०	११.३७	११८.१७	३१४.१
३१ बलिया	१२.६	११०.६	१४४.४०	२७९.३	४२.९०	४१.६०	१४.३३	९८.८३	२९४.५
३२ गोरखपुर	९९.६२	१६७.३	३२५.६	३९८.६	९१.८	२०.५	७३.४०	१८५.७०	३६४.७
३३ आजमगढ़	१२.९	१०७.६	३१०.०५	२९८.२	६७.४	१४.४	३५.५०	११७.३०	२९५.४
३४ बस्ती .	५५.००	१६३.०	२५७.००	३८०.१	५१.४	९.३	४७.४०	१०८.१०	३२५.३
३५ देवरिया	५३.०	१५९.१	२४०.३	३०८.२	८२.७	३८.०३	३६.५४	१५७.२७	२९९.२
३६ अल्मोड़ा	५०.५	१४३.८	२८९.५	२६४.९	७६.५	—	६.७०	८३.२०	२३४.२
३७ गढ़वाल	६७.५१	१३२.३	३१८.३	३२६.१	१२०.७	१३.९	३५.१०	१६९.७०	३५९.९
३८ नैनीताल	५३.८	१९०.०	३६१.१	४८५.६	१०२.०	९.५	२१.१६	१३२.६६	४६८.३
३९ टेहरी-गढ़वाल	३३.५	*	४०१.९	*	१००.६	२०.४	+	१२१.०	*
४० लखनऊ	०.८३	८६.८	१६३.५८	२९५.४	१२.९६	+	—	१२.९६	२७१.८
४१ उन्नाव ..	२५.२	६७.८	२८०.४	२६२.१	१५.२	—	—	१५.२	२४७.३
४२ रायबरेली	१७.१	८०.५	१८१.४	२९१.३	१०.४	—	१०.१०	२१.५०	२७७.२

क्रम-संख्या	जिले का नाम	माह जून	सामान्य औसत वर्षा माह जून (नार्मल)	माह जुलाई	सामान्य औसत वर्षा माह जुलाई (नार्मल)	अगस्त प्रथम सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	१६ अगस्त से २० अगस्त, तक	स्तम्भ ७ ८ व ९ का योग	सामान्य औसत वर्षा माह अगस्त (नार्मल)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
४३	सीतापुर	२.८	१०८.५	१६१.४२	२८५.१	२६.६	४.८	२.३	३३.७	२६७.७
४४	हरदोई	१.५५	८३.५	२६४.०१	२७१.५	२१.२	०.३७	—	२१.५७	२४९.९
४५	खीरी ..	३२.००	१३९.५	१८९.७	२९७.५	५१.९	१३.७	—	६५.६०	२८९.७
४६	फैजाबाद	२६.३२	१०६.५	१८६.९६	३०६.१	२०.८	१.२	५४.१७	७६.१७	२८२.०
४७	गोंडा ..	१५.३	१३८.९	३४१.८४	३३९.५	३६.९	२.२	९.८८	४८.९८	३१५.४
४८	बहराईच	१५.०९	१४९.७	१९२.४१	३१४.५	५२.९	१२.३	७.२०	७२.४	३०९.५
४९	सुल्तानपुर	२४.७	८७.३	२३१.००	३०७.१	+	०.८	६३.१५	+	२८८.७
५०	प्रतापगढ़	१७.२	८२.२	१२८.८	३०३.६	२२.९	०.२	११.१०	३४.००	२९८.०
५१	बाराबंकी	६.२४	९८.४	१५१.०	२९९.७	४.९	२.५	६.१०	१३.५०	२८१.६
५२	उत्तरकाशी	७१.२२	*	४१४.०६	*	६४.५	२७.३	—	९१.८०	*
५३	पिथौरागढ़	१७४.९	*	१५८.११‡	*	+	+	+	+	*
५४	चमोली	६०.४	*	२५७.५०	*	३७.१	+	+	+	*

टिप्पणी—(१) (—) वर्षा शून्य है।

(२) (*) नार्मल वर्षा के आंकड़े निर्धारित नहीं किये गये।

(३) (+) सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(४) (‡) केवल जुलाई १ से ७ और २४ से ३१, १९६५ में हुई वर्षा का योग।

अविशोधित विधान सभा

नत्थी "ज"

(देखिये वक्तव्य पीछे पृष्ठ ६६ पर)

खरीफ १३७३ फसली में अवर्षण के कारण न बोया गया क्षेत्रफल

क्रम-संख्या	जिले का नाम	खरीफ १३७२ फसली में फसलों के अन्तर्गत अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ में)	खरीफ १३७३ फसली में वह क्षेत्र जिसमें अगस्त २०, १९६५ तक बुवाई न हो सकी (एकड़ में)
१	२	३	४
	मेरठ मण्डल		
१	सहारनपुर	७,३०,७४८	३,२५२
	आगरा मंडल		
२	मैनपुरी	४,७९,३९९	५९,५०३
३	एटा	५,६४,७३०	२३,५०१
	रोहिल खंड मंडल		
४	बरेली	६,२६,७९०	९९,७७४
५	बदायूं	६,९२,६३४	३२,३३९
६	शाहजहांपुर ..	५,७६,०८८	३,३९४
७	पीलीभीत	४,०८,७९५	१,०९,०९०
८	रामपुर	३,८१,००८	४८,२५०
	इलाहाबाद मंडल		
९	फर्रुखाबाद	४,७२,३९०	७५,१७८
१०	इटावा	४,७५,८७३	५९,६५६
११	फतेहपुर	४,५०,२६१	१,१५,७८२
१२	इलाहाबाद	७,६८,३५२	४,४१,०००
	झांसी मंडल		
१३	बांदा	५,९७,१५२	४७,५२३
१४	हमीरपुर	४,४९,२५०	४४,९२५
१५	झांसी	५,४२,९८९	६८,०००

क्रम-संख्या	जिले का नाम			खरीफ १३७२ फसली में फसलों के अन्तर्गत अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ में)	खरीफ १३७३ फसली में वह क्षेत्र जिस में अगस्त २०, १९६५ तक बुवाई न हो सकी (एकड़ में)
१	२			३	४
	वाराणसी मंडल				
१६	वाराणसी	..	..	६,४७,९२१	२,००,०००
१७	जौनपुर	..	..	५,३४,७४२	२,३६,४६२
१८	गाजीपुर	..	..	४,२९,४२०	१,०२,०००
१९	बलिया	..	..	४,०२,७५१	८८,४५७
	गोरखपुर मंडल				
२०	गोरखपुर	..	..	८,४८,३८८	१,९५३
२१	देवरिया	..	..	८,९४,५४८	४९,४८६
२२	बस्ती	..	..	११,०८,९३३	१,००,०००
२३	आजमगढ़	..	..	७,८७,१६९	१,६२,४६९
	कुमायूं मंडल				
२४	नैनीताल	..	..	३,१७,६९७	१५,०००
	लखनऊ मंडल				
२५	लखनऊ	..	..	२,५६,१०२	४०,०००
२६	उन्नाव	..	..	४,९५,२९९	८८,९०६
२७	रायबरेली	..	..	५,२२,८४८	१,७०,०००
२८	सीतापुर	..	..	७,९५,२६५	५५,०००
२९	हरदोई	..	..	६,९२,१५७	१,२०,०१६
३०	खीरी	..	..	८,८२,९३८	७२,०००
	फैजाबाद मंडल				
३१	फैजाबाद	..	..	५,५०,७३३	७६,७०८
३२	गोंडा	..	..	१०,६३,७९६	१,७२,९२४
३३	सुल्तानपुर	..	..	५,६२,७३४	९५,७७२
३४	प्रतापगढ़	..	..	४,३६,४०८	२,०२,५२३
३५	बाराबंकी	..	..	५,७३,७४९	३७,७२०
	योग		..	??००,००,०००	??००,००,०००

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश